पंचम माला, खंड 50, अंक 28, सोमवार, 7 अप्रैल, 1975/17 चैत्र, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. L, No. 28, Monday, April 7, 1975/Chaitra 17, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. L contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 28, सोमवार, 7 अप्रैल, 1975/17 चैत्र, 1897 (शक)

No. 28, Monday, April 7, 1975/Chaitra 17, 1897 Saka

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्न काल सम्बन्धी नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	Motion *re.* Suspension of Rule relating to Question Hour.	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions :**	
*तारांकित प्रश्न संख्या 526 से 529, 533, 534 और 540	*Starred Questions Nos. 526 to 529, 533, 534 and 540	3—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 524, 525, 530 से 532, 535 से 539 और 541 से 543	Starred Questions Nos. 524, 525, 530 to 532 535 to 539 and 541 to 543 . . .	18—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 5077 से 5141, 5143 से 5186, 5188 से 5190, 5194 से 5256, 5258 से 5272 और 5274 से 5276	Unstarred Questions Nos. 5077 to 5141, 5143 to 5186, 5188 to 5190, 5194 to 5256, 5258 to 5272 and 5274 to 5276. .	27—154
10-3-1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2825 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting Answer to U.S.Q. 2825 dated 10-3-1975 . . .	154
स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	*Re.* Adjournment Motions (Query)	154—60, 163
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	160—64
तटस्थ देशों के विदेशों मंत्रियों के ब्यूरो की हवाना में हुई बैठक के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Meeting of Foreign Ministers of Bureau of Non-aligned countries in Havana	
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . . .	164—68

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
अनुदानों की मांगें, 1975-76--	Demands for Grants, 1975-76—	
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation .	168—185
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	185—186
श्री दशरथ देव	Shri Dasarath Dev	186—188
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya . .	188—189
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathamuthu . . .	189—191
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . . .	191—193
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik . .	193—194
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	194
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar	194
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha . .	195
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . .	195—196
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao . . .	196—199
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena . . .	199
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . .	199—200
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	200—201
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh .	201
श्री एस० एन० सिंह देव	Shri S. N. Singh Deo .	202

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of Speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 7 अप्रैल, 1975/17 चैत्र, 1897 (शक)
Monday, April 7, 1975/Chaitra 17, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्न काल सम्बन्धी नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव
Motion regarding suspension of rule regarding Question Hour

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन्, मैंने कलकत्ता में श्री जय प्रकाश नारायण की हत्या के प्रयास पर चर्चा करने हेतु प्रश्न काल को निलम्बित करने के लिये एक सूचना दी है। यह प्रयास श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदेशों से श्री एस० एस० राय द्वारा किया गया है। (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): Mr. Speaker, we have given notice. Smt. Indira Gandhi wants to remain in power by hook or by crook. Congress Party is adopting dictatorial methods.

Shri Madhu Limaye (Banka): Please permit me to move for the suspension of the Question Hour. I wish to draw your attention to article 256 of the Constitution. Please listen to me for a minute.

अध्यक्ष महोदय : आम तौर पर प्रश्न काल निलम्बित नहीं होता। प्रस्तावों के लिये समय प्रश्न-काल के बाद निश्चित किया गया है।

Shri Janeshwar Mishra: Government is adopting dictatorial methods. Opposition leaders are not listened to. Stones and bombs are being thrown. We have given notice under rule 388 for the suspension of Question Hour. It is no use wasting time in asking questions here when Government is resorting to goondaism. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सामान्यतः ऐसे सभी प्रस्ताव प्रश्न-काल के बाद पेश किये जाते हैं।

Shri Madhu Limaye: Our motion is regarding suspension of the rule. Please listen for a minute.

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी होगी।

Shri Madhu Limaye: Sir, my submission is that article 256 of the Constitution enjoins upon the State Governments to comply with the laws passed by Parliament and under Article 355 of the Constitution it is the responsibility of the Centre to ensure compliance of the Constitution.

In my opinion, both these Articles have been violated because the goodaism was resorted to there right under the nose of the Information Minister of West Bengal Government and the police was merely a silent spectator. That is why we have given notice of motion for the suspension.

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम का निलम्बन चाहते हैं? श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव में इसका उल्लेख नहीं है।

श्री मधु लिमये : नियम 388 और 184 के अन्तर्गत मेरे स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में नियम 32 का निलम्बन किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 32 और नियम 388 को निलम्बित किया जाये। मैंने कहा है कि उपयुक्त नियम के अन्तर्गत प्रश्न-काल निलम्बित किया जाये। जब श्री जयप्रकाश जी एक बैठक में बोल रहे थे तो उन पर ईंटें फैंकी गई। सूचना मंत्री लोगों को भड़का रहे थे और पुलिस का माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे थे और पुलिस देख रही थी. . . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्पष्ट करें कि आप किस नियम का निलम्बन चाहते हैं तो मैं इसे सभा के मतदान के लिए पेश कर दूंगा।

Shri Madhu Limaye: Before you put the motion to the House, Shri Samar Guha, who was victim of the incident should be heard.

अध्यक्ष महोदय : जब तक प्रश्न-काल निलम्बित नहीं होता तब तक आप कोई बात नहीं कह सकते। आप का प्रस्ताव है कि प्रश्न-काल को निलम्बित किया जाये। श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री जनेश्वर मिश्र और श्री मधु लिमये का प्रस्ताव है कि नियम 388 के अधीन प्रश्न-काल सम्बन्धी नियम अर्थात् नियम 32 का निलम्बन किया जाये। इसके निलम्बन के बाद ही बाकी बातें सुनी जायेंगी।

प्रश्न है :

"कि प्रश्न-काल सम्बन्धी नियम अर्थात् नियम 32 का निलम्बन किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष में 22; विपक्ष में 86.

Ayes—22; *Noes*—**86.**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वर्ष 1975–76 के दौरान गेहूं और चावल का आयात

*526. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान अनुमानतः कितने गेहूं और चावल का आयात किया जायेगा; और

(ख) क्या इन दो प्रमुख अनाजों का आयात समुचित अनुपात में करना सम्भव है और यदि हां, तो किस अनुपात में ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, फसल संबंधी सम्भावनाओं, खाद्यान्नों की आन्तरिक उपलब्धता, मूल्य के रुख, विदेशी मुद्रा की स्थिति और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता की बराबर समीक्षा की जाती है। ऊंचे मूल्यों के कारण अब तक चावल का कोई आयात नहीं किया गया है, लेकिन इस वर्ष अब तक कुल 17.8 लाख मीटरी टन गेहूं और माइलो खरीदा गया है। चावल का आयात करने की सम्भावना की जांच की जा रही है।

श्री बी० वी० नायक : खाद्य विभाग के निपादन बजट में बताया गया है कि वर्ष 1975-76 के बजट प्राक्कलनों के अनुसार, 55 लाख मीटरी टन गेहूं और माइलो का आयात किया जायेगा जिस पर 977 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा और मंत्री महोदय ने बताया है कि अभी तक 17.8 लाख मीटरी टन गेहूं और माइलो का आयात किया गया है।

इस सम्बन्ध में कौनसे आंकड़े ठीक हैं? मंत्री महोदय वही आंकड़े क्यों नहीं बताते जो एक दस्तावेज में पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं? इसमें क्या रहस्य है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसमें रहस्य की कोई बात नहीं है। आयात की आवश्यकताओं का हिसाब घरेलू आवश्यकताओं, फसल सम्बन्धी सम्भावनाओं, हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति और कई अन्य बातों के आधार पर लगाया जाता है और बजट में प्रावधान अस्थायी होता है और इसलिए किया जाता है कि हम उस मात्रा तक आयात कर सकें किन्तु आयात सम्बन्धी निर्णय अलग लिये जाते हैं।

श्री बी० वी० नायक : 55 लाख मीटरी टन के आयात सम्बन्धी यह बजट-कार्यक्रम क्या अस्थायी है यदि यह अस्थायी है तो क्या आप अपने निपादन बजट में इस लक्ष्य से आगे बढ़ना चाहते हैं या इसमें अब उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कमी करना चाहते हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : ठीक-ठीक अनुमान बताना तो कठिन है। परन्तु फसल सम्बन्धी सम्भावनाओं को देखते हुए हमें बताई गई मात्रा से अधिक आयात नहीं करना पड़ेगा। सम्भवतः हम उतनी मात्रा भी आयात नहीं करेंगे।

Shri Narsingh Narayan Pandeya : In spite of the fact that we have had a bumper crop of wheat this year and you have stated in and outside Parliament that Government propose to procure 70 lakh tonnes of wheat this year, do the Government feel the necessity of importing wheat and other cereals ?

श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सच है कि सम्भावनायें वास्तव में बहुत ग्रच्छी हैं ग्रौर इसलिए हमें स्थिति पर नये सिरे से विचार करना होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है ग्रौर इसलिए हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। साथ ही हमें कुछ प्रावधान करना होगा ग्रौर ग्रस्थायी प्रबन्ध करना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रमरीका की सरकार से पी० एल० 480 के ग्रन्तर्गत 2 या 3 लाख मीटरी टन चावल मांगा है ग्रौर ग्रमरीका ने चावल देने से इन्कार कर दिया है क्योंकि भारत कई देशों को चावल निर्यात कर रहा है ? क्या सरकार की यह नीति है कि वह ग्रच्छी किस्म के चावल का निर्यात करती रहे ग्रौर ग्रन्य देशों से चावल मंगाती रहे ?

श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे : यद्यपि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम तामिल नाडू ग्रादि में चावल की दिक्कत के कारण कुछ चावल ग्रायात कर सकते हैं; तथापि ग्रन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल का मूल्य इतना ग्रधिक है कि हम उतनी ही राशि में दो या तीन गुना गेहूं खरीद सकते हैं। हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं ग्रौर ग्रभी तक ग्रन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या ग्रमरीकी सरकार ने भारत को चावल भेजने से इन्कार कर दिया है क्योंकि हम बासमती चावल दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं ?

श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के ग्रार्थिक कार्य विभाग से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि इस बारे में कुछ चर्चा ग्रवश्य हुई थी। किन्तु हम बासमती चावल का निर्यात बन्द नहीं कर सकते। यदि ऐसी कोई शर्त लगाई गई तो हम स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : मंत्री महोदय के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि फसल सम्बन्धी सम्भावनायें बहुत ग्रच्छी हैं ग्रौर वे खाद्यान्न ग्रायात भी करेंगे, क्या सरकार ग्रगले वर्ष कोई बफर स्टाक रखेगी या उसकी योजनायें केवल इस वर्ष के लिये ही हैं ?

श्री ग्रण्णासहिब पी० शिन्दे : ग्राज की सम्भावनाग्रों को देखते हुए, तीन वर्ष बाद फिर हमें ग्रपनी खरीद ग्रौर ग्रायात में से कुछ स्टाक रखना पड़ सकता है। स्टाक की स्थिति मे सुधार होगा ग्रौर हो सकता है हमें कुछ बफर स्टाक भी रखना पड़े।

Shri Janeshwar Mishra : I want a categorical answer. What price per quintal has been fixed by Government for the wheat and rice to be procured from Indian farmers and that to be imported from abroad ?If there is differences between the prices, what are the reasons therefor ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जहां तक चावल का सम्बन्ध है हम ने अभी तक कोई चावल आयात नहीं किया है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, वहां इस समय मूल्य 130 से 140 डालर प्रति मीटरी टन के लगभग है, जोकि मोटे तौर पर 100 से 110 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग होता है।

Shri Janeshwar Mishra : I have asked about the difference between the price offered to Indian farmer and the American farmer.

श्री अण्णसाहिब पी० शिन्दे : मैंने कहा है कि अमरीका में इस समय गेहूं का भाव 130 रुपये से 140 रुपये प्रति मीटरी टन के लगभग है, जो कि लगभग 110 से 112 रुपये प्रति क्विंटल होता है। यह क्रय मूल्य है, क्योंकि गेहूं सामान्यतया अमरीका में चालू बाजार भाव पर ही खरीदा जाता है।

श्री पीलू मोदी : पी० एल० 480 के अन्तर्गत कितना आयात हुआ है ?

श्री अण्णाशासिब पी० शिन्दे : 30 जून, 1975 तक लगभग 800,000 मीटरी टन।

श्री रामसहाय पांडेय : भारत के पेस्टीसाइड्स एशोसियन ने कहा है कि वर्ष 1973-74 में फसलों को लगभग 5,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है जोकि 9 प्रतिशत है। हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये कितना आयात करना पड़ा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक फसलों को हुई हानि का प्रश्न है, यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। जहां तक कमी का सम्बन्ध है, ये आंकड़े यद्यपि बहुत अधिक दिखाई देते हैं, परन्तु वस्तुत: कमी 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तथा खराब मौसम में 7 प्रतिशत तक होती है।

राज्य फार्म निगम को लाभ

*527. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री राज्य फार्म निगम के अधीन फार्मों के बारे में 24 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4642 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य फार्म निगम का वर्ष 1972-73 में 68.19 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ जबकि इससे पूर्व वर्ष में इसको 11.42 लाख रुपये का लाभ हुआ था; और

(ख) क्या राज्य फार्म निगम के अधीन विभिन्न फार्मों के कार्य में भारी अन्तर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। विभिन्न फार्मों के कार्य निष्पादन में भिन्नता का कारण फार्मों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, फार्मों का विभिन्न कृषि-जलवायु की परिस्थितियों के क्षेत्रों में स्थित होना, मिट्टी की विशेषता और सिंचाई की कारगर सुविधाओं की उपलब्धि है।

Shri Rajdeo Singh : Is it a fact that only Suratgarh farm out of the 12 farms of the Central Government earned profit in 1972-73, whereas all the other 11 farms suffered loss ?

श्री ग्रण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह ठीक नहीं है, क्यों तीन फार्म बहुत ग्रच्छा कार्य कर रहे हैं। सूरतगढ़ के ग्रतिरिक्त जैसोर तथा रायचूर फार्मों में भी लाभ हुग्रा है। शेष फार्म ग्रभी नये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनमें से ग्रधिकांश फार्मों में लाभ होगा।

Shri Rajdeo Singh : I want to know whether his reply is correct or the report given by the Chairman of the State Farms is correct in which it has been state that the total profit in the State Farms in 1972-73 has been to the tune of Rs. 11.42 lakhs, whereas Suratgarh Farm alone has earned profit of Rs. 18.58 lakhs, which metan all the other farms suffered a loss of Rs. 7.16 lakhs.

श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने यह कहा है कि 12 फार्मों में से तीन फार्मों में लाभ हो रहा है तथा शेष में हानि।

पेरियार वन्यपशु-शरणस्थल में जंगली सांडों (बिसन) की मृत्यु

*528. **श्री धामनकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च 1975 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वायरस डिसीज किल्ज बिसन्स ग्राफ पेरियार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस में व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिए ग्रनुरोध किया है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस घातक विषाणु (वायरस) पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने जांच निरोधक उपायों के विषय में कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) जी हां, केरल सरकार ने मार्च, 1975 में प्रार्थना की थी।

(घ) भारतीय-पशु-चिकित्सा ग्रनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर का एक दल जांच के लिए थेक्काडी (केरल) पहुंचे गया है। दल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही उस के ग्रनुसार इस पर कार्यवाही की जायेगी। स्वस्थ जंगली सांडों (विसन) को प्रभावित क्षेत्रों से दूर हटाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ग्रौर रोग से मरे हुए पशुग्रों के शवों को जलाया जा रहा है।

श्री धामनकर : यह समाचार प्राप्त हुग्रा है कि तहलाखट ग्रौर पेरियार झील क्षेत्र के चारों ग्रोर ग्रनेक व्यक्ति ग्रा बसे हैं। इन व्यक्तियों तथा इन के पशुग्रों के कारण यह बीमारी फैली है।

मैं जानना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों को वहां से हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, ताकि इस शरणस्थली में बिसनों की रक्षा की जा सके ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह केरल पशु विज्ञान संस्थान की एक सिफारिश है तथा वहां के वन-विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये हर प्रयास किया जा रहा है ताकि स्थानीय पशुओं को इस क्षेत्र से दूर रखा जाये ताकि इस शरणस्थली के पशुओं की रक्षा की जा सके ।

श्री धामनकर : मध्य प्रदेश में खान पार्क जैसी कई वनस्थलियां हैं, जहां बिसन पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि विषाणु इन शरण-स्थलियों में न फैलें, क्या कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है कि भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर का एक दल स्थान पर जा कर जांच करने के लिये गया है और यदि यह दल अन्यत्र बिसन की रक्षा के लिये सिफारिश करता है तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या ये विषाणु अन्य क्षेत्रों में फैल रहे हैं ।

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे : यह कहना बहुत कठिन है । बिसनों को पृथक रखने के लिये कुछ प्रयास किये गये हैं । परन्तु अब यह महामारी समाप्त हो रही है तथा हाल में कोई अन्य मृत्यु होने की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

Visit of Central Study Team to drought affected districts of Rajasthan

*529. SHRI M. C. DAGA :

SHRI LALJI BHAI :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of persons affected by the recent drought in various districts in Rajasthan, district-wise;

(b) whether any Central study team had visited these districts to assess the gravity of the drought situation;

(c) whether cattle of these places have been sold at low prices resulting in loss in agricultural production; and

(d) if so, the amount of assistance asked for by the State Government and given by the Centre for the purpose?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) राज्य सरकार द्वारा भेजी हुई जानकारी के अनुसार राजस्थान के विभिन्न जिलों में हाल ही के सूखे से प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)
1.	अजमेर	6.00
2.	अलवर	1.73
3.	बांसवाड़ा	5.79
4.	बीकानेर	3.27
5.	बूंदी	1.20
6.	बाड़मेर	7.19
7.	भीलवाड़ा	7.50
8.	भरतपुर	1.49
9.	चित्तौड़गढ़	2.97
10.	चूरू	4.93
11.	डूंगरपुर	4.90
12.	श्री गंगानगर	2.00
13.	जैसलमेर	1.43
14.	जैलोर	6.21
15.	जोधपुर	7.84
16.	जयपुर	13.35
17.	नागौर	8.84
18.	पाली	8.00
19.	झुंझुनु	7.25
20.	सिरोही	3.10
21.	सिकर	8.25
22.	सवाई माधोपुर	2.41
23.	टोंक	2.15
24.	उदयपुर	14.76
	योग	132.56

(ख) केन्द्रीय अध्ययन दल ने वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान अग्रिम योजना सहायता के सम्बन्ध में सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये कुछ प्रभावित जिलों का दौरा किया था।

(ग) राज्य सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. C. Daga: Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied. My question is whether any Central study team had visited these districts to assess the gravity of the drought situation. So kindly tell us what the study team has done. I have asked about the districts and villages visited by the study team and the report submitted by them, whereas he is replying that 32 lakh people have been affected by the drought.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उन जिलों के नाम हैं:—अजमेर, पाली, जयपुर, अलवर और सिरोही दल ने इन जिलों का दौरा किया है ।

Shri M. C. Daga: He has said that the study team has visited 25 districts. I want to know the report of the study team submitted to Central Government about the places visited by them.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सामान्यतया केन्द्रीय दल राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से कुछ नमूने के राहत कार्यों, अन्य कार्यों तथा वहां की स्थिति के बारे में विचार विमर्श करती है। परन्तु मुख्यतया राज्य सरकार के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है, जब तक कि कोई ऐसा कारण न हो जिस के कारण राज्य सरकार के प्रतिवेदन की आगे जांच करना आवश्यक समझा जाये । इसलिये इस अध्ययन दल ने कहा है कि बहुत से जिले प्रभावित हुए हैं और वहां तुरन्त राहत कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के अनुसार राहत कार्यों के लिये 16 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तथा उन्होंने केन्द्रीय सहायता मांगी है । माननीय सदस्य को ज्ञात है कि राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये कुछ मुख्य मानदण्ड हैं ।

Shri M. C. Daga: I want to have specific reply about the districts visited by the study team, the amount required by each district for relief and the extent to which each district has been affected.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : केन्द्रीय अध्ययन दल ने यह प्रतिवेदन किया है । श्री सिवारामन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी वहां गई थी तथा उन्होंने सिफारिश की है कि राजस्थान को 31 मार्च, 1975 तक अग्रिम तौर पर 10.5 करोड़ रुपये की योजना सहायता दी जाये ।

Shri Onkarlal Berwa: Sir, out of 26 districts of Rajasthan, 24 have been included in the list and 2 districts *viz.* Kota and Jhalwara have been left out. May I know the criteria on which a district is declared a drought affected district ?Why these two districts have been left out ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जिन जिलों के नाम शामिल किये गये हैं वे बुरी तरह सूखे से प्रभावित हैं । राजस्थान के प्रत्येक जिले में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बुरी तरह सूखे से प्रभावित हैं। हमने उन्हीं जिलों को शामिल किया है जहां पूरी तरह सूखे की स्थिति है । कुछ अन्य क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं ।

Shri Onkarlal Berwa: Out of 26 districts, 24 have been declared affected by drought. Why have the remaining two districts left out ? In those two districts 3 lakh people have been affected by drought. Why have you forgotten them ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह समिति का प्रतिवेदन है । राज्य सरकार और केन्द्रीय दल के अनुमान के आधार पर इन जिलों को अकाल पीड़ित जिलों की सूची में रखा गया है ।

श्री अमृत नाहाटा : माननीय मंत्री ने बताया है कि अकाल राहत के लिये अनुदान नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जाता है। क्या वह उसी व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं जिसकी वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। क्या माननीय मंत्री अकाल को एक राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं या स्थानीय विपत्ति ? यदि सरकार इसे राष्ट्रीय विपत्ति मानती है तो क्या वह अपने नौकरशाही दृष्टिकोण को त्याग कर वास्तविकताओं का मुकाबला करेगी और सूखे से बुरी तरह प्रभावित राज्यों की उदारता से सहायता करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वित्त आयोग ने इस समस्या पर विचार किया है। वित्त आयोग ने ऐसी बहुत सी फिजूलखर्ची की प्रथाओं की सूची बनाई है जो केन्द्रीय सहायता की पुरानी पद्धति के अधीन चल रही थी। उस आयोग ने सुझाव दिया कि जब तक इस पद्धति में सुधार नहीं किया जाता तब तक बहुत सा धन बेकार खर्च होता रहेगा। अब नई सिफारिशें की गई हैं और सरकार उन्हें कार्यान्वित करना चाहती है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैगनों से माल उतारने में विलम्ब

×

*533. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में जनवरी और फरवरी, 1975 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैगनों से माल उतारने में असामान्य विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि हुई है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैगनों से माल उतारने के कार्य को शीघ्रता से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जनवरी, 1975 के अन्त तक वैगनों के लिए कोई विशेष रुकावट नहीं पड़ी थी, हालांकि विभागीय मजदूरों ने उस महीने के दौरान पूर्वी क्षेत्र के डिपो में 'धीरे काम करो' का तरीका अपनाया था। तथापि, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम और दिल्ली क्षेत्रों में जनवरी के उत्तरार्ध में और फरवरी 1975 में असाधारण देरी हुई थी क्योंकि विभागीय मजदूरों के एक सेक्शन ने 27-1-75 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी थी।

भारतीय खाद्य निगम को जो हानि हुई है वह विलम्ब-शुल्क तथा घाट-शुल्क के रूप में है जो कि वैगनों को देरी से खाली करने के कारण हुई है। इसके कारण जो विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क पड़ा है उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

ऐसे स्थानों पर जहां कि वैगनों को खाली करने में कठिनाई अनुभव की गई थी वहां पर बाहरी मजदूरों को लगाकर स्टाक को सीधे ही राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था।

वैगनों को फिर से बुक भी किया गया था और उन्हें खाली करने के लिए अन्य सुरक्षित केन्द्रों को भेजा गया था ताकि वैगनों का रोका जाना और विलम्ब शुल्क का भुगतान रोका जा सके।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया है कि हानि आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में हड़ताल से प्रभावित क्षेत्रों में विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क के कारण हुई। किन्तु जिन क्षेत्रों में हड़ताल नहीं हुई उनके बारे में क्या स्थिति है ?

दूसरे, हड़ताल की अवधि को छोड़कर, पिछले तीन सालों में विलम्ब-शुल्क और घाट-शुल्क क कारण वार्षिक और मासिक हानि हुई। इसके क्या कारण थे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया, देश के अन्य भाग प्रभावित नहीं थे। मुख्य रूप से दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ पूर्वोत्तर राज्य प्रभावित थे।

विलम्ब-शुल्क के बारे में अर्थात् जिन क्षेत्रों में हमें विलम्व-शुल्क देना पड़ा, उनके बारे में मेरे पास पिछले तीन वर्षों के प्रति मास के आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु वार्षिक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	लाख
1972-73	55.98
1973-74	41.10
1974-75	34.9
	(जनवरी, 1975 के अन्त तक के अस्थायी आंकड़े)

समुद्री उत्पादों का विकास

*534. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में समुद्री उत्पादों के विकास के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1974–75 की अवधि के लगभग 15.41 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 1975–76 के अन्त तक समुद्री मछलियों का उत्पादन 16.2 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने का विचार है। इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारें अतिरिक्त यन्त्रीकृत नौकाओं का प्रयोग शुरू करने और आधुनिक फिशिंग गियर तथा तकनालोजी को काम में लाकर मछली पकड़ने की पुरानी नौकाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिये कदम उठा रही हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को आयात करने, मछली पकड़ने के जलयानों के निर्माण के लिये देशी जहाज-विनिर्माण यार्डों को मजबूत बनाने तथा मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास करने का भी प्रस्ताव है।

2. इस समय डिब्बाबन्दी एवं हिमित उत्पादों के लिये मछलियों की केवल थोड़ी सी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है। इन उत्पादों के उपयोग में लाई जाने वाली मछलियों का अनुपात बढ़ाने का भी विचार है। समेकित मत्स्य की परियोजना फिश राउण्ड, फिश फिलेट, स्लाइसेस, पोर्शन्स, खीमा, सूप, आदि विभिन्न समुद्र उत्पादों के विकास के लिये प्रयास जारी रखेगा। उत्पादन केन्द्रों को विपणन केन्द्रों से मिलाकर एक कोल्ड चेन स्थापित करने और चुने हुए स्थानों पर शीतागार एवं परिसंस्करण एककों की स्थापना करने की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

3. समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी कई कदम उठाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, जिसमें सालडिन की डिब्बाबन्दी के लिये एल्यूमीनियम डिब्बों का निर्माण करने के लिये पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर माडल संयंत्रों की स्थापना करना, उन्नत किस्म की मशीनरी की खरीद करना एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिये सहायता देना, संयंत्र में निरीक्षण योजना प्रारम्भ करना, आदि शामिल हैं।

श्री सी० जनार्दनन : क्या सरकार की मत्स्य-पालन का विकास करने हेतु ट्राली खरीदने के लिये इस क्षेत्र के छोटे व्यापारियों की सहायता करने की कोई ठोस योजना है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : एक योजना है जिसके अन्तर्गत 60 ट्रालियों का आयात किया जायेगा और 60 ट्रालियों का देश में ही निर्माण किया जायेगा और इन व्यापारियों को ये ट्रालियां दी जायेंगी परन्तु बहुत से लोग इसके लिये आवश्यक साधन नहीं जुटा सके और इसीलिये प्रगति धीमी है ?

श्री सी० जनार्दनन : मैंने यह पूछा था कि क्या छोटे व्यापारियों को उदारतापूर्वक ऋण देकर उनकी सहायता करने की कोई ठोस योजना है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम रिजर्व बैंक, बैंकिंग विभाग और राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधियों से पूछेंगे कि वे कहां तक सहायता कर सकते हैं। इससे अधिक हम इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते

श्री सी० जनार्दनन : यदि इन छोटे व्यापारियों को सहायता नहीं दी गई तो यूनियन कार्बाइड, टी० सी० ए०, बिरला, टाटा आदि एकाधिकारी इस क्षेत्र में प्रवेश कर जायेंगे। इसकी रोकथाम के लिये क्या सरकार कोई दृढ़ निर्णय लेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं। छोटे व्यापारियों को भी प्रत्येक को 60 लाख से 80 लाख रुपये जुटाने होंगे और वे इसी आधार पर आवेदन करेंगे कि वे साधन जुटा लेंगे। फिर सरकार से आप क्या सहायता चाहते हैं? यद्यपि इन लोगों को छोटी नौकायें अलाट की गई हैं तथापि ये धन एकत्र करने में असमर्थ हैं जबकि अन्य लोगों ने 40 लाख से 80 लाख रुपये तक की व्यवस्था कर ली है।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या समुद्री उत्पादों के विकास के लिये माल्पे पर एक मत्स्य पालन बन्दरगाह बनाने की कोई योजना बहुत अर्से से नित्रेश बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है और यदि हां, तो इस योजना को निबटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके लिये माननीय सदस्य को एक अलग प्रश्न की सूचना देनी होगी। ऐसा प्रस्ताव तो विचाराधीन है किन्तु मैं बिना सूचना के ठीक-ठीक जानकारी नहीं दे सकता।

श्री बी० वी० नायक : मान लीजिये सभी 120 ट्रालर आ जाते हैं और बड़े लोग उन्हें खरीद सकेंगे तो क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की लागत वाले जहाजों में जहाज के मालिकों को केवल 5 से 10 प्रतिशत तक का ही लाभ मिलता है। इसलिये क्या वाणिज्य नौसेना के बड़े बड़े जहाजों की शर्त पर आप लगभग पांच या 10 प्रतिशत के परिव्यय के लिये उपबन्ध नहीं कर सकते और आप ट्रालरों को ही क्यों चाहते हैं? आप छोटे और मध्यम मछेरों को यंत्रीकृत मत्स्य नौकायें क्यों नहीं देते जिनकी कीमत लग-भग एक लाख रुपये है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वास्तव में इसका तट के नजदीक मछली पकड़ने के काम से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि छोटे जहाज तो समुद्र के नजदीक कार्य कर सकते हैं। देश में 11000 जहाज काम कर रहे हैं उन पर कोई रोक नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon'ble Minister has stated that we gave licences to small operators but they did not utilise them and, therefore, we had to give licences to the capitalists. I want to know whether we have ever cared to know the difficulties of the small operators? Will you help them so that they may be able to do deep-sea fishing and thus the monopoly of the big people ends?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम छोटे और मध्यम मछेरों के पक्ष में हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश छोटे मछेरे उन्हें दिये गये ट्रालरों का इस्तेमाल नहीं कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि न तो बड़े मछेरे और न ही छोटे मछेरे कार्य कर रहे हैं। दूसरे देश समुद्री तट के पास मत्स्यपालन कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: Why couldn't they use them? What were their difficulties and will you remove their difficulties?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वे संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं।

श्री वयालर रवि : ट्रालरों को अलाट करने में काफी विलम्ब हो गया और जिसके कारण विदेशी फर्मों से मिलने वाले ट्रालरों की संख्या भी दुगुनी हो गई। समुद्री विकास प्राधिकरण, जो समुद्री उद्योग के निर्यात और विकास की देखरेख करता है के साथ ट्रालर अलाट करने के मामले में बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने बड़े-बड़े लोगों को इस शर्त पर 58 ट्रालर अलाट किये कि वे मजगांव गोदी को आर्डर दें। कुछ बड़े लोगों ने मजगांव गोदी को आर्डर दिये लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया। क्या उन्होंने मजगांव गोदी से पता किया है कि उसके पास कितने ट्रालरों के लिये आर्डर गये और कितने आर्डर रद्द किये गये? उन्होंने समुद्री विकास प्राधिकरण से परामर्श क्यों नहीं किया? इसीलिये सभी एकाधिकारियों को लाभ हो रहा है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समुद्री विकास प्राधिकरण वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण में है और वाणिज्य मंत्रालय इन सभी मामलों में साथ रहा है। सभी निर्णय सभी मंत्रालयों को शामिल करके लिये जाते हैं।

श्री वयालार रवि : यह एक बहुत संगत बात है जिसका माननीय मंत्री उत्तर न दे रहे हैं। इसमें एक चाल है मैं जिसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सम्बन्धित मंत्रालय के बारे में प्रश्न पूछिये।

वर्ष 1975 में भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने के लिये सामाजिक सुधारों का कार्यक्रम तथा उपाय

*540. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में मनाने के दौरान भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने के लिये सरकार ने विशिष्ट सामाजिक सुधारों तथा उपायों का वृहद् कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या-क्या कार्य सम्मिलित हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र, जिसमें यह जानकारी दी गई है, सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

स्त्रियों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न सामाजिक सुधार किये गये हैं जिनमें विधि: निर्माण और विकासात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। भारत सरकार ने भारत में स्त्रियों की हैसियत की विस्तृत अध्ययन करने तथा इस सम्बंध में सिफारिशें करने के लिये एक

समिति भी नियुक्त की थी । भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बद्ध समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसे सदन के पटल पर रखा जा चुका है । विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श से इन सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को मनाने के लिये कार्यक्रम बनाने तथा उनके कार्यान्वियन का पुनरावलोकन करने के लिये भारत सरकार ने 1974 के अन्त में एक राष्ट्रीय समिति गठित की थी । प्रधान मंत्री जी इसकी अध्यक्षा तथा 37 प्रमुख महिलायें इसकी सदस्याएं हैं । 1975 के लिये कार्यक्रम को अंतिम रूप से तैयार करने के लिये समिति ने एक कार्यकारी दल को गठित करने का निर्णय किया था । कार्यकारी दल ने कार्य की एक योजना बनाई है, जिसकी मुख्य बातें सभी उपलब्ध प्रचार साधनों के द्वारा, जिनमें रेडियो, फिल्मों, प्रदर्शनियों, साहित्य, टिकटों, यादगार पुस्तकों, सेमिनारों तथा निबन्ध प्रतियोगिताओं के द्वारा स्त्रियों के कार्य और अधिकारों के बारे सूचना और जानकारी का प्रसार करना शामिल है । इस कार्यक्रम में स्त्रियों द्वारा खेलों में भाग लिये जाने को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान अध्ययन की भी व्यवस्था है । राज्य सरकारों को भी इस वर्ष के लिये कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी गई है ।

3. इस वर्ष के कार्यक्रम के लिये विषय निश्चित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीन विशिष्ट उद्देश्य रखे गये हैं—पुरुषों और स्त्रियों में समानता को बढ़ावा देना, स्त्रियों के विकास कार्य में पूरी तरह लगाना तथा विश्व शांति को बढ़ावा देने में स्त्रियों को लगाना । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कुछ कदम उठाने का विचार है :—

समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित करने के लिये सरकार शीघ्र ही संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करेगी । अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 को अधिक कारगर बनाने के लिये उसमें संशोधन करने के मामले में विधि आयोग के साथ परामर्श लिया जायेगा ।

4. प्रसव अस्पतालों की स्थापना और गर्भ का डाक्टरी समापन अधिनियम को लागू किया जाना सुनिश्चित करने तथा विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन उपबन्धों, लड़कियों और स्त्रियों के लिये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना इत्यादि साधारण कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्त्रियों के लाभ के लिये निम्न-लिखित विशेष कार्यक्रम हैं :—

कार्यक्रम तथा उनके अवयव	1975–76 में प्रस्तावित व्यवस्था
(1)	(2)
	(रुपये लाख की राशियों में)
1. प्रौढ़ स्त्रियों के लिये रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम :	
18—30 वर्ष के आयु वर्ग की स्त्रियों को मिडिल स्कूल/मैट्रिकुलेशन परीक्षाओं के लिये कोचिंग दी जाती है ताकि वे रोजगार प्राप्त	

(1)	(2)
कर सकें। रोजगार की संभावना को देखते हुए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की गई है	48.00
2. स्त्रियों के लिये सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम :	
स्त्रियों को अपने परिवारों की आय को बढ़ाने के लिये पूरे समय का तथा अंशकालिक काम दिलाने की सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु लघु उद्योगिक एककों, दस्तकारी एककों, बड़े उद्योगों के सहायक एककों इत्यादि की स्थापना करने के लिये स्वैच्छिक कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता देना . .	50.00
3. शहरी इलाकों में नौकरी पेशा स्त्रियों के लिये होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिये स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजना :	
नौकरी पेशा स्त्रियों के लिये होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिये स्वैच्छिक कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है	60.00
4. प्रौढ़ महिलाओं के लिये वृत्तिमूलक साक्षरता :	
साक्षरता के अतिरिक्त 15—45 वर्ष के आयु-वर्ग की महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, गृह शिल्प, बच्चों की देखभाल, कला और शिल्प तथा सामाजिक शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जायेगा	62.00
5. परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम :	
इस योजना के अन्तर्गत बच्चों विशेष रूप से स्कूल-पूर्व बच्चों के लिये समेकित सेवाएं और महिलाओं तथा युवक लड़कियों को गृह शिल्प, बच्चों की देखभाल आदि के बुनियादी प्रशिक्षण की सुविधा है	58.00
6. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायक अनुदान :	
महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, वृद्ध एवं निर्बल व्यक्तियों तथा अविद्यार्थी युवकों के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है . . .	150.00
7. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम :	
यह कार्यक्रम स्थानीय प्रयत्नों द्वारा प्रशिक्षण और पौषक खाद्यों के उत्पादन, संरक्षण और उपयोग के माध्यम से अच्छे पौषण की आवश्यकता के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिये ग्रामीण सम्प्रदायों को शिक्षित करने के लिये बनाया गया है .	150.00

8. संबधित महिला कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण :

ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक पोषाहार, बच्चों की देखभाल, स्वच्छता आदि सामुदायिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिये संबंधित महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है । 6.00

9. महिला मंडलों को प्रेरक पुरस्कार :

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक कार्यकर्ताओं के विकास में सराहनीय कार्य करने वाले महिला मंडलों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिये प्रेरक पुरस्कार दिये जाते हैं। 6.00

10. महिला मंडलों का विकास :

ऐसे क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए महिला मंडलों का निर्माण करना जहां ऐसे संगठन नहीं हैं। 4.07

11. अपना कार्य कुशलतापूर्वक और वैज्ञानिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करने के लिये वंशगत मंच का प्रशिक्षण 2.00

12. टिटेनस से बचाव के लिये गर्भवती माताओं के प्रतिरक्षण के लिये विशेष योजना। 9.06

13. लौह तथा फोल्कि एसिडों के उपयोग से माताओं में पौषक एनिमा से बचाव के लिये प्रोफिलेक्सीलज। 16.00

14. डाक्टरी और नर्सरी शिक्षा प्राप्त करने के लिये लड़कियों को छात्र-वृत्तियां । 1.25

15. केन्द्रीय महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 3.73

उपरोक्त में पांचवीं योजना में लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये प्रैरक योजनाओं, जो राज्य क्षेत्र में हैं, के लिये 7991 लाख रुपये की राशि सम्मिलित नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है । 1975–76 के संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान महिलाओं के हितार्थ लगभग 4–1/2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसका उल्लेख विवरण में किया गया है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या समूचे वर्ष के लिए 4–1/2 करोड़ रुपये के इस प्रावधान से महिलाओं की समस्यायें हल हो जायेंगी। वैसे सरकार अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को महत्व दे रही है ।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): मुझे दुख है कि माननीय सदस्य के मन में यह धारणा है कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हितों के लिए केवल 4–1/2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । वास्तव में श्रीमान सभी विकास परियोजनाएं समान रूप से पुरुषों तथा महिलाओं के विकास के लिए ही हैं । कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह है कि विकास-शील गतिविधियां हों और महिलाओं को भी समान रूप से लाभ पहुंचे । यहां जिन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है उन्हें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आरम्भ किया गया है । यह एक और विधायी विधान है जिसे सरकार ने आरम्भ करने का विचार किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय की यह धारणा है कि देश में सामान्य विधायी विधान स्त्री तथा पुरुषों के लिए समान रूप से सहायक है । सारी बात यह है कि हमारे देश में जिस आर्थिक और सामाजिक ढांचे में हम रह रहे हैं, स्त्रियां उनका लाभ उठाने की स्थिति मे नहीं है । मैं इस पर बाद में कहूंगा जब इस पर पूरी चर्चा होगी ।

विवरण से पता चलता है कि सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पेश करने की आशा करती है । मेरा सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि क्या यह स्पष्ट वक्तव्य है या क्या यह केवल आशा है ? यहां कहा गया है "कि सरकार को आशा है ।" मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का विधेयक पेश किया जायेगा अथवा नहीं । यदि हां तो कब तक?

दूसरे जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, जिसका भारत एक सदस्य है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त नियमित किया है तो सरकार ने इसे कार्यान्वित करने में इतना समय क्यों लगाया । इसे देश में लागू करने के लिए सरकार ने कोई विधायी उपाय लागू क्यों नहीं किया ?

प्रो० एस० नुरूल हसन: यह मामला मेरे सहयोगी, श्रम मंत्री द्वारा निपटाया जा रहा है और उनसे मुझे पता चला है कि वह शीघ्र ही कोई विधेयक पेश करने वाले हैं । मैंने उनका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित किया है, जिस पर वह विचार कर रहे हैं । मुझे आशा है कि वह यथा संभव शीघ्र विधेयक पेश करेंगें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Dairy Farm in Morena District, M.P.

*524. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a dairy farm on a large scale in Morena district;

(b) if so, the name of the place in the district where it is proposed to be set up indicating the time by which it is likely to be set up;

(c) whether the Madhya Pradesh Government requested Central Government for setting up a dairy farm in that district; and

(d) reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

नई खाद्य नीति

*525. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नई खाद्य नीति तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इसे अंतिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). गेहूं संबंधी नई नीति की मुख्य बात यह है कि व्यापारिक खाते में एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी संचलन नहीं होगा। नई नीति की मुख्य-मुख्य बातों को बताने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विपणन मौसम 1975–76 की गेहूं की मूल्य तथा अधिप्राप्ति नीति, जोकि सरकार के विचाराधीन थी, अब 24 मार्च, 1975 को घोषित कर दी गई है। नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं —

1. गेहूं की सभी किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य, जैसा कि कृषि मूल्य आयोग ने अभिस्तावित किया है, 105 रुपये प्रति क्विंटल बनाए रखा गया है।

2. केन्द्र पूल के लिए अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए नीति के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त बोनस योजना शुरू की जाएगी।

3. सरकारी वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से दिए जाने वाले गेहूं के स्टाक का निर्गम मूल्य मौजूदा स्तर पर ही यथावत बना रहेगा।

4. अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के हित में प्रत्येक राज्य को एक अलग जोन मान कर गेहूं के अंतर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध जारी रहेंगे और केन्द्रीय सरकार के खाते को छोड़कर राज्य के बाहर गेहूं के किसी भी संचलन की इजाजत नहीं दी जाएगी।

5. विनियमित मंडियों में और/अथवा लेवी की प्रणाली के माध्यम से खरीद-दारी करने जैसे अधिप्राप्ति के तरीके का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

6. राज्य के अन्दर गेहूं जकी बिक्री का कार्य राज्य सरकारों द्वारा यथा आवश्यक उपयुक्त प्रशासनिक/सांविधिक उपायों के माध्यम से विनियमित किया जाएगा।

इंडियन पोटाश लिमिटेड

*530. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पोटाश लिमिटेड के चालीस प्रतिशत से अधिक शेयर तीन विदेशी स्वामित्व वाले बड़े व्यापार गृहों के पास हैं; और

(ख) क्या सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं के इस कम्पनी में लगभग पचास प्रतिशत शेयर हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) इस कम्पनी में सार्वजनिक क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं के 64 प्रतिशत शेयर हैं।

पश्चिम बंगाल के सहकारिता ऋण ढांचे संबंधी अध्ययन दल

*531. **श्री एम० एस० पुरत्ती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सहकारिता ऋण ढांचे का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई अध्ययन दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो दल का ब्यौरा क्या है तथा दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य बातों क्या हैं; और

(ग) दल की रिपोर्ट की क्रियान्वित के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—9353/75]**

शास्त्री की डिग्री प्राप्त शिक्षकों के वेतमान

*532. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों द्वारा दी गई संस्कृत में शास्त्री की डिग्री प्राप्त अध्यापकों को सरकार प्रशिक्षित स्नातक भाषा-शिक्षक मानती है ;

(ख) क्या शास्त्री की डिग्री तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त संस्कृत शिक्षकों को दिल्ली प्रशासन द्वारा 170--380 रुपये का प्रशिक्षित स्नातक वेतनमान दिया जाता है; और

(ग) क्या कुछ संस्कृत अध्यापकों को दिल्ली प्रशासन द्वारा सेलेक्शन ग्रेड दिया जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). सितम्बर, 1962 में, सरकार ने 170--380 रुपये के वेतनमान में दिल्ली में राज्यकीय स्कूलों में नियुक्त ग्रेड-II संस्कृत अध्यापकों के लिये मिश्रित उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा VIII से X को पढ़ाने के लिये, कुछ अर्हताएं निर्धारित की थीं। (प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का पुराना वेतनमान परिशोधित करके अब 440--750 रुपए का कर दिया गया है) इन अर्हताओं में सितम्बर, 1965 में कुछ परिवर्तन किया गया था तथा निर्धारित परिशोधित अर्हताएं निम्नलिखित हैं :--

(i) पूर्ण विषय के रूप में संस्कृत के साथ बी० ए० तथा शिक्षा/अध्यापन में एक डिग्री, अथवा

(ii) बी० ए० के बराबर अथवा उससे अधिक संस्कृत में प्राप्य डिग्री, अधिमानतः कुछ अध्यापन अनुभव के साथ;

अथवा

(iii) संस्कृत में एम० ए०, अधिमानतः कुछ अध्यापन अनुभव सहित तथा अंकों की उच्च प्रतिशता।

इन आदेशों के अनुसार, जो संस्कृत अध्यापक इन अर्हताओं को पूरा करते थे उन्हें दिल्ली प्रशासन द्वारा 170—380 रुपये का वेतनमान दे दिया गया है।

सरकार ने संस्कृत में भाषा अध्यापकों की नियुक्ति के सीमित प्रयोजनों के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा बोर्डों द्वारा आयोजित संस्कृत में शास्त्री की परीक्षा को बी० ए० के समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्री को बी० एड० अथवा बी० टी० के बराबर मान्यता प्रदान की है।

दिल्ली प्रशासन भाषा अध्यापकों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करता है जिसमें संस्कृत अध्यापक भी शामिल हैं।

अध्यापकों के जिन विभिन्न वर्गों को 5 सितम्बर, 1971 से प्रवरण ग्रेड स्वीकृत किये गये हैं वे उन संस्कृत अध्यापकों को भी दिये गये हैं जो भाषा अध्यापकों के संयुक्त काडर में शामिल हैं।

ग्रामीण विकास पर विश्व बैंक नीति पत्र

***535. श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास पर विश्व बैंक नीति पत्र की ओर दिलाया गया है, जिस में कहा गया है कि विकासशील देशों में सरकारी परिषदों में ग्रामीण निर्धनों को या तो प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं जाता या अपर्याप्त दिया जाता है और उन के लिए सरकारी खर्च का असमान वितरण होता है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विकास नीति पत्र में कही गयी इस बारे में तथा अन्य बातों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में ग्रामीण लोगों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :

(ख) यह विश्व बैंक की गोपनीय रिपोर्ट है जो उसके कर्मचारी-वर्ग के प्रयोग के लिए तैयार की गई थी तथा जो उनके ऋणदायी कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु उनके लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्वरूप की है। अतः सरकार की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक ग्रामीण जनता के कम से कम 30 प्रतिशत प्रति व्यक्ति खपत को प्रचुर रूप से बढ़ाना है। इसका अर्थ है कि लगभग 260 लाख अत्यधिक गरीब ग्रामपरिवारों की आय अवश्य बढ़नी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। इन कार्यक्रमों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास, पशुपालन और मछलीपालन के विकास के लिए योजनाएं, रेशम के कीड़े पालने की योजनाएं, छोटे और सीमान्त किसानों के लिए योजनाएं, कमांड क्षेत्रों का समन्वित विकास, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास, भूमि सुधार विधान का कार्यान्वयन, कुटीर उद्योगों और कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास, कृषक/ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में सहकारी समितियों का विकास, कीमतों की घटत-बढ़त से उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने हेतु कृषि-संबंधी वस्तुओं के लिए कीमतों में राहत पहुंचाने वाले उपाय व कृषि-संबंधी उत्पादन को बढ़ाने के हेतु कृषि-संबंधी तकनीकी में सुधार के लिए विभिन्न अन्य उपाय अपनाना।

पांचवीं योजना अवधि में शुरू किये गये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की मुख्य रूप से परिकल्पना की जाती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पहलुओं, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, में ये शामिल हैं—14 साल तक के बच्चों के लिए उनके घरों के यथासम्भव निकट प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना, ऐसे ग्रामों को पेयजल की सप्लाई करना जो परम्परागत जल की कमी से पीड़ित हैं तथा

जहां पानी के असुरक्षित संसाधन हैं, 1,500 या अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी ग्रामों के लिए प्रत्येक मौसम में प्रयोग हो सकने वाली सड़कों की व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए सुधरे निवासों की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुनिश्चित करना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, पौष्टिक आहार व परिवार नियोजन के लिए सप्लाई पद्धति।

ऊपर के सभी कार्यक्रम देश की ग्रामीण जनता की समाजार्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिये बनाये जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना

*536. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में नये चीनी कारखानों की स्थापना में बाधक वित्तीय और अन्य कठिनाइयों से सरकार अवगत है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रेनीगुण्टा में नये सहकारी चीनी कारखाने के लिए कृषकों द्वारा अपेक्षित मात्रा में शेयर पूंजी ले लिये जाने पर भी कारखाने की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) नये सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना की गति में तीव्रता लाने और कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) संयंत्र और मशीनरी तथा उनको लगाने और स्थापित करने की लागत में वृद्धि होने के कारण सहकारी क्षेत्र की नई लाइसेंसशुदा चीनी फैक्ट्रियां कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रेनीगुंटा में स्थित नई सहकारी चीनी फैक्ट्री ने अब तक केवल 106.00 लाख रुपये की शेयर पूंजी एकत्रित की है, जिसमें उत्पादक सदस्यों से लिये गये 52.00 लाख रुपये और राज्य सरकार से प्राप्त किये गये 54 लाख रुपये शामिल हैं। सहकारी फैक्ट्री ने संयंत्र और मशीनरी के लिए टेंडर मंगवाये थे लेकिन अभी तक आर्डर नहीं दिये गये हैं।

(ग) पूरी परियोजना की अत्यधिक बढ़ती हुई लागत को देखते हुए, नई लाइसेंसशुदा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उनका अध्ययन करने के लिये तथा विभिन्न प्रोत्साहनों तथा अन्य उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1974 में एक समिति स्थापित की थी ताकि इन फैक्ट्रियों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। समिति की इस रिपोर्ट पर सरकार काफी हद तक विचार कर चुकी है।

खाद्यान्नों की वसूली के लिये लेवी प्रणाली

*537. **श्री गजाधर माझी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें खाद्यान्नों की वसूली के लिये लेवी प्रणाली लागू कर दी गई है; और

(ख) उन्होंने कितनी प्रगति की तथा इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :(क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०–9354/75]

उचित दर की दुकानों पर विदेशी तथा भारतीय खाद्यानों की बिक्री से हुआ घाटा

*538. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष सरकार को उचित दर की दुकानों पर विदेशी तथा भारतीय खाद्यान्नों की बिक्री से बहुत अधिक घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) इस घाटे को कम करने के लिए सरकार का आगामी वर्ष में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ) वर्ष 1974-75 के दौरान केन्द्रीय पूल को खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए निर्गम मूल्य और आयातित तथा देश के अन्दर अधिप्राप्त खाद्यान्नों की इक्नामिक लागत के बीच अन्तर के कारण 295 करोड़ रुपये की राज सहायता देनी पड़ी थी। राज सहायता के भार को कम करने के लिए अनेक पग उठाये जा रहे हैं।

संविधान की नवीं अनुसूची में तमिल नाडु राज्य के भूमि सुधार कानूनों को शामिल करना

*539. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तमिल नाडू राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये गये भूमि सुधार कानून न्यायालयों द्वारा लागू होने से रोक दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने संविधान की नवीं अनुसूची में इन्हें शामिल करने के लिए पैरवी की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी हां।
(ख) जी हां।

(ग) संविधान (चौंतीसवें संशोधन) विधेयक को अधिनियमित करने से पहले तमिलनाडु सरकार ने उल्लेख किया था कि उच्चतम न्यायालय ने गुडालुर जन्मम् सम्पत्ति अधिनियम, 1969 को रद्द कर दिया है। यह अधिनियम नवीं अनुसूची में शामिल था। भूमि सुधार के कुछ अन्य कानूनों को नवीं अनुसूची में शामिल करने के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया था और उन्हें कहा गया था कि अधिनियम को राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने के लिए इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है और इन संशोधनों को करने के पश्चात् इसे नवीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है।

ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिये कालेजों और विश्वविद्यालयों को सहायता

*541. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री पी० गंगादेव :

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए कालेजों और विश्वविद्यालयों को सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) ग्रामीण वातावरण के अनुकूल डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यापक रूपरेखाएं और पद्धति तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की थी। समिति ने अखिल भारतीय आधार पर सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित एक बुनियादी पाठ्यक्रम, अध्यापकों के पुनरनुस्थापन, परम्परागत पाठ्यक्रमों को क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं से सम्बद्ध करने तथा अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर लघुकालीन रोज़गारोन्मुख पाठ्यक्रमों की सिफ़ारिश की थी।

समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि विषयों के ऐसे विभिन्न विषय-वर्ग तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्ति की जाए जिनको विश्वविद्यालयों को अपनाने के लिए सिफ़ारिश की जा सके। ऐसी समिति नियुक्त की गई थी और उसने विषयों के वर्ग की सूची तैयार की थी और यह सिफ़ारिश की थी कि प्रायोगिक आधार पर इन पाठ्यक्रमों को कुछ चुने हुए कालेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाए और पूंजी गत खर्चे तथा नए स्टाफ़ की नियुक्ति करने के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, आवर्ती खर्चे को भी पूरा करने के लिए आयोग को बुनियादी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त सिफ़ारिशों को सामान्यता स्वीकार कर लिया है और एक कार्यान्यिवन समिति नियुक्ति की है जो योजना के ब्यौरे तैयार करेगी, जिसमें वे मदें भी शामिल हैं जिनके लिए सहायता दी जाएगी ; समिति, सहायता की मात्रा तथा संस्थाएं चुनने के लिए आधार भी तय करेगी तथा इस प्रयोजन के लिए कालेज/विश्वविद्यालय भी चुनेगी।

दिल्ली में राशन कार्डधारियों को सप्लाई किये गये चावल की किस्म

*542. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री नवल किशोर शर्मा ।

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि दिल्ली में राशन कार्डधारियों को किस किस्म का चावल सप्लाई किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को घटिया किस्म का चावल सप्लाई करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली निवासियों को कब से बासमती चावल की सप्लाई नहीं की गयी है और क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से दिल्ली निवासियों को बासमति अथवा अच्छे किस्म का चावल सप्लाई करने का कोई विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). दिल्ली में उचित मूल्य की दूकानों को केवल मोटा चावल सप्लाई किया जा रहा है। यह उचित औसत किस्म की निर्दिष्टियों के अनुरूप है।

स्टाक उपलब्ध न होने के कारण जनवरी, 1975 से बासमती चावल सप्लाई नहीं किया गया है। दिल्ली में उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से शीघ्र ही "परमल" चावल देने का प्रस्ताव है ।

गेहूं तथा मोटे अनाज के लिये राजसहायता

*543. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की राजसहायता विशेषकर गेहूं-उपभोक्ताओं के लिए ही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मोटे अनाजों की बिक्री में भी किसी हद तक राजसहायता प्रदान की जाती है ;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल के वितरण से कोई हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). आयातित गेहूं और माइलो के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य ऊंचे होने के कारण ही पर्याप्त मात्रा में राजसहायता का भुगतान करना पड़ा है । तथापि, देशी गेहूं के निर्गम मूल्य में भी राजसहायता का मामूली अंश है । देशी मोटे अनाजों पर राजसहायता देशी गेहूं अपेक्षा मामूली अधिक है । इस समय केन्द्रीय स्टाक से चावल के वितरण पर कोई राजसहायता नहीं है ।

Tapti Canal Project

5077. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the extent to which work has been completed on the Tapti Canal Project started by Maharashtra Government in eastern Nimar district of Madhya Pradesh; and

(b) time likely to be taken for its completion?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) and (b). Upper Tapti Project Stage II, a joint venture of the States of Maharashtra and Madhya Pradesh, envisaging irrigation benefits to Nimar district of Madhya Pradesh also, has not been approved. The work on the project has not yet started.

जवाहरलाल नेहरू तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा नये वेतन-मानों को अस्वीकार किया जाना

5078. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने नए वेतनमानों को इसलिए अस्वीकार कर दिया है कि इन वेतनमानों के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों की इस अस्वीकृति के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इन शर्तों को लगाने के सम्बन्ध में अपने रूख में कुछ परिवर्तन करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शैक्षणिक तथा कार्यकारी परिषदें नए वेतनमानों को उनके साथ जुड़ी शर्तों के साथ लागू करने के लिए सहमत हो गई हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् ने कार्यकारी परिषद् को यह सिफ़ारिश करने का निर्णय किया है कि परिशोधित वेतनमानों को लागू करने से सम्बन्धित आदेशों के साथ लगाई गई शर्तों के अनुसार अध्यादेशों में संशोधन किया जाए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यभारी कर्मचारियों से स्थानान्तरित श्रेणियों में नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

5079. **श्रीमती रोजा विधाधर देशपांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सभी यूनिटों को नियमित सिब्बंदी में स्थानान्तरित की गयी कर्मचारियों की श्रेणियों के स्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है तथा सभी सम्बन्धित पक्षों को परिचालित कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन किन यूनिटों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम में पदोन्नति

5080. श्री अम्बेश :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रथम, दूसरी, तीसरी तथा चतुर्थ श्रेणियों में, श्रेणीवार, पदवार तथा वर्षवार कितनी पदोन्नतियां हुई हैं ;

(ख) पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को श्रेणीवार, वर्गवार तथा वर्षवार कितने स्थान दिये गए हैं;

(ग) क्या उन स्थानों पर जिनके लिए पदोन्नति हेतु श्रेणीवार, वर्गवार तथा वर्षवार रक्षित कोटा का/है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति करके विभागीय पदोन्नति समितियों/जोनल पदोन्नति समितियों/क्षेत्रिय पदोन्नति समितियों द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोटा भरा गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो आरक्षित प्रत्याशियों को पदोन्नति करके कोटा पूरा करने के लिए क्या विशेष कदम उठाय जा रहे हैं और आरक्षित कोटा पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ). भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में एक खेलकूद स्कूल की स्थापना

5081. श्री वयालर रवि : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार के राज्य में एक खेलकूद स्कूल की स्थापना सम्बन्धी अनुरोध पर अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) . खेलों के लिए स्कूलों की स्थापना की योजना को पांचवीं योजना के प्रस्तावित आंवटन के अनुसार अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। उनको किन स्थानों में स्थापित किया जाए, इस प्रश्न का निर्णय योजना के अंतिम रूप के अनुसार किया जाएगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल डिवीजन के जूनियर इंजीनियर के पुराने कार्यालय को परिवार क्वार्टरों में बदला जाना

5082. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल डिवीजन के अन्तर्गत पालिरम स्थित जूनियर इंजीनियर के पुराने कार्यालय को परिवार क्वार्टरों में बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों को ये क्वार्टर दिए गए हैं ;

(ग) क्या कुछ क्वार्टरों में रहने वालों से किराया नहीं लिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पुराने कार्यालय भवन के कुछ कमरे रिहायशी प्रयोजन के लिए आवंटित किए गये हैं ।

(ख) तीन--एक निर्माण-कार्य सहायक, एक सहायक आप्रेटर तथा एक चौकीदार।

(ग) किराया, इनकी दखल की तिथि से लेने का प्रस्ताव है । अलग अलग व्यक्तियों के वेतन से मार्च, 1975 से पूर्व की अवधि के बकाया किराये की एक किस्त तथा मार्च, 1975 का किराया वसूल किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग समितियों को भूमि का आवंटन

5083. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में प्लाट होल्डर्स समितियों की अपेक्षा ग्रुप हाउसिंग समितियों को मंहगे भाव पर भूमि का आवंटन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां । सहकारी आवास समितियां को दो वर्गों में बांटा जा सकता है । पहले वर्ग की समितियां वे हैं जिन्हें उन के सदस्यों द्वारा प्लाट आवास के निर्माणार्थ अविकसित भूमि दी गई है । ऐसे मामलों में विभाजित समस्त लागत सहकारी आवास समिति द्वारा वहन की जाती है और समिति द्वारा अपने सदस्यों को आवंटित प्रत्येक प्लाट पर विभाजित कर दी जाती है । सहकारी आवास समितियों का दूसरा वर्ग वह है जिन्हें ग्रुप आवास प्रयोजनों के लिए अर्ध-विकसित भूमि दी गई है । क्योंकि ग्रुप आवास समितियों को अर्ध-विकसित भूमि आवंटित की जाती है , अतः उनसे अपेक्षाकृत अधिक मूल्य लिया जा रहा है ।

Mini World Hockey Tournament

5084. **Shri Bhagatram Rajaram Manhar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Indian Hockey Federation has sought permission of Government of India to organise Mini World Hockey Tournament sometime in October;

(b) the names of the countries whose teams are being invited to participate; and

(c) the amount of financial assistance to be provided by Government for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) to (c). The Indian Hockey Federation has been permitted to invite Hockey teams from Netherlands, Australia, Pakistan, Spain, Germany, Poland, England, New Zealand and Malaysia on the occasion of celebrations of the Golden Jubilee of the Indian Hockey Federation. No request for financial assistance from the Government has, however, been received from the Federation, so far.

बालासौर, उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिये 'अपर रीच' पर बांध

5085. **श्री श्याम सुन्दर महापत्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमा पानी को निकालने के लिए बालासौर जिले में भोगरई क्षेत्र से समुद्र तक के लिए सीधे कटान की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस कटान और नाले की खुदाई से इस क्षेत्र में बाढ़ का आना कम होगा; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रतिशत तक, क्या बाढ़ से रक्षा के लिए इन छोटे कामों पर भरोसा करते हुए अपर रीच पर बांध बनाने की आवश्यकता को टाला जा सकता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सुवर्ण रेखा के बाढ़ जल के निकास के लिये, उड़ीसा की राज्य सरकार ने बालासोर में भोगराई क्षेत्र से समुद्र तक दो सीधे कटानों का प्रस्ताव किया है । इन प्रस्तावों के कार्यान्वियन के लिए अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग). इन सीधे कटानों तथा जल-निकास कार्यों में सुधार करने से बाढ़-जल को निकालने में सहायता मिलेगी जिससे जलमग्नता की अवधि कम हो जाएगी । बहरहाल, इस समग्र होने वाली जलमग्नता को दीर्घकालीन अवधियों के कारण निम्न रीचों में इन उपायों के प्रभाव बहुत अधिक नहीं होते तथा इनसे बाढ़ों को कम करने के लिए प्रतिप्रवाह में जलाशय को आवश्यकता खत्म नहीं होगी ।

Civic amenities in J.J. Colony General Store, Punjabi Bagh, New Delhi

5086. **Shri Purushottam Kakodkar:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether even after lapse of many years public latrines and urinals have not been provided in Jhuggi Jhonpri Colony, General Store, Punjabi Bagh and Jhuggi Jhonpri Colony, Road No. 7, Punjabi Bagh, New Delhi;

(b) whether any stay order was issued in this regard, and if so, the details thereof; and

(c) action taken by Government in this regard and the time by which the aforesaid work will be executed?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) and (b). Construction of public latrines and bathrooms was taken up in the J.J. Cluster near General Store, Punjabi Bagh (Road No. 41) under the Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas, but could not be completed because of a stay order issued by the Hon'ble High Court of Delhi on the 6th March, 1973 on a petition filed by the Punjabi Bagh Refugee Cooperative Housing Society. As the J.J. Colony, Road No. 7, Punjabi Bagh is also covered by the stay order, construction of latrines and urinals in this area has not been taken up.

(c) Decision of the Court is being awaited.

पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों और उनके स्थान का अलाटमेंट

5087. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब वक्फ़ बोर्ड ने जालंधर की मस्जिद अड्डा बस्तियां, अमृतसर की राम बाग मस्जिद और मस्जिद पड़ताल बाग, रोहतक की मस्जिद शीशे वेलियों वजू टैंक, सुनाम की मस्जिद और करनाल की मस्जिद केरान गेट को या उनके स्थलों के अजनबी लोगों या फ़र्मों को दे दिया है ;

(ख) पट्टेधारियों द्वारा प्रत्येक मस्जिद या उसके क्षेत्र को किस प्रयोजन के लिए काम में लाया जा रहा है ; और

(ग) क्या जालंधर की मस्जिद अड्डा बस्तियां को रेस्टोरेंट-व-बार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश के विभाजन के बाद कई मस्जिदों को या मस्जिदों के गिरने पर उनके स्थानों को कस्टोडियन ने शरणार्थियों को अलाट कर दिये थे या उन पर कुछ व्यक्तियों, असोसिएशनों या फ़र्मों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। जब भूतपूर्व पंजाब में पंजाब वक्फ़ बोर्ड को गठित किया गया तो उसके सामने एक कठिन समस्या यह थी कि उन मस्जिदों या उनके स्थानों का कब्जा कैसे वापिस लिया जाए। बोर्ड से पता चला है कि उसने प्रश्न से संदर्भित मस्जिदों में से किसी को भी किसी व्यक्ति विशेष एसोसिएशन या फ़र्म को अलाट नहीं किया। किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में दारुलउल्लूम, देवबन्द, मजहीन-उल्लूम, सहारपुर और मुफ्ती, मलेरकोटला से परामर्श करने के बाद बोर्ड द्वारा कुछ मस्जिदों के कुछ स्थानों के भागों को आवंटित किया गया है।

(ख) **मस्जिद अड्डा बस्तियां, जालन्धर :**

इस मस्जिद के स्थान के एक भाग को कस्टोडियन ने वर्ष 1947 में एक व्यक्ति विशेष को आवंटित किया गया था जिसने वहां एक कमरा बना लिया था। बाद में उसने मस्जिद के स्थान के बाकी भाग पर भी अनधिकृत रूप से अपना कब्जा जमा लिया। मस्जिद के इस स्थान को एक रेस्टोरेन्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

मस्जिद राम बाग, अमृतसर

इस मस्जिद पर सनातन धर्म मन्दिर ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है ।

मस्जिद पड़ताल बाग, अमृतसर

अमृतसर में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है ।

मस्जिद शोशे बेलिआं वजू टैंक, रोहतक

मस्जिद से दूर ढके बरान्डे के कोने वाले इस टैंक को ढक दिया गया था और इसे अब दुकान रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । मस्जिद को प्रार्थना के लिए काम में ही लाया जा रहा है ।

सुनाम की मस्जिद

मस्जिद (जो विभाजन के बाद गिर गई थी) के स्थान के एक भाग में बना हुआ कमरा विभाजन के बाद से ही आवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

करनाल की मस्जिद करान गेट

इस मस्जिद को करनाल इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट ने गिरा दिया था। मस्जिद के स्थान पर एक शोरूम बनाया गया है जिसे प्रयोग में लाया जा रहा है । प्रथम तल पर मुजरा शौचालय तथा एक प्रार्थना हाल बनाया गया है और प्रार्थना हाल में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जानी हैं। प्रथम तल (जो एक मस्जिद है) प्रार्थना करने के लिए है ।

(ग) पंजाब वक्फ़ बोर्ड ने सूचित किया है कि मस्जिद का स्थान बार के रूप में नहीं अपितु रैस्टोरेन्ट के रूप इस्तेमाल हो रहा है ।

World Bank Aid for Development of Cattle and Milk in Rajasthan

5088. **Shri Martand Singh:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Central Government have under their consideration a scheme for starting consolidated programme for the development of cattle and production of milk in Rajasthan with the assistance of World Bank;

(b) whether on the invitation of World Bank a delegation of the officers of the Ministry and of the Governments of Rajasthan visited U.S.A. for discussion on this scheme; and

(c) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Project has already been approved for assistance by I.D.A. The State Government is taking steps to complete up the pre-requisites for the implementation of the project. Some progress has already been made in this direction.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल डिवीजन के अन्तर्गत बेलदार

5089. **श्री भोला माझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले कुछ बेलदारों को त्रिवेन्द्रम स्थित डिवीजनल और सब-डिवीजनल कार्यालयों में नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बेलदारों का वेतन त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से वसूल किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई बेलदार, जिसका वेतन त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से वसूलनीय है । त्रिवेन्द्रम में स्थित मण्डलीय तथा उपमण्डलीय कार्यालयों में काम करने के लिये तैनात नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Bringing Primary Education under Centre

†**5090. Shri Ram Hedaoo:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether in order to bring about improvements in the primary education in the country, Government are contemplating to bring it under the Centre;

(b) whether this was discussed in the recent Conference of Chief Ministers; and

(c) the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) There is no proposal to make primary education a Central subject.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन का पद

5091. **श्री चौधरी दलीप सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन का पद लगभग छह महीने से रिक्त पड़ा है ;

(ख) क्या इस पद के लिए उस व्यक्ति के नाम पर विचार किया जा रहा है जिन्हें पहले अवसरों पर इस पद के लिये नहीं चुना गया था ; और

(ग) रिक्त पद अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नही ।

(ग) पद के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इसका चयन ध्यानपूर्वक किया जाए । यह मामला विचाराधीन है ।

राज्यों को नाइट्रोजनी उर्वरक का आवंटन

5092. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नाइट्रोजनी उर्वरक का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) राज्यों में नाइड्रोजन उर्वरक की मांग और आवश्यकता कितनी है और चालू वर्ष में राज्यों को इसका कितना-कितना आवंटन किया गया ;

(ग) क्या गुजरात राज्य को उर्वरक की सप्लाई कम की गई है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी कम की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान देश में नाईट्रोजन युक्त उर्वरकों का कुल उत्पादन 12 लाख मीटरी टन होने की संभावना है ।

(ख) राज्यों की आवश्यकताओं के बारे में वर्ष में दो बार अनुमान लगाया जाता है । यह अनुमान प्रत्येक फ़सल-मौसम से पहले लगाया जाता है । 1975 के खरीफ़ मौसम के लिये जरूरतों का अनुमान लगा लिया गया है और 1975-76 के रबी मौसम की जरूरतों का अनुमान, मौसम शुरू होने से पहले अर्थात् जन-जूलाई में लगाया जायेगा । 1975 के खरीफ़ के मौसम के लिये नाईट्रोजन युक्त उर्वरकों की जरूरतों का अनुमान 13.69 लाख मीटरी टन लगाया गया है । फ़रवरी से अप्रैल तक की तिमाही के लिये, राज्यों को 8.38 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन अलाट किया जा चुका है । अगली अलाटमेंट अप्रैल, 1975 के तीसरे सप्ताह में की जाएगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) 'एन' की 17500 मीटरी टन की आनुपातिक वचनबद्धता की तुलना में फ़रवरी, 1975 के दौरान, राज्य को 5600 मीटरी टन एन की सफ़ाई की गई है । सप्लाई में गिरावट, राज्य मैं मांग में कमी होने की वजह से हुई है ।

(ङ) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अलाट किये गये उर्वरक को उठाने के लिये कदम उठाये ।

अक्तूबर और नवम्बर, 1974 के दौरान मध्य प्रदेश को खाद्यान्न के आवंटन में कटौती किया जाना

5093. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर और नवम्बर, 1974 के महीनों के दौरान मध्य प्रदेश को खाद्यान्न के आवंटन में कटौती करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) मध्य प्रदेश के सिधी जिले में खाद्यान्न अभाव की कठिन स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश को सितम्बर, 1974 के लिये केवल 3,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने केन्द्रीय पूल को 10,000 मीटरी टन अतिरिक्त चावल देने की पेशकश की थी और उसके बदले में राज्य सरकार के अनुरोध पर उनको सितम्बर, 1974 में 15,000 मीटरी टन गेहूं का विशेष आवंटन किया गया था। अक्तूबर और नवम्बर, 1974 के लिए सामान्य आवंटन क्रमशः 7,000 मीटरी टन और 12,000 मीटरी टन थे।

(ख) राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्यान्नों का वितरण करना राज्य की ही जिम्मेदारी होती है। सिधी जिले में तथा-कथित कठिन खाद्य स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

गेहूं व्यापार का सरकारीकरण

5094. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में आवश्यकता से अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों में गेहूं व्यापार का सरकारीकरण करने जा रही है;

(ख) क्या गेहूं के निजी थोक व्यापारियों पर नियंत्रण लगाने के लिए वसूली पद्धति में कोई परिवर्तन किया जायेगा; और

(ग) सरकार की इस कार्यवाही से देश में सामान्य जनता को किस सीमा तक राहत मिलेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) लोक सभा/राज्य सभा में 24–3–1975 को घोषित 1975–76 के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति तथा मूल्य-नीति में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य को एक ज़ोन मानकर गेहूं के अंतर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबंध और केन्द्रीय सरकार के खाते को छोड़कर राज्य से बाहर गेहूं के संचलन पर रोक लगाने की भी व्यवस्था है। राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति करने के तरीके का निर्णय राज्य सरकारों

द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकारें राज्यों के अन्दर गेहूं की बिक्री का विनियमन यथा आवश्यक उपयुक्त प्रशासनिक/सांविधिक उपायों के माध्यम से करेंगी।

आशा है कि नई गेहूं-नीति का सुचारु रूप से कार्यान्वयन करने से न केवल कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित अधिप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा बल्कि कुल मिलाकर खाद्य-अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

Hindi Typewriters

5095. Shri Sudhakar Pandey: Will the Minister of **Works and Housing be pleased** to state the action proposed to be taken to supply Hindi Typewriters to those offices under his Ministry which have English typewriters at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): Hindi Typewriters are supplied to various offices according to requirements.

पंजाब में बीजों के उत्पादन के लिये केन्द्रीय सहायता

5096. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गत खरीफ की फसल के दौरान बीजों के उत्पादन के लिए आरम्भ किये गये उद्यम के उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने उस सम्बन्ध में किसी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और चिंसाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये पृथक सम्वर्ग बनाया जाना

5097. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2706 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये एक पृथक् सम्वर्ग बनाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जैसे कि 2 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2706 के उत्तर मे बताया गया है कि श्रेणी-iii के स्तर के पदों तथा अर्हताओं के निर्धारण के बारे में विभिन्न विकल्प विचाराधीन हैं। इस संबंध में निर्णय विभिन्न प्राधिकरणों के परामर्श से लिया जाना है। अतः निर्णय लेने में कितना समय लग जायेगा, यह बताना संभव नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना में लापता/बेकार पड़ी मशीनें

5098. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना की कई लाख रुपये के मूल्य की मशीनें बेकार पड़ी हैं अथवा लापता हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के पास कुछ ऐसी मशीनें हैं जो अभी लगाई जानी हैं और कुछ मशीनें ऐसी हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अतिरिक्त योजना के पास कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनकी उसे अब आवश्यकता नहीं रही और इन्हें बेचा जा रहा है। यह कहना सत्य नहीं है कि दिल्ली दुग्ध योजना की लाखों रुपये की मशीनें लापता हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुड़गांव जिले में एक छोटी सुरंग के द्वारा जल की सप्लाई

5099. **श्रीमती मुकुल बनर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंग से उटावर तक बहने वाली सिंचाई नहर से, तहसील पलवल के गुड़गांव जिले के महेशपुर के निकट राजोला गांव को एक छोटी सुरंग के द्वारा जल की सप्लाई करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यह निर्णय किस तारीख को किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं; और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि बद्हा, महेशपुर, अलिका, बरनीका और राजौलका ग्रामों को भूमि की सिंचाई के लिए गुड़गांव नहर को उत्तावर वितरणी के बायीं तरफ से निकालने वाली राजौलका माइनर के निर्माण के लिए उनकी एक स्कीम है। उन्होंने इस स्कीम के संरेखन के बारे में 24-3-75 को अंतिम निर्णय ले लिया है।

(ख) और (ग): अंतिम निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की जा रही है।

तमिलनाडु में गन्ने की कीमत का क्रियान्वयन

5100. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उस चीनी कारखाने का नाम क्या है जिसने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 और 1973-74 के मौसम के लिये गन्ने का घोषित मूल्य क्रियान्वित नहीं किये हैं; और

(ख) तमिलनाडु सरकार ने क्या मूल्य घोषित किया था और उस चीनी कारखाने ने जो सरकार द्वारा घोषित मूल्य को क्रियान्वित करने में असफल रहा, क्या वास्तविक मूल्य अदा किया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

(मूल्य प्रति मी० टन)

मौसम	फैक्ट्री का नाम	राज्य सरकार द्वारा बताया गया गन्ने का मूल्य	फैक्ट्री द्वारा वास्तव में गन्ने का दिया गया मूल्य
1972-73	थिरू अरूरान शुगर्ज़ .	92.50 रुपये	87.50 रुपये
1973-74	मदुरा शुगर्ज़ . . .	101.12 ,,	98.20 ,,
	अरुणा शुगर्ज़ . . .	102.37 ,,	95.30 ,,
	साऊथ इण्डिया शुगर्ज़ . .	104.75 ,,	91.60 ,,
	थिरू अरूरान . . .	100.00 ,,	92.50 ,,

1973-74 के बारे में चार चीनी फैक्ट्रियों ने राज्य सरकार द्वारा बताये गये मूल्य का भुगतान करने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा भी नहीं बताई है।

गन्दी बस्तियों के वातावरण सुधार सम्बन्धी योजना

5101. श्री मनाथूराम अहिरवार :
श्री गंगा चरण दीक्षित :
क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि में मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर के लिये 39,06,600 रुपये की अनुमानित लागत की कोई गन्दी बस्ती वातावरण सुधार योजना मंजूर की गई थी;

(ख) क्या इस राशि में से वित्तीय वर्ष 1973–74 के अन्त तक उक्त योजना के लिये मध्य प्रदेश सरकार को केवल 28,06,800 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) 11,00,600 रुपये की शेष राशि कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(घ) क्या जून, 1974 में मद्रास में हुए राज्यों के आवास तथा नागरिक विकास मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि चौथी योजना में गन्दी बस्तियों के वातावरण सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये मंजूर राशि में से बची बिना खर्च वाली आगे ले जाई गई राशि के बराबर धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए; और

(ङ) क्या सरकार ने इस सिफारिश को क्रियान्वित करने का निर्णय कर लिया है और यदि नहीं, तो क्यों?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31–3–1974 की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को 28,06,000 रुपये की राशि दी गई है।

(ग) क्योंकि अब यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है अतः निधियां देना भारत सरकार के लिये संभव नहीं होगा।

(घ) मई–जून, 1974 में हुए, आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता की पद्धति को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जाना चाहिए लेकिन इस बात की विशेष रूप से सिफारिश नहीं की गई कि इस योजना के अन्तर्गत जो परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के मुकाबले में आगे ले जाई गई अव्ययित राशि की सीमा तक पूर्णतया वित्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ङ) आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई इस सिफारिश को योजना आयोग के ध्यान में लाया गया है।

विभिन्न केन्द्रों में चावल का थोक और खुदरा मूल्य

5102. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के मामले में मूल्य स्थिर होने की कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है;

(ख) देश के विभिन्न केन्द्रों में चावल के नवीनतम थोक और खुदरा बाजार भाव क्या हैं; और

(ग) उचित दर दुकानों पर चावल की कीमत और उसके बाजार भाव के बीच अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिसम्बर, 1974 के अन्त और मार्च, 1975 के अन्त की अवधि के बीच चावल के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों में चावल के थोक और खुदरा मंडी मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों ने विभिन्न विनियामक उपायों को सख्त कर दिया है ताकि खाद्य कानूनों के उल्लंघन को रोका जा सके जिससे खुले बाजार में उपलब्धता में सुधार लाया जा सके और मूल्यों में कमी लायी जा सके।

विवरण

विभिन्न राज्यों में 26-3-75 को चल रहे चावल (मोटे) के थोक और खुदरा मूल्यों को बताने वाला विवरण।

राज्य	थोकमूल्य (रु० प्रति क्विंटल)	खुदरा मूल्य (रु०प्रति कि०)
1. आन्ध्र प्रदेश	160 से 270	2.10 से 2.30
2. बिहार	190 से 290	2.35
3. गुजरात	285 से 310	3.15
4. हरियाणा	170	उ०न०
5. मध्य प्रदेश	260 से 290	3.00
6. कर्नाटक	204 से 260	उ०न०
7. उड़ीसा	@165 से 240	1.65 से 2.30
8. उत्तर प्रदेश	175 से 270	2.10 से 2.70
9. तमिलनाडु	@213 से 313	उ०न०
10 प० बंगाल	@183 से 265	2.30
11 दिल्ली . . .	220	2.35

@ मोटी और बढ़िया किस्मों के लिए। उ०न०—उपलब्ध नहीं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को अपने अधिकार में लेना

5103. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य को अपने अधिकार में लेने के बारे में 7 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 1838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को अपने अधिकार में लेने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : केन्द्र के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन करने के लिए बिल तैयार किया जा चुका है। चूंकि बिल के कुछ उपबंधों का पुर्नविलोकन करना अपेक्षित है, यह अभी संसद् में प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जब तक इस बिल का अधिनियमिति तथा बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्यान्वियन के लिए असम सरकार को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। 1974–75 के दौरान 6 करोड़ रुपये की रकम दी गई थी। 1975–76 के लिए 4.89 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है।

चावल और गेहूं के वसूली मूल्य

5104. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल और गेहूं के वर्तमान वसूली मूल्य क्रमशः 64 रुपया और 105 रुपया प्रति क्विंटल है और क्या इन दोनों खाद्यान्नों की वसूली इनके निर्धारित वसूली मूल्यों के आधार पर की गई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं जब कि राशन की दुकानों पर चावल, गेहूं से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है और क्या सरकार गेहूं के वसूली मूल्य में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या धान के वसूली मूल्य में भी इसी अनुपात में वृद्धि की जाएगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गेहूं और चावल के वसूली मूल्यों में अन्तर के कारण चावल का उत्पादन करने वाले किसानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). खरीफ़ मौसम 1974–75 के लिए धान (मोटी किस्म) का अधिप्राप्ति मूल्य सभी राज्यों में समान रूप से 74 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान की अन्य किस्मों के अधिप्राप्ति मूल्य और चावल के अधिप्राप्ति मूल्य, पिछले वर्ष में लागू अंतरग्रेड मूल्य-अन्तर को बनाये रखकर निर्धारित किये गये हैं। मुख्यतः केन्द्रीय पूल के लिए लेवी के अधीन अधिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित चावल (कोर्स) के अधिप्राप्ति मूल्य 104 रुपये से 125 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।

रबी विपणन मौसम, 1975-76 के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य देश भर में सभी किस्मों के लिए समान रूप से 105 रुपये प्रति क्विंटल बनाए रखा गया है।

(ग) 1974-75 के लिए पहले ही निर्धारित धान के अधिप्राप्ति मूल्य में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं है।

(घ) जी नहीं।

ट्रैक्टरों की मांग

5105. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टरों की वर्तमान मांग का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित मांगे कितनी होगी; और

(ग) इस समय राज्य-वार कितने ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) इस मंत्रालय द्वारा हाल में एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1974-75 के लिये ट्रैक्टरों की राज्यवार मांग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1.	आंध्र प्रदेश	900
2.	असम	65
3.	गुजरात	5,500
4.	जम्मू तथा कश्मीर	125
5.	केरल	150
6.	मध्य प्रदेश	2,750
7.	कर्नाटक	575
8.	तमिलनाडु	13,000
9.	महाराष्ट्र	425
10.	उड़ीसा	300
11.	पंजाब	6,000
12.	हरियाणा	4,700
13.	राजस्थान	1,900
14.	उत्तर प्रदेश	10,000
15.	पश्चिम बंगाल	200
16.	मेघालय	8
17.	नागालैंड	45
18.	बिहार	3,250
19.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
20.	मणिपुर	10
21.	हिमाचल प्रदेश	180
22.	पांडिचेरी	उपलब्ध नहीं
		50,083

(ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने, जिसने कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ट्रैक्टरों की सम्भावित मांग का अनमान लगाने के लिये विस्तृत और क्रमबद्ध सर्वेक्षण किया है, वार्षिक मांग का निम्नलिखित अनुमान लगाया है :—

	(हजारों में)
1974-75	45.6
1975-76	52.2
1976-77	60.0
1977-78	68.8
1978-79	78.9
	305.5

(ग) गणना के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टरों की संख्या के संबंध में पशु संगणना के भाग के रूप में भी जानकारी एकत्रित की जाती है। पिछली संगणना 1972 में की गई थी जिसके अनुसार अप्रैल 1972 में देश में लगभग 1,70,000 ट्रैक्टर थे। तथापि, इन आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी (दिल्ली के सिवाय) संघ राज्य क्षेत्रों के ट्रैक्टरों की संख्या शामिल नहीं है। उपयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टरों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :—

	संख्या हजारों में
1. आन्ध्र प्रदेश	6
2. असम	6
3. बिहार	7
4. गुजरात	8
5. हरियाणा	20
6. हिमाचल प्रदेश	(*)
7. जम्मू और कश्मीर	(*)
8. कर्नाटक	6
9. केरल	2
10. मध्य प्रदेश	5
11. महाराष्ट्र	6

		संख्या हजारों में
12.	मणिपुर . .	(*)
13.	मेघालय .	(*)
14.	नागालैंड	(*)
15.	उड़ीसा . .	2
16.	पंजाब .	47
17.	राजस्थान . .	12
18.	तमिलनाडु	11
19.	त्रिपुरा . .	उपलब्ध नहीं
20.	उत्तर प्रदेश . . .	30
21.	पश्चिम बंगाल	1
22.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह .	(*)
23.	अरुणाचल प्रदेश . .	उपलब्ध नहीं
24.	दादरा व नगर हवेली .	(क)
25.	दिल्ली . .	1
26.	गोवा, दमन तथा दीव . .	(*)
27.	लक्षदीप .	(*)
28.	मिजोरम .	(*)
29.	पांडिचेरी	(*)
	योग	170

(*) 500 से कम।

फरक्का बांध

5106. श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री शंकर राव सावंत :
श्री रेणुपद दास :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध पूरा हो गया है यदि हां, तो कब तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) जब इस की योजना बनाई गई थी तब इससे किन उद्देश्यों को पूरा करने का विचार था; और

(ग) क्या मूल उद्देश्यों में कोई परिवर्तन किया गया है; यदि हां, तो वह क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) फरक्का बराज परियोजना की अनुमानित लागत 156.29 करोड़ रुपये है। फरवरी, 1975 तक लगभग 130 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। बराज 1971 में पूरा कर दिया गया था। पोषक नहर का खुदाई कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है।

अनुषंगिक तथा नौवहन कार्यों का निर्माण चल रहा है ।

(ख) और (ग) परियोजना का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता पत्तन तथा उसके क्षेत्र का संरक्षण तथा रख-रखाव और भगीरथी हुगली नदी की नौवहनता है । इस परियोजना से संयोगवश संचार सुविधाओं, जल निकास तथा सफाई प्रबंध और कलकत्ता महानगर क्षेत्र जल सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का नियमित किया जाना

5107. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की विभिन्न अधिकृत कालोनियों को नियमित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और किसी अनधिकृत कालोनी को नियमित करने के लिए क्या कसौटी अपनायी गई है ; और

(घ) निकट भविष्य में किन-किन कालोनियों को नियमित किये जाने का प्रस्ताव है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है तथा अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

कल्याण कार्यक्रम हेतु प्राप्त दुग्ध चूर्ण का दुरुपयोग

5108. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण संबंधी कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक दुग्ध संयंत्रों के लिए सफाई किये गये आयातित दुग्ध चूर्ण में से उठाईगिरी किये जाने तथा उस आयातित दुग्ध चूर्ण को बाजार में बेचे जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इस प्रकार की जाने वाली चोरी पर तथा दुग्ध चूर्ण को खुले रूप से बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) दुग्ध संयंत्रों को आयातित दुग्ध चूर्ण औसतन किस मूल्य पर बेचा जा रहा है तथा उनसे लिये जाने वाले उत्पादन शुल्क की शुद्ध दर क्या है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा (जो 1974-75 के दौरान दुग्ध पाउडर को आयात करने वाली एजेन्सी है) द्वारा लिया गया अस्थायी पूल मूल्य 12,000 रु० प्रति मीटरी टन था। आयतित सप्रेटा दुग्ध चूर्ण पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत 'काउन्टरवेलिंग ड्यूटी' ली जाती हैं।

केरल के लिये चीनी का अतिरिक्त कोटा

5109. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने चीनी का कोटा बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1974 के दौरान राज्य को चीनी का कोई अतिरिक्त कोटा दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) केरल सरकार से उनके लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उनके अनुरोध पर मई, 1974 में 1500 मीटरी टन लेवी चीनी का अग्रिम आवंटन किया गया था ताकि वे अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसका समायोजन जुलाई से नवम्बर, 1974 के आवंटनों के प्रति प्रत्येक 300 मीटरी टन की पांच बराबर किस्तों में किया जाएगा।

कृषि विस्तार के लिये पैकेज दृष्टिकोण का सिद्धान्त

5110. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के डा० क० एस० पारिख और श्री श्रीनिवासन ने कृषि विस्तार के लिए पैकेज दृष्टिकोण के सिद्धात का कड़ा विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने उनके सर्वेक्षण की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं और वे इस बारे में किस हद तक सहमत हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) भारतीय सांख्यकीय संस्थान के डा० के० एस० पारिख तथा श्री श्रीनिवासन द्वारा किए गए अध्ययन का

उद्देश्य बुवाई के क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत आए हुए क्षेत्र और पांचवीं योजना के उत्पादन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित उर्वरकों की अनुकूलतम मात्रा को निश्चित करना है । अध्ययन करने पर यह सामान्य निष्कर्ष निकला है कि यदि साधारण उर्वरक परीक्षणों के साथ साथ जानकारी तथा पद्धतियों का व्यापक रूप से प्रसार किया जाए और सिंचाई के साथ साथ अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती का विस्तार किया जाए तो पांचवीं योजना की अवधि में रासायनिक उर्वरकों को थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करके भी उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ।

उर्वरकों के बढ़े हुए मूल्यों को घ्यान में रखते हुए सरकार ऐसे क्षेत्रों म जहां अधिक उपज हो सकती है उपलब्ध उर्वरकों का उपयुक्त ढंग से प्रयोग कराने के लिए प्रयत्न कर रही है । इसके अतिरिक्त ऐसी योजना बनाई गई है जिससे कि पांचवीं योजना में अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई वाले क्षेत्र में 150.0 लाख हैक्टर और सिंचाई वाले क्षेत्र में 122.0 लाख हैक्टर की वृद्धि की जा सके । प्रबन्ध पद्धतियों में सुधार करने के प्रश्न पर भी बल दिया जा रहा है, ताकि खाद्यान्नों के उत्पान के सम्बन्ध में पांचवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

राजसहायता प्राप्त किराया मुक्त आवास के लिये बागान श्रमिकों की आय की अधिकतम सीमा

5111. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजसहायता प्राप्त किराया मुक्त आवास के लिए बागान श्रमिकों के आय की अधिकतमस सीमा बढ़ाने के बारे में राज्यों ने केन्द्र से कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा सुझाव दिया गया है कि बागान कर्मचारियों की उच्चतम आय सीमा 300 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये कर दी जानी चाहिये । इस बारे में, बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक 1974 में एक उपबन्ध शामिल किया गया, जिसे राज्य सभा में पेश किया गया था । विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया था जिस ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस ने वेतन की सीमा बढ़ा कर 750 रुपये प्रतिमास करने की सिफारिश की है । इस विधेयक को संसद् द्वारा अभी पारित किया जाना है ।

महाबलीपुरम स्थित स्मारक पर नियंत्रण

5112. श्री एम० कतामुतु : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाबलीपुरम स्थित स्मारकों का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) ऐसा कोई अनुरोध तमिलनाडु सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान

5113. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 में (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (ग) अलीगढ़ विश्वविद्यालय, (घ) विश्वभारती, (ङ) कलकत्ता विश्वविद्यालय, (च) जादवपुर वि वविद्यालय (छ) कल्याणी विश्वविद्यालय, (ज) उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, (झ) बर्दवान विश्वविद्यालय (ञ) पंजाब विश्वविद्यालय, (ट) बड़ौदा विश्वविद्यालय, (ठ) गोहाटी विश्वविद्यालय, (ड) कटक विश्वविद्यालय को वास्तव में कितना अनुदान दिया गया है ;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान इन विश्वविद्यालयों की मांगों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया गया ; और

(ग) इन वर्षों के दौरान इन विश्वविद्यालयों की कुल मांग कितनी थी अथवा घाटा कितना हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०––9355/75] ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय और राज विश्वविद्यालयों को जिस आधार पर अनुदान दिये जाते हैं, उसमें अन्तर हैं । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के अन्तर्गत अनुरक्षण प्रशासनिक खर्च, कैम्पस विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल हैं । ये अनुदान शत प्रतिशत आधार पर दिये जाते हैं । राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, अनुरक्षण, प्रशासनिक खर्च और कैम्पस विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित पद्धति के अनुसार केवल विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए अनुदान देता है ।

विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उनकी कुल राशि आयोग के पास उपलब्ध राशि से कई गुणा अधिक होती है । अतः प्राथमिकताओं और निरीक्षण समितियों की सिफारिशों के आधार पर, आवेदन किये गये अनुदानों के केवल कुछ भाग की आयोग द्वारा व्यवस्था की जाती है ।

राज्य विश्वविद्यालयों के घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जो विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की जांच करती है और अपने संसाधनों के अन्तर्गत उनको पूरा करन का प्रयास करती है ।

Losses suffered by F.C.I. during last three years

5114. **Shri Hamendra Singh Banera :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri R. V. Bade :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the value of losses suffered by the Food Corporation of India during the last three years, year-wise, on account of (1) damage to foodgrains, (2) storage, and (3) transportation respectively; and

(b) the action taken against the persons found guilty and the steps taken to make good the loss ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). The required information for 1970-71, 1971-72 and 1972-73, for which the accounts have been completed, is as below :—

(Rs. in crores)

	1970-71	1971-72	1972-73
Storage Loss (including loss due to damage to foodgrains)	6.60	6.11	5.00
Transit Loss	7.80	10.81	12.29
Voyage Loss	0.60	1.44	0.61
	15.00	18.36	17.90
Percentage of total losses on purchase and sales turn-over	1.06	1.09	0.88

These losses are caused by a number of factors and are to some extent inevitable, looking at the magnitude of the Corporation's operations. Nonetheless, whenever any loss is found to be due to any lapses, the Corporation takes legal and/or departmental action against the persons concerned.

Indian players sent abroad

5115. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a number of Indian players were sent abroad during 1973-74; and

(b) if so, the particulars thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b). A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-4356/75].

शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में की गयी सिफारिशों की क्रियान्विति

5116. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चण्डीगढ़ में प्रायोजित उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी वर्कशाप में शिक्षा सम्बन्धी सुधार करने के लिये की गई सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ में उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में हुई कर्मशाला की सिफारिशों को आयोग ने विश्वविद्यालयों के पास विचार-विमर्श, पथ-प्रदर्शन और कार्यान्वियन के लिए भेज दिया है । जिन सिफारिशों पर आयोग के विशिष्ट विचारों अथवा निर्णय की आवश्यकता है, आयोग उनकी जांच कर रहा है ।

कोल्हापुर में हिरण्यकाशी परियोजना

5117. श्री राजाराम दादा साहेब निम्बालकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल्हापुर जिले में हिरण्यकाशी परियोजना को छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) महाराष्ट्र के उस भाग को सिंचाई करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किये जाने हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) हिरण्यकाशी परियोजना में कृष्णा नदी का पश्चिम की ओर जल व्यपवर्तन शामिल है जिसकी कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने इजाजत नहीं दी है । महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को सूचित किया है कि न्यायाधिकरण की रिपोर्ट को रोशनी में हिरण्याकाशी परियोजना को छोड़ा जा रहा है ।

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि कृष्णा न्यायाधिकरण द्वारा महाराष्ट्र को आवंटित किए गये जल के उपयोग के लिए संशोधित मास्टर प्लान पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है और महाराष्ट्र के हिरण्यकाशी परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने के लिए निर्णय इस प्लान को अंतिम रूप दिए जाने पर लिया जायेगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची

5118. श्री ईश्वर चौधरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 855 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 दिसम्बर, 1974 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल तथा इलैक्ट्रिकल दोनों प्रकार के प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची को किस तारीख तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जैसा कि 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 855 के उत्तर में बताया गया है कि श्री० ए० के० सुब्रामन तथा अन्यों द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्यपालक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची पुनरीक्षित की जानी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ध्वनितार्थ पर कार्मिक विभाग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से यथा संभव शीघ्र विचार किया जा रहा है। निर्णय के ध्वनितार्थ सुस्पष्ट होने पर ही पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची तैयार की जा सकती है। अतः वरिष्ठता सूची के पुनरीक्षण की निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं होगा।

नई दिल्ली म संस्थानों तथा समितियों को भूमि का आवंटन

5119. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थानों तथा समितियों के नाम क्या हैं जिनको गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली में सरकारी भूमि का आवंटन किया गया है और प्रत्येक को कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(ख) भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनायी गयी है; और

(ग) इस समय कितनी भूमि उपलब्ध है अथवा आगामी एक वर्ष के दौरान कितनी भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा उसको किस प्रकार आवंटित करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जारही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य शिक्षा मंत्रियों की बैठक

5120. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य शिक्षा मंत्रियों के प्रस्तावित सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर चर्चा होगी; और

(ख) कितने राज्य मंत्रियों ने उसमें उपस्थित होने के बारे में सहमति व्यक्त की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख). राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, जिसकी शीघ्र संयोजित किये जाने की संभावना है, की कार्यसूची को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

आई० आई० टी०, मद्रास के कर्मचारियों के वेतन में कटौती

5121. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आई० आई० टी०, मद्रास के कर्मचारियों के अपने कार्य पर मौजूद होने के उपरान्त भी उनके वेतन से 10 दिन का वेतन काटा गया है; और

(ख) यदि हां, तो काटे गये वेतन का भुगतान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो0 एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के अनुसार, नवम्बर, 1974 में कुछ कर्मचारियों के मामले में 10 दिन के वेतन की कटौती इसलिये की गई थी क्योंकि वे कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे थे । पुनः विचार करने पर संस्थान ने इस प्रकार की गई कटौती का भुगतान कर दिया है ।

'क्लीनलीनैस ड्राइव स्पान्स आई सोर'

5122. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान 23 अक्तूबर 1974 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 'ईवनिंग न्यूज' समाचार पत्र' सम्पादक के नाम का स्तम्भ में "क्लीनलीनैस ड्राइव स्पान्स आई सोर" शीर्षक के अन्तर्गत छपे पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस इलाके के लोगों की सहायता हेतु इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

'सस्सन डाक' बम्बई में मत्स्य बन्दरगाह

5123. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह स्थल के बारे 2 दिसम्बर 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2639 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में 'सस्सन डाक' पर गहन समुद्र मत्स्य बन्दरगाह का विकास करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). 352 लाख रुपये की लागत पर सीमित सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये बम्बई पोर्ट ट्रस्ट से जनवरी, 1975 में एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ । उस पर महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श करके

विचार किया जा रहा है। परियोजना की तकनीकी संभाव्यता और आर्थिक व्यावहार्यता की जांच करने के बाद धनराशि उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

"केशव कुंज" झण्डेवालान, नई दिल्ली

5124. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झण्डेवालान, नई दिल्ली स्थित "केशव कुंज" (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन का मुख्यालय) नामक इमारत का निर्माण कब किया गया था;

(ख) उक्त इमारत का कुल फर्श-क्षेत्र कितना है और उस पर कब से भवन-कर लगाया गया है;

(ग) उसका कर योग्य मूल्य कितना है;

(घ) किरायेदारों के नाम क्या हैं और वे कितना किराया दे रहे हैं; और

(ङ) 31 मार्च, 1974 को भवन-कर की कितनी धनराशि बकाया थी?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) "केशव कुंज" नामक भवन, एक पुराना भवन है, जिसका कर-निर्धारण दिल्ली नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम किया गया है। भवन निर्माण की निश्चित तिथि निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि झण्डेवालां टैम्पल संस्कृति मन्दिर के मौजूदा भवन में परिवर्द्धन तथा परिवर्तन के कुछ नक्शे निगम ने 1968–69 के दौरान अलग अलग चरण में स्वीकृत किये थे।

(ख) भवन का कुल फर्शी क्षेत्र 12432 वर्ग फुट है। भवन का कर योग्य मूल्य पर कर निर्धारण 1500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रथम बार 1957 में किया गया था।

(ग) भवन का कर योग्य मूल्य 7–3–1969 से 63,890 रुपये प्रति वर्ष है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भवन स्वयं के दखल में है।

(ङ) 31–3–1975 तक 29,539.70 रुपये है।

'आपरेशन फ्लड प्रोग्राम' के अन्तर्गत दुग्ध संयंत्रों की 'प्रौसेसिंग' क्षमता में वृद्धि

5125. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की बजाए 'आपरेशन फ्लड कार्यक्रम' के अन्तर्गत 85 प्रतिशत से भी अधिक धन का प्रयोग और अधिक दुग्ध उत्पाद एककों की स्थापना करके तथा बाजार सम्वर्धन उपायों द्वारा प्रौसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के संबंध में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया (प्रौसेस) को बदलने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है तथा उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) 'आपरेशन फ्लड' के अंतर्गत भारत में कितने विदेशी विशेषज्ञ हैं तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है कि देश में अर्हताप्राप्त व्यक्ति काफी संख्या में उपलब्ध हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). यह कहना सही नहीं है कि परियोजना 'आपरेशन फ्लड' के अंतर्गत खर्च की जाने वाली धनराशि में से 85 प्रतिशत रकम दुग्ध संयंत्रों तथा दुग्ध उत्पाद एककों की प्रक्रिया क्षमता बढ़ाने और बाजार सम्वर्धन उपायों के लिए खर्च की गई है। 28-2-75 तक विभिन्न मदों पर हुए खर्च को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

प्रारम्भिक अवस्था में संगठित डेरी के क्षेत्र में शहरी दुग्ध मण्डी पर हावी होने के उद्देश्य से डेरी प्रक्रिया सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता थी। मौजूदा विपणन योग्य फालतू उत्पादों को शहरी डेरी संयंत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से फीडर/बैलेंसिंग डेरियों के माध्यम से प्रक्रिया सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण डेरियों की स्थापना करने की आवश्यकता थी। इससे अन्दरूनी भागों से दूध प्राप्त करने में डेरियों को सहायता मिली है। शहरी संयंत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और उसे वहां तक पहुंचाने के लिए इन दीर्घकालीन उपायों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को बदलने की जरूरत नहीं समझी गई।

(ग) यह परियोजना दस राज्यों और दिल्ली के संघ क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आठ विदेशी विशेषज्ञ स्वीकृत किये गये हैं जिन्हें जो काफी समझा गया है।

विवरण

28-2-75 तक किये गये खर्च के ब्यौरे को प्रदर्शित करने वाला विवरण

मद	विवरण	28-2-75 तक किया गया खर्च (रु० करोड़ों में)	कुल अनुमानित परियोजनाएं परिव्यय की प्रतिशतता
1.	तरल दुग्ध के वितरण में तेजी से वृद्धि करने के लिए चारों शहरों की मौजूदा क्षमता का विस्तार करना	1.77	1.85
2.	संभालने की मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाकर और नये शहरी तरल दुग्ध संयंत्रों की स्थापना करके दूध संभालने की क्षमता को बढ़ाना . .	7.63	7.99

मद	विवरण	28-2-75 तक किया गया खर्च (रु० करोड़ों में)	कुल अनुमानित परियोजनायें परिव्यय का प्रतिशतता
4.	तथा		
5.	दुग्ध एकत्रण तथा प्रशीतन केन्द्र/फीडर/सन्तुलन दुग्ध संयंत्र	17.36	18.19
7.	तकनीकी आदानों की (जिनमें शीघ्र मिश्रित होने वाले सारकृत चारे तथा हरा चारा कृत्रिम वीर्याधान पशु चिकित्सा संबंधी सेवाएं तथा दवाएं और बछड़ा पालन सहायता शामिल हैं) व्यवस्था करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाना	4.04	4.23
8	उन्नत दुधारू पशुओं का विकास करना	1.52	1.52
9.	देहातों से दूध की खरीद की व्यवस्था करना	0.48	0.05

अन्तर्राज्यीय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये शैक्षणिक/सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान/दान

5126. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने की दृष्टि से अंतर्राज्यीय सद्भाव और अच्छे सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए देश के शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थानों को वर्ष 1972, 1973 और 1974 में अनुदान/दान के रूप में कोई धनराशि उपलब्ध की गई थी; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में नगर तथा ग्राम्य आयोजन संबंधी व्यापक विधेयक

5127. **श्री हरी सिंह :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक व्यापक नगर तथा ग्राम्य आयोजन विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। यह विषय राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्यों को परिचालित करने के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा एक पुनरीक्षित आदर्श नगर और ग्राम आयोजना विधान तैयार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

National Housing Policy

5128. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have no definite national housing policy;

(b) whether the Estimates Committee, in its 67th Report, has expressed this view; and

(c) the action taken by Government to remove housing difficulties in rural areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) The question in regard to the formulation of a National Housing Policy was considered at the Conference of State Ministers of Housing and Urban Development held at Madras from the 31st May to 2nd June, 1974. The Conference has recommended the setting up of a National Commission to go into this question in depth and make recommendations on the policy to be adopted in future. A decision on this recommendation has not yet been taken.

(b) Yes, Sir.

(c) For providing housing facilities in rural areas, there are already two housing schemes *viz.*, Village Housing Projects Scheme and the Scheme for provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas. Both these schemes are in the State Sector. Based on the information received from State Governments so far, about 56,500 houses have been built under the Village Housing Projects Scheme and about 3,00,000 house-sites have been developed under the Scheme for Provision of House-sites to Landless Workers in Rural Areas.

जर्मनी से प्राप्त किये जाने वाले गेहूं में से पश्चिम बंगाल के लिये गेहूं का कोटा

5129. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को जर्मनी से 1974–75 के दौरान समझौतों के अन्तर्गत कुल कितनी मात्रा में गेहूं मिलने की सम्भावना है ;

(ख) इसमें से सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के लिए कितनी मात्रा निर्धारित करने का है; और

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये इस गेहूं का कोटा निर्धारित करने का मानदंड क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गेहूं की सप्लाई के लिये 1974–75 के लिए जर्मनी सरकार के साथ कोई करार नहीं किया

गया हैं। तथापि, योरूपियन आर्थिक समुदाय से खाद्य सहायता के रूप में 132,800 मी० टन गेहूं प्राप्त होने की आशा है। इसमें संघीय जर्मन गणराज्य से 34,000 मी० टन० का अंशदान सम्मिलित है।

(ख) और (ग): देश में अधिप्राप्त और विदेशों से आयात खाद्यान्नों को खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल में डाल दिया जाता है। केन्द्रीय पूल से राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, राज्यों की आवश्यकता, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास किया जाता है।

ग्राम आवास परियोजना योजना

5130. **श्री गदाधर साहा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी है; यदि हां, तो अनुमानतः कितनी;

(ख) गत तीन वर्षों में ग्राम आवास परियोजना योजना के अधीन कितने मकानो की मंजूरी दी गई है और प्रत्येक वर्ष, राज्य-वार, औसतन कितने मकान बनाए गए हैं;

(ग) क्या ग्राम आवास परियोजना योजना का कार्य असन्तोषजनक है और धन-राशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है और अन्य कार्यों के लिए धन के उपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी अनुमानतः 11.8 लाख एकक थी।

(ख) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिर्पोटों के आधार पर अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) तथा (घ) यह योजना राज्य क्षेत्र में है। ग्रामीण आवास परियोजा स्कीम सहित राज्य क्षेत्र के समस्त कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए जिनमें ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम शामिल है, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां निर्धारित करने में स्वतन्त्र है। संसाधनों पर दबाव तथा अन्य विकास कार्यक्रमों से संसाधनों के लिये मुकाबले की मांग को देखते हुए राज्य सरकारें, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम सहित विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण को उच्चतर प्राथमिकता नहीं देती है। तथापि, आवास मंत्रियों के सम्मेलनों योजना संबंधी वार्षिक विचार-विमर्शों तथा समय-समय पर होने वाली अन्य बैठकों के दौरान उपलब्ध प्रत्येक अवसर पर

राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम सहित सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करें तथा आवास के लिए निर्दिष्ट की गई निधियों को अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों में न लगाएं।

विवरण

वर्ष 1972–73 से 1974–75 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए तथा बनाए गए मकानों की संख्या का विवरण। (राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	मकानों की संख्या		स्वीकृत/निर्मित मकानों की संख्या का प्रति वर्ष औसत	
		स्वीकृत	निर्मित	स्वीकृत	निर्मित
1.	आंध्र प्रदेश	112	259	37	86
2.	आसाम	राज्य सरकार से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।——			
3.	बिहार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	——	——
4.	गुजरात राज्य सरकार से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।				
5.	हरियाणा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	——	——
6.	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।			
7.	जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रही है।				
8.	केरल	1474	1445	491	482
9.	मध्य प्रदेश	596	216	199	72
10.	मणीपुर	राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।			
11.	मेघालय	राज्य सरकार योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रही है।			
12.	कर्नाटक	राज्य सरकार से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।			
13.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने योजना का कार्यान्वयन रोक दिया है।			
14.	नागालैण्ड	राज्य सरकार योजाना का कार्यान्वियन नहीं कर रही है।			
15.	पंजाब	1441	298	480	99
16.	राजस्थान	राज्य सरकार ने योजना का कार्यान्वियन रोक दिया है।			
17.	उड़ीसा	अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।			
18.	त्रिपुरा	150	115	50	38
19.	तमिल नाडु	3329	1925	1110	642
20.	उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	145	कुछ नहीं	49
21.	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार ने योजना का कार्यान्वयन रोक दिया है।			
	कुल (राज्य सरकारें)	7102	4403	2367	1468

संघ राज्य क्षेत्र का नाम :

1. दिल्ली	869	580	290	194
2. गोम्रा, दमण तथा दीव	115	73	38	24
3. पांडिचेरी	78	73	26	24
4. लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1062	726	354	242
कुल योग (राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र)	8164	5129	2721	1710

फार्मर्स पार्लियामेंटरी फोरम का रुई, गन्ने और गुहूं के मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध

5131. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मर्स पार्लियामेंटरी फोरम ने रुई, गन्ने और गेहूँ के मूल्यों में वृद्धि करने का सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक रुई का सम्बन्ध है, कृषक पार्लियामेंटरी फोरम ने यह मांग की है कि लम्बे रेशे की रुई का अधिक मूल्य निर्धारित किया जाए जिसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने पहले ही सहमति प्रकट कर दी है और भारतीय निगम को बड़े पैमाने पर खरीददारी करने के लिए मंडी में प्रवेश करने हेतु पर्याप्त राशि प्रदान की जाए। क्योंकि कपास निगम के संसाधन समिति है, इसलिए सरकार वित्त मंत्रालय से परामर्श कर फोरम के अनुरोध पर विचार कर रहा है। जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, फोरम ने गन्ने का मूल्य 17 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की है। सरकार 1975-76 के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूततम मूल्य के निर्धारण करने सम्बन्धी प्रश्न पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों का दृष्टि में विचार कर रही है।

जहां तक गेहूं का संबंध है, फोरम ने यह मांग की है कि गेहूं का मूल्य 125 रु० प्रति क्विंटल से कम स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने सभी संगत तथ्यों पर बारीकी से विचार करने के बाद हाल ही में यह निर्णय किया है कि 1975-76 विपणन मौसम के लिए गेहूं की सभी किस्मों के लिए अधिप्राप्ति मूल्य, जैसा कि कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की है, 105 रुपये प्रति क्विंटल रखा जाए।

अक्तूबर, 1974 से फरवरी, 1975 तक चीनी का उत्पादन

5132. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) अक्तूबर, 1974 से फरवरी, 1975 तक प्रत्येक मास चीनी का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के कोटे में वृद्धि के लिए पिछली बार दी गई अनुमति के बाद उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क): अक्तूबर, 1974 और फ़रवरी, 1975 के बीच हुए चीनी के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

मास	उत्पादन (मीटरी टन)
अक्तूबर 1974 .	62,000
नवम्बर, 1974 .	3,45,000
दिसम्बर, 1974	7,59,000
जनवरी, 1975 .	9,39,000
फरवरी, 1975 .	8,92,000

(ख) सरकार ने 29 जनवरी, 1975 को 1974–75 मौसम के लिए उक्त बिक्री की चीनी के उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की थी। फरवरी, 1975 के दौरान 8.92 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जबकि पिछले महीने में 9.39 लाख मीटरी टन और फरबरी, 1974 के दौरान 7.33 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था।

सुवर्णरेखा के पानी का बटवारा

5133. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगें कि सुवर्णरेखा के पानी के बटवारे के बारे में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों के मतभेदों के निवारण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मन्त्री ने सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों के साथ

29, जनवरी, 1975 को एक बैठक की थी। यह महसूस किया गया कि इस समय सुवर्ण-रेखा जल के तीनों राज्यों के बीच 1965 में पूर्व-क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सहमति प्राप्त बटवारे के पूर्नविलोकन की आवश्यकता नहीं है।

यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष दो बांध-स्थलों नामश: सुवर्णरेखा पर चादिल तथा बिहार द्वारा प्रस्तावित खरकई पर संचय करने की क्षमता ; बढ़ोत्तरी करने की सम्भावना की जांच करेंगे। उड़ीसा भी सुवर्णरेखा तथा बूढ़ाबलांग में जल संचय की सम्भावना का निरीक्षण करेगा।

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की रिपोर्ट प्राप्त हाने के बाद बिहार की परियोजना को स्वीकृति उदेने के प्रश्न पर केन्द्रीय मंत्री फिर से तीनों मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार करेंगे।

कोसी नदी पर बहु-उद्देश्यीय उच्च बांध का निर्माण

5134. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री 3 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1827 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोथार के निकट कोसी नदी पर बहु-उद्देश्यीय उच्च बांध के निर्माण के लिए योजना प्राक्कलन, लागत प्राक्कलन, होने वाले लाभ और समय अनुसूची तैयार करने और इस कार्य के लिए नेपाल सरकार से बातचीत करने में क्या कठिनाई या बाधा है; और

(ख) ब्रिटिश वाइसराय लार्ड वैवेल के समय तैयार किए गए ऐसे प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या और अब उनमें क्या-क्या फ़ेर-बदल करने की आवश्यकता है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : नेपाल प्रदेश ने सप्त-कोसी पर कोठार में एक बांध के निर्माण के लिए अन्वेषण 1959 में किए गए थे और इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी। परन्तु उसके बाद किए गए भू-वैज्ञानिक अन्वेषणों से पता चला कि यह स्थान ऊंचे बांध के लिए उपयुक्त नहीं है। बिहार सरकार द्वारा नियुक्त कोसी तकनीकी समिति (1965) ने भी इस प्रस्ताव को आर्थिक रूप से सही नहीं समझा तथा सिंचाई और विद्युत उद्देश्यों के लिए इस बांध को जरूरी भी नहीं समझा। अतः समिति ने सुझाव दिया कि कोठार में बांध के निर्माण के लिए और अन्वेषण न किए जाएं। बहरहाल कोसी नहरों को गाद समस्या के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में गठित कोसी तकनीकी समिति ने सुझाव दिया कि लम्बी अवधि के लिए उपचारो उपायों के रूप में कोसी को ऊपरी पहुंचों में गाद संचयन करने के लिए एक उच्च बांध के अन्वेषण किए जाएं तथा ऐसे उच्च बांध के लिए बांध का कार्यकाल, बांध और कोसी बराज के बीच और प्रति-प्रवाह और अनु-प्रवाह बाँढ़ तटबंधों के बीच नदी के क्षेत्र पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए।

यह प्रारंभिक रिपोर्ट बहुत पहले किए गए सर्वेक्षणों और अन्वेषणों के आधार पर तैयार की गई थी। इसलिए यह आवश्यक है कि इन अन्वेषणों को अद्यतन किया जाए तथा परियोजना की लागत में संशोधन करने के साथ-साथ परियोजना से होने वाले आर्थिक लाभों का पुनः मूल्यांकन किया जाए। इस मामले में नेपाल सरकार के साथ उठाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

Assistance to Bharat Sewak Samaj

5135. **Shri Mulki Raj Saini**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the amount of assistance given to Bharat Sewak Samaj in 1974-75;

(b) the names of the States in which Bharat Sewak Samaj has its branches District-wise;

(c) State-wise number of persons employed by it; and

(d) the amount of expenditure incurred by it in 1974-75?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (d). The information has to be collected from various outside sources, which is being done and will be laid on the Table of the House when received.

Views of World Bank on Land Reforms

5136. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri R. V. Bade:

Shri R. R. Sharma:

Shri Phool Chand Verma:

Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the conclusion of the World Bank that land reform measures in India are more theoretical then real;

(b) the facts and Government's reaction in this regard;

(c) the names of the States in which production has increased as a result of land reforms; and

(d) the extent to which production increased in such States separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) and (b). Report No. 440 of the International Bank for Reconstruction and Development on Bank Policy on Land Reform has observed that it is presently well recognised in India that reform measures dealing with security of tenure and land ceiling have been partially enforced and that land reform may not accommodate the increasing

population in the rural areas but that there is scope for some distribution of land that will contribute so agricultural production. While it has been the consistent policy of the Government of India to promote land reforms, it has never been their view that the problem of agriculture can be solved by land reforms only. Land reforms are a part of an integrated programme of agricultural development in which schemes for strengthening the position of the small and marginal farmers, the provision of adequate credit and other inputs for promoting agriculture, augmentation of the sources of income for those who subsists on agricural wages etc. figure as prominently.

(c) and (d). While agricultural production has increased in wide areas of the country, it cannot be attributed entirely to land reforms. It is also not practicable to abstract from a variety of development measures only the role of land reforms in promoting agricultural productions.

सरसों के तेल, मूंगफली के तेल तथा अन्य खाद्य तेलों के मूल्य

5137. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरसों के तेल मूंगफली के तेल तथा अन्य खाद्य तेलों के, राज्यवार, मूल्य क्या हैं;

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि में इन तेलों के तुलनात्मक मूल्य क्या थे; और

(ग) मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) 21/28 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले सप्ताहों और 1974 के इन्हीं सप्ताहों के दौरान सरसों के तेल मूंगफली के तेल और अन्य महत्वपूर्ण खाद्य तेलों के देश की कुछ महत्वपूर्ण मण्डियों के थोक भाव संलग्न विवरण में दिये गये हैं [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० ट० —9357/75]

(ग) देश में चालू वर्ष में विभिन्न मण्डियों में महत्वपूर्ण खाद्य तेलों के थोक भाव गत वर्ष की तुलना में सामान्यतः कम हैं । इस के कारण ये हो सकते हैं——1974-75 में तोरिया और सरसों की फसल के उत्पादन में काफी वृद्धि की आशा, सरकार द्वारा जमाखोरी के विरुद्ध किये गये उपाय, वनस्पति के प्रयोग के लिये मूंगफली के तेल को पहले जिस हद तक प्रयोग की अनुमति दी जाती थी, उसे कम कर दिया जाना, सख्त ऋण नीति और 24 गौण तिलहनों और तेलों में वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना ।

Progress of relief measures in drought affected States

5138. **Shri Shrikrishna Agrawal**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether satisfactory progress has not been made in relief programmes undertaken for meeting the situation arising out of drought in various parts of the country;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) whether the Ministry has received complaints from many State Governments about non-execution of the programmes properly; and

(d) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) After making necessary assessments, the Government of India have sanctioned advance plan assistance to various drought-affected States in the country so that necessary employment opportunities in the shape of productive relief works may be provided to the affected populations. Satisfactory progress has been made in the implementation of relief programmes by the States concerned.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली में तकनीकी अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमान

5139. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन की तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधीन तकनीकी अध्यापकों के वेतनमानों में 'सिलेक्शन ग्रेड' के साथ पुनरीक्षण किया है और यदि हां तो उनके पुनरीक्षित वेतन-मान क्या-क्या हैं; और

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने अब तक अध्यापकों को सिलेकशन ग्रेड नहीं दिये हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनको लागू करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) तकनीकी शिक्षा निदेशालय दिली प्रशासन के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षकों के वेतनमानों को मार्च, 1974 के दौरान संशोधित किया गया था और 27 मई, 1970 से लागू किया गया था।

अन्तर स्नातक अध्यापक

संशोधित वेतनमान :	350—700 रुपये
सेलेक्शन ग्रेड	600—800 रुपये
प्रशिक्षित स्नातक	
संशोधित वेतनमान	250—550 रुपये
सेलेक्शन ग्रेड :	550—700 रुपये

तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इन वेतनमानों को फिर संशोधित किया जा रहा है। तथापि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार स्नातक अध्यापक

के मामले में सरकार द्वारा अब अनुमोदित वेतनमान 440–15–515–कु०रो०—15–560–20–700--कु०रो०--25–750 रुपये के बजाय 440–20–5000 कु०रो० 25--700कु०रो०–25–750 रुपये होंगे। सैलेक्शन ग्रेड पद स्थायी तथा ऐसे अस्थायी पदों का 20 प्रतिशत होंगे जो तीन अथवा अधिक वर्षों से है।

(ख) सैलेक्शन ग्रेडों को लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली प्रशासन ने वर्गवार वरिष्ठता सूची तैयार कर ली है तथा उसे सम्बन्धित अध्यापकों में परिचालित कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में उनके विचार मांगें हैं। वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप देने के पश्चात् पात्र अध्यापकों को सैलेक्शन ग्रेड दिये जायेंगे।

तिस्ता बांध परियोजना (प्रथम चरण)

5140. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री ब्रह्मपुत्र के साथ गंगा नदी को जोड़ने संबंधी योजना के बारे में 21 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 922 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुमानतः 44.6 करोड़ रुपये की लागत वाले तिस्ता बांध परियोजना (प्रथम चरण) को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा तकनीकी रूप से जांच की गई है और इस बीच इसकी स्वीकृति अन्तिम रूप से दे दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने नवम्बर, 1973 में 69.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तिस्ता बराज स्कीम का संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस स्कीम को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दिये जा सकने के पूर्व इसके संबंध में पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकारों के बीच अन्तर्राज्यीय पहलुओं को निपटाया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही

5141. **श्री झारखंडे राय**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों के बारे में 29 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8478 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास अधिकारी को लारेन्स रोड वैलफ़ेयर फ़ैडरेशन से 27 मई, 1974 और 4 जुलाई, 1974 के पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह सूचित किया गया है कि लारेन्स रोड वैलफ़ेयर फ़ैड्रेशन के सैक्रेटरी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन मण्डल को 6-9-1973 को भेजे गए पत्र का एक प्रतिलिपि के लिए अनुरोध किया था । तदनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सैक्रेटरी लारेन्स रोड वैलफ़ेयर फ़ैड्रेशन को उस पत्र की एक प्रतिलिपि भेज दी है ।

व्यायाम शिक्षकों के वेतनमान

5142. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि व्यायाम शिक्षकों सहित विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान अब तक समान थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार विश्वविद्यालयों के व्यायाम शिक्षकों के लिये भिन्न वेतनमान देने का है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण, और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन): (क) से (घ). विश्वविद्यालयों और कालेजों के शारीरिक शिक्षा विभागों के अध्यापक भी उन्हीं वेतनमानों के हकदार हैं जो अन्य विभागों में उनके प्रतिरूपों को संस्वीकृत किये जाते हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शारीरिक शिक्षा निदेशकों/अनुदेशकों के वेतनमानों और अर्हताओं के संबंध में कुछ सिफ़ारिशें की हैं । उक्त सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

प्रथम श्रेणी के सहायक अधिशासी अभियन्ताओं की प्रथम श्रेणी के अधिशासी अभियन्ताओं के रैंक में पदोन्नति

5144. **श्री राम रतन शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के कितने सहायक अधिशासी अभियन्ताओं की प्रथम श्रेणी के अधिशासी अभियन्ताओं के रेन्क में पदोन्नति की गई;

(ख) वर्ष 1975 के दौरान द्वितीय श्रेणी के कितने सहायक अभियन्ताओं की प्रथम श्रेणी के अधिशासी अभियन्ताओं के रेन्क में पदोन्नति की गई; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' है, तो वर्ष 1972 की रिट याचिका सं० 489 में 11 दिसम्बर, 1974 को दिये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णय की किन परिस्थितियों में अवहेलना की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सिविल में छः तथा विद्युत में चार ।

(ख) कोई भी नहीं ।

(ग) 10 सहायक कार्यपालक इंजीनियरों की पदोन्नति उनके कोटे के ही अंतर्गत है तथा इससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं होता है दूसरी ओर सहायक इंजीनियरों को उनके कोटे से कहीं अधिक पदोन्नत कर दिया गया है ।

Agitation by Delhi University Teachers

†5145. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the agitation of the Delhi University teachers;

(b) what are their main demands; and

(c) the action Government are taking thereon ?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :

(a) to (c). The Delhi University Teachers' Association have been agitating over the issues of Delhi University (Amendment) Bill, 1975, new University Grants Commission pay scales, medical benefit scheme, regularisation of temporary and *ad hoc* appointments of teachers etc. The Vice-Chancellor, University of Delhi has asked the Association to let him have the teachers' views on the Delhi University (Amendment) Bill, 1975 to enable him to communicate the same to the Government. The Delhi University authorities have decided to implement the new pay scales w.e.f. 1st January, 1973. The teachers of the University have become entitled to hospitalisation facilities as available to the Central Government employees residing in Delhi. University authorities have informed the Delhi University Teachers' Association that all cases of regularisation of temporary/*ad hoc* teachers will be looked into sympathetically in accordance with the rules.

The Delhi University Teachers' Association has suspended its agitation and has also withdrawn the relay hunger strike on 27th March, 1975.

बहराइच के लिये सिंचाई परियोजना

5146. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने बहराइच जिले के लिए किसी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा बहराइच जिले के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरजू पम्प नहर स्कीम को फरवरी, 1974 में स्वीकृत किया गया था। इस स्कीम में सरजू नदी से गाय घाट पर 6.8 क्यूसेक जल को लिफ्ट करने की परिकल्पना है । इस स्कीम की अनुमानित लागत 4.84 करोड़ रुपये है और इससे 24,400 हैक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी ।

हरित क्रांति का मूल्यांकन

5147. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रांति के प्रभाव का राज्य वार कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग से कृषि उत्पादन के सन्तुलित और निरन्तर विकास में कहां तक सहायता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) हरित क्रान्ति के प्रभाव का कोई राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अधिक उत्पादनशील किस्म का कार्यक्रम शुरू करने पर अच्छे परिणाम निकले हैं । इस कार्यक्रम के शुरू किए जाने से पहले 1964–65 में खाद्यान्नों का अधिकतम उत्पादन 894.00 लाख मीटरी टन था । 1966–67 में इस कार्यक्रम के शुरू करने के बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 1970–71 में 1084 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया । 1965-66 के सूखा वाले वर्ष में अर्थात् इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले खाद्यान्न उत्पादन 723 लाख मीटरी टन तक गिर गया । 1972–73 के सूखा वाले वर्ष में उत्पादन 970 लाख मीटरी टन हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि हर वर्ष अधिक उत्पादनशील किस्मों की उपज स्थानीय किस्मों की उपज से अधिक रही । इस प्रकार देश में कृषि उत्पादन के संतुलित तथा निरन्तर विकास में अधिक उत्पादनशील किस्म कार्यक्रम से काफ़ी सहायता मिली है ।

भारत तथा अन्य देशों के बीच कृषि उत्पादिता का अनुपात

5148. **श्री रेणुपद दास** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कृषि की उत्पादिता विश्व में सबसे कम है ;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय कृषि उत्पादिता की दर अन्य देशों की तुलना में कितनी है; और

(ग) इतना कम उत्पादिता के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). यद्यपि देश के कुछ भागों में कई फसलों की उपज बहुत अच्छी हुई है, तथापि भारत में कृषि की उत्पादिता विश्व में सबसे कम है ।

(ग) मानसून (जो हमेशा अनिश्चित रहती है) पर निर्भर रहने के अतिरिक्त भारत में कृषि की कम उत्पादिता के लिए निम्नलिखित अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं :--

(1) कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों की कमी, (2) अधिकांश किसानों द्वारा आधुनिक तकनोलोजी का न अपनाया जाना, (3) बढ़िया बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं, बिजली, सिंचाई के जल आदि की कमी, (4) ऋण सुविधाओं की कमी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदकों से धनराशि जमा करवा कर एकत्रित कुल धन

5149. श्री सत्यपाल कपूर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में प्लाटों के लिये आवेदकों से, जिनको लाटरी निकाल कर प्लाट दिये जायेंगे, धनराशि जमा करवा करके कुल कितनी धनराशि एकत्र की है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह धनराशि सावधिनिक्षेप खाते में जमा करवाई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए और कितने ब्याज पर;

(घ) क्या जमा करवाने वाले व्यक्तियों अथवा आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराई गई धनराशि पर कुछ ब्याज दिया जायेगा और यदि हां, तो किस दर से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्लाटों के लिए कब तक लाटरी निकाली जायेगी और असफल आवेदकों को धनराशि कब तक वापस की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) लगभग 4 करोड़ रुपये । फरवरी और मार्च 1975 के लेखे को बन्द कर और इसका समाधान करने के बाद ही ठीक-ठीक आंकड़ों का पता चलेगा ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अल्प अवधि जमा खाते में 2 करोड़ रुपये जमा किये हैं ।

(ग) यह राशि $5\frac{1}{2}$ प्र० श० वार्षिक दर से 91 दिन के लिए लगाई गई ।

(घ) धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है जैसे कि आवेदन पत्र मांगते समय स्पष्ट किया गया था ।

(ङ) लाटरी के लिए अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है ।

Development Scheme for Indore

5150. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Central Government have agreed to advance a loan of Rupees Two crores for the development scheme for Indore (Madhya Pradesh); and

(b) if so, detailed information in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) and (b). A loan of Rs. 15 lakhs from the Central Sector provision for Integrated Urban Development in Areas of National Importance has been sanctioned during 1974-75 for development of Indore.

1975 में देश के विकास में महिलाओं के योगदान की योजना

5151. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सम्मान में 1975 में देश के विकास में महिलाओं क योगदान की कोई योजना बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) तथा (ख). अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिये भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित हो गया है। इस वर्ष के कार्यक्रम के केन्द्रीय विषय के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा रखे गये तीन विशिष्ट उद्देश्यों में प्रत्येक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में विशेष रूप से महिलाओं के उत्तरदायित्व और महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा विकास प्रयत्नों में महिलाओं का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की योजना बनाने के लिये 1974 के अंत में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पेंतीस अन्य प्रमुख महिलाओं की एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। राष्ट्रीय समिति द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने वर्ष के लिये एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा महिलाओं की भूमिका और अधिकारों तथा उन कार्यों के बारे में जाग्रण एवं चेतना उत्पन्न करने की योजनाएं सम्मिलित हैं जो राष्ट्रीय विकास में उनकी सहभागिता के लिये आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त उनके जीवन का स्वरूप सुधारने और देश के विकास में योगदान के लिए स्त्रियों को सुयोग्य बनाने के लिए भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यह कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. प्रौढ़ महिलाओं के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम।
2. महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम।

3. शहरी क्षेत्रों में क्रियाशील महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना।
4. प्रौढ़ महिलाओं के लिए वृत्तिमूलक साक्षरता।
5. परिवार एवं बाल कल्याण कार्यक्रम।
6. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायक अनुदान।
7. व्यावहारिक पौषाहार कार्यक्रम।
8. संवर्धित महिला कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
9. महिला मंडलों को प्रेरणादायक पुरस्कार।
10. महिला मंडलों का विकास।
11. वंशागत मंच का प्रशिक्षण।
12. टिटेनस से बचाव के लिए गर्भवती माताओं के प्रतिरक्षणों के लिये विशेष योजना।
13. लौह एवं फोलिक एसिड के उपयोग द्वारा माताओं में पोषक एनिमिया से बचाव के लिए प्रोफिलेक्सिज़।
14. डाक्टरी और नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को छात्रवृत्तियां।
15. केन्द्रीय महिला शिल्प शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लेवी योजना के अन्तर्गत वसूल की गई चीनी तथा खाद्यानों का कारखानों, बेकरियों तथा शीतल पेयों के निर्माताओं को वितरण

5152. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी आयोग के अन्तर्गत वसूल की गई चीनी तथा खाद्यान्नों का कारखानों, बेकरियों तथा कोका कोला आदि जैसे शीतल पेयों के निर्माताओं को वितरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनका वितरण किन-किन कारखानों, बेकरियों अथवा शीतल पेयों के निर्माताओं को किया जाता है और प्रत्येक मामले में इसकी कितनी मात्रा दी जाती है; और

(ग) उनको इनका वितरण करने के क्या कारण हैं जबकि आम आदमी को इनकी किल्लत हो रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). नियंत्रित दवाइयों, शिशु-आहार और निर्यात के लिए विधायित आहार के निर्माताओं को छोड़ कर, बेकरियों और शीतल पेयों के निर्माताओं सहित किसी भी थोक उपभोक्ता को लेवी चीनी आवंटित नहीं की जाती है। निर्मित सामान की लागत का नीचे रखना ही इस अपवाद का कारण है। अनुबन्ध 1, 2 और 3 के रूप में विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०– 9358/75]

जिनमें 1974—75 मौसम के दौरान क्रमशः (i) नियंत्रित दवाइयों के निर्माताओं को देने के लिए राज्यों को, (ii) शिशु-आहार के निर्माताओं को, (iii) निर्यात के लिए विधायित आहार के निर्माताओं को आवंटित की गई लेवी चीनी का ब्यौरा दिया गया है।

आयातों सहित लेवी द्वारा अथवा अन्य प्रकार से केन्द्रीय पूल के लिए अधिप्राप्त किये गये खाद्यान्नों का आवंटन राज्य सरकारों को किया जाता है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनका वितरण किया जाये। गेहूं के पदार्थ तैयार करने के लिए रोलर आटा मिलों को भी केन्द्रीय पूल से गेहूं सप्लाई किया जाता है।

गैर-सरकारी एजेंसियों को समाज कल्याण के लिये वित्तीय सहायता

5153. **श्री मधु दंडवते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी एजेंसियों को समाज कल्याण के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) समाज कल्याण सम्बन्धी कुल व्यय का कितना प्रतिशत इन गैर-सरकारी एजेंसियों के काम के लिये नियत किया जाता है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) समाज कल्याण के लिए असरकारी एजेंसियों को गत तीन वर्षों में दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

	1972—73 . . .	468.30 लाख रुपए
	1973—74 . .	458.67 लाख रुपए
	1974—75	666.79 लाख रुपए
(ख)	1972—73 . . .	19.35 प्रतिशत
	1973—74 . . .	19.52 प्रतिशत
	1974—75 . .	39.10 प्रतिशत

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध की किस्म और मात्रा

5154. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गत कुछ महीनों के दौरान अपने टोकनधारियों/उपभोक्ताओं को सप्लाई किये गये दूध की किस्म वैसी नहीं है जैसी पहले थी;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली दूध की बोतलें भी आधी भरी होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं। 4 नवम्बर, 1973 तक दिल्ली दुग्ध योजना 4 किस्म के दूध बेच रही थी। इनमें से स्टैंडर्ड दूध में 4.5 प्रतिशत चिकनाई और चिकनाई के अलावा अन्य ठोस पदार्थ की मात्रा 8.5 प्रतिशत थी। टोन्ड दूध में 3 प्रतिशत चिकनाई और चिकनाई के अलावा अन्य ठोस पदार्थ की मात्रा 8.5 प्रतिशत थी। डब्बल टोन्ड दूध में चिकनाई की मात्रा 1.5 प्रतिशत और चिकनाई के अलावा अन्य ठोस पदार्थ 9 प्रतिशत मात्रा में थे। गाय का दूध अपने असली रूप में बेचा जाता था। 5 नवम्बर, 1973 से इसने केवल दो किस्म का दूध बेचना शुरू किया। इनमें से एक विशेष टोन्ड दूध था, जिसमें 3.5 प्रतिशत चिकनाई और चिकनाई के अलावा अन्य ठोस पदार्थ 8.5 प्रतिशत हैं और इसके अलावा डब्बल टोन्ड दूध बेचा जाता है। उसके बाद दूध की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को आधी भरी बोतलें सप्लाई करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) ऊपर (ख) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं का पूरा किया जाना

5155. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं का काम पूरा नहीं हो सका है उनका काम अगले वर्ष पूरा करने के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों का व्यौरा क्या है; और

(ख) धन की व्यवस्था सहित उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए निर्धारित किये गये केन्द्र तथा राज्यों के उत्तरदायित्व का व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) वर्ष 1975–76 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। वहरहाल, इस वर्ष में लगभग एक मिलियन हैक्टेयर को अतिरिक्त शक्यता का निर्माण करने के लिए बृहत् तथा लघु स्कीमों के लिए लगभग 424 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है। कायक्रमों को अंतिम रूप देते समय ऐसी जारी स्कीमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें काफी प्रगति हो चुकी है तथा जिनसे वर्ष 1975–76 और उसके बाद के वर्षों में काफी हद तक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक-ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम अथवा विकास-शीर्ष से जुड़ी नहीं होती।

सी० ए० आर० ई० द्वारा आरम्भ किया गया राहत कार्य

5156. **श्री बनमाली बाबू** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन स्थानों के नाम क्या है जहां सी० ए० आर० ई० ने राहत कार्य आरम्भ किये हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) इस संगठन द्वारा चालू वर्ष के दौरान क्या - क्या कार्य आरम्भ किये जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 'केयर' के सामान्य कार्यक्रम में मुख्यतया स्कूल पूर्व अवस्था के बच्चों को आहार देने, स्कूलों में बच्चों को आहार देने, काय के लिये भोजन तथा अन्य विविध परियोजनाओं के लिये खाद्य पदार्थों की प्रदाय तथा सहायक परियोजनाओं के विकास के लिये कुछ गैर-खाद्य वस्तुओं की सहायता देना शामिल है। ये विकास कार्यक्रम कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ कर समस्त देश में फैले हुये हैं।

2. "केयर" द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1974-75 के दौरान इसके जो राहत काय चलाये हैं उनमें ये शामिल हैं : (1) हिमाचल प्रदेश में भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों के लिये 49,188 रुपये के मूल्य का 7 मीट्रिक टन बिना क्रीम के दूध पाउडर का दान ; (2) सेन्ट मार्था अस्पताल, बंगलौर को 7,632 रुपये के मुल्य के प्रोस्थेटिक्स के 9 डिब्बों का दान तथा (3) डा० मोदी टूरिंग फ्री आई० अस्पताल, दावनगिरी (कर्नाटक) को 85,080 रुपये के मूल्य के काम में लाये जा चुके चश्मों तथा ओपथलमों स्कोप का दान, शामिल हैं।

(ख) 1. **स्कूल के बच्चों को आहार वितरण** :-74,809 मीट्रिक टन कुल खाद्य पदार्थ दिये जाने का अन्दाजा है।

2. **स्कूलों के बच्चों को आहार वितरण** :--105,732 मीट्रिक टन कुल खाद्य पदार्थ दिये जाने का अन्दाजा है।

8. **पोस्ट-मार्टम कार्यक्रम** :--केयर निवेश अन्दाजन 1,827 मीट्रिक टनी खाद्य पदार्थ तथा कुछ चार्ट और उपकरण खरीदने के लिये 9,375 डालर है।

5. **कार्य के लिये भोजन** :---कुल पदार्थ निवेश अन्दाजन 35,156 मीट्रिक टन है।

5. **बाढ़ और सूखे से पीड़ित होने वाले इलाकों के लिये आयात वस्तुएं** :---कुल वस्तु निवेश अन्दाजन 83,514 मीट्रिक टन है।

6. **अखाद्य सहायक परियोजनायें** :--'केयर' उनके अखाद्य सहायक परियोजनाओं जैसे कि खाद्य प्रोसेसिंग एकक, पोषाहार शिक्षा तथा गोदामों के निर्माण और बालबाडियों, के विकास और कार्यन्वयन के लिये 4 लाख डालर तक दे सकता है।

Complaints Against D.C.M. Fertilizer by Haryana Farmers

5157. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Raghunandan Lal Bhatia:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the farmers of Haryana have made a complaint that their crops got scorched by the use of D.C.M. made urea fertilizers in their fields; and

(b) if so, the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) No complaint has been received by the Government of India from the farmers of Haryana that their crops got scorched by the use of Urea made by D.C.M.

(b) Question does not arise.

राजस्थान में सिंचाई परियोजनायें

5158. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि धन के अभाव के कारण राजस्थान में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति रुक गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये राज्य को सहायता देने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का क्रियान्वयन राज्यों की पूरी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है । वित्तीय तंगियों और राज्यों को एक साथ बड़ी संख्या में परियोजनाओं को हाथ में लेने की प्रवृत्ति के कारण उपलब्ध संसाधन छोटे-छोटे मांगों में बंट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हो जाती है ।

1974-75 वर्ष के लिए राजस्थान के वृहत् और मध्यम सैक्टर के लिये पहले से स्वीकृत 18.37 करोड़ रुपये के परिव्यय के प्रति संशोधित परिव्यय 29.16 करोड़ रुपये था ।

(ख) राज्य सरकारों पर यह जोर दिया गया है कि पांचवीं योजना में नयी परियोजनाएं तब ही हाथ में ली जायें जब चालू स्कीमों के लिये धनराशि सुनिश्चित की जा चुकी हों और नई परियोजनाओं के लिये धनराशि का प्रबन्ध इस ढंग से होने की सम्भावना हो कि उनको निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार पूरा किया जा सकेगा ।

जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी नई स्कीम अथवा सैक्टर के साथ जुड़ी नहीं होती ।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का प्रतिवेदन

5159. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक आफ इंडिया के इस आशय के प्रतिवेदन की ओर

दिलाया गया है कि 1973–74 में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में पिछले दो वर्षों के उत्पादन से अधिक वृद्धि हुई थी और फिर भी मुख्यत: खाद्य-पदार्थों की वसूली और वितरण सम्बन्धी सरकार की नीतियों की असफलता के कारण मूल्य-वृद्धि को रोका नहीं जा सका ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : (क) से (ग) : भारत के रिजर्व बैंक की 1973–74 की वार्षिक रिपोर्ट में मूल्य-वृद्धि के कई कारण बताये गये हैं, जिनमें खाद्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति और वितरण में कमियां शामिल हैं। उक्त रिपोर्ट में जो कमियां बताई गई हैं वे संगठित हुंडी बाजार (मनी मार्किट) के बाहर नकद स्रोतों के जमाव के कारण मंडी में व्यापारियों और किसानों द्वारा उत्पाद को रोक लेने जैसी कमियों से सम्बन्धित हैं। मुद्रास्फीति को रोकने और अधिकतम स्थानीय अधिप्राप्ति और बिदेशों से आयात कर उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दिशा में सरकार ने समय समय पर उचित पग उठाये हैं।

दिल्ली के चारों ओर के नगरों में नई बस्तियों के लिये परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था

5160. श्री राम सहाय पांड : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय आयोजकों और प्रशासकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिये दिल्ली महानगर के आस पास के नगरों में नई बस्तियों में परिवहन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). दिल्ली की वृहत्त योजना में सिफारिश की गई है कि दिल्ली के विकास के साथ-साथ दिल्ली के इर्द-गिर्द के कस्बों का इसके साथ ही विकास किया जाना चाहिये। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिसमें संघ राज्य में नरेला तथा संघ राज्य क्षेत्र के बाहर 17 क्षेत्रीय कस्बों के विकास की व्यवस्था है। क्षेत्रीय योजना में भी, क्षेत्रीय कस्बों के विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये वास्तविक तथा सामाजिक आधारभूत संरचना की व्यवस्था है।

मध्य प्रदेश में भुखमरी से हुई मौतें

5161. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में अकाल के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य में अकाल के कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं ; और

(ग) 1974-75 में राज्य में जिलावार कितनी मौतें हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) तक. सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नाटकों के प्रदर्शन से पूर्व किये जाने वाले सेंसर को समाप्त किया जाना

5162. **श्री मधु लिमये :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के थिएटर आर्टिस्टों ने सर्व-सम्मत मांग की है कि नाटकों के प्रदर्शन से पूर्व किये जाने वाले सेंसर को समाप्त किया जाये ।

(ख) क्या सरकार को आर्टिस्टों की इस मांग की भी जानकारी है कि थिएटर पर से मनोरंजन कर हटाया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). दिल्ली के कुछ थिएटर कलाकार दलों ने नाटकों के प्रदर्शन से पूर्व सेंसर को तत्काल समाप्त करने और नाटकों पर से मनोरंजन कर हटाये जाने की मांग की है ।

(ग) "नाटकीय प्रदर्शन" के साथ-साथ "मनोरंजन कर" का विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची --सूची-i के अन्तर्गत आता है । अतः इस मामले पर कार्यवाही करना राज्य सरकार का कार्य है । तथापि जहां तक दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का प्रश्न है, गैर-व्यापारिक कला प्रदर्शन पर मनोरंजन कर की उगाही में छूट देने का विषय प्रशासन के विचाराधीन है ।

वार्षिक खाद्य बजट तैयार किया जाना

5163. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मंत्रालय द्वारा वार्षिक खाद्य बजट तैयार किये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की इस सिफारिश के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत कृषि मूल्य-नीति से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उस पर विधिवत विचार करने के लिए कुछ समय लगेगा।

कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन

5164. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों तथा कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिये वैज्ञानिक आधार तैयार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). कृषि मूल्य आयोग की स्थापना अर्थ-व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संतुलित एवं समेकित मूल्य ढांचे का विकास करने और उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखने के लिये कृषि जिंसों और विशेषकर धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना तथा अन्य दालों, गन्ना, तिलहन, कपास तथा पटसन की मूल्य नीति के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिये की गई है। मूल्य नीति एवं आपेक्षिक मूल्य ढांचे के विषय में सिफारिश करते समय आयोग को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होती हैं :—

(1) उन्नत तकनोलोजी अपनाने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता, (2) भूमि एवं उत्पादन के अन्य संसाधनों को उपयुक्त ढंग से काम में लाने की आवश्यकता, (3) शेष अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर रहन-सहन की लागत, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक लागत की संरचना, आदि पर मूल्य नीति से पड़ने वाला प्रभाव।

लारेंस रोड क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क/भूमि पर से अनधिकृत कब्जा हटाने हेतु किये गये उपाय

5165. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड वैलफेयर फैडरेशन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उप-आवास आयुक्त को अपने पत्र दिनांक 7 जून, 1974 में अनुरोध किया है कि वह सार्वजनिक सड़क/भूमि पर से बेईमान व्यापारियों का अनधिकृत कब्जा हटाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और क्या फैडरेशन को कोई सूचना दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकान गिराने का अभियान 19—12—73 तथा 21—9—74 को चलाया था जिसमें सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाया गया था। आगे और सूचना प्राप्त

होने पर, एक और अभियान मार्च, 1975 के अन्तिम सप्ताह में चलाया गया था जिसमें सरकारी भूमि से 56 संरचनाओं को हटाया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल उन्हीं पंजीकृत अधिकरणों से संबंधित है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास सम्पदाओं का प्रबन्ध और बेचना) के विनियम 1968 के अन्तर्गत गठित है। लारेंस रोड वैलफेयर फैडरेशन एक पंजीकृत अधिकरण नहीं है। इस कारण मकान गिराने के अभियान के बारे में फैडरेशन को कोई सूचना नहीं दी गई।

सिमिलिपल उड़ीसा में (बांध परियोजना)

5166. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि **और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमिलिपल में 'प्रोजेक्ट टाइगर' की अद्यतन प्रगति क्या है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना अपने सभी पहलुओं में, कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग) उक्त परियोजना के पूरे होने में कितनी धनराशि की आवश्यकता है और आकर्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी।

Qualifications for Principals of Higher Secondary Schools in Delhi

5167. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the U.P.S.C. had accepted M.A. (Second Division) and five years experience as in-charge of a recognised Higher Secondary School or Inter-College as the minimum qualifications for the posts of Principals of Government Higher Secondary Schools in Delhi;

(b) whether the same academic qualifications and experience have been accepted for the posts of Principals of Government aided Higher Secondary Schools also; and

(c) if so, the full facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c). According to the existing recruitment rules, the qualifications prescribed for the Principals of Government Higher Secondary Schools in Delhi are as follows:—

Essential:

(1) Second Class Master's Degree from a recognised University or equivalent;

(2) Degree in Teaching/Education from a recognised University or equivalent;

(3) About 5 years experience in Administrative charge of a recognised Higher Secondary School/Intermediate College (including 2 years teaching experience).

(These qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified).

Desirable:

(1) A doctorate degree

(2) Public School Experience

These qualifications are also applicable to Principals of Government aided Higher Secondary Schools in Delhi, in accordance with the Delhi School Education Rules, 1973.

उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों में मिलावट

5168. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले खाद्यान्नों में चोकर, कंकड़ और अन्य बाह्य पदार्थ मिले होते हैं और उपभोक्ता को दिये जाने वाले राशन में ये लगभग 7 से 10 प्रतिशत तक होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने कभी इस मिलावट की रोकथाम करने की कोशिश की है और यदि हां, तो मिलावट बेरोक-टोक कैसे जारी है तथा क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम या उचित दर की दुकानों के मालिकों पर इस मिलावट के लिये मुकदमा चलाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Per Capita Milk Production in the Country

5169. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the per capita milk production capacity in the country during 1974-75;

(b) whether this capacity is likely to be augmented during 1975-76; and

(c) if so, the per capita consumption during the current year?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) The estimated production of milk in 1974-75 is not available. The figures of per capita milk production or availability of milk and milk products are derived on the basis of estimated production of milk and human population. In the absence of annual sample surveys in all the States, simultaneously, at a particular point of time which should be the basis of working out total production in the country, milk production is estimated every 5 years only on the basis of cattle population census.

(b) Milk production during 1975-76 is expected to increase due to general increase in the milch cattle population and also the impact of cattle development programmes undertaken. During the last five years, intensive cross-breeding programmes have been taken

up in different parts of the country and as a result of these, a larger number of cross-breed cows are also expected to yield greater quantities of milk in the next one or two years.

(c) There is no system whereby production figures for individual years in the Plan period can be precisely estimated. Hence, it would not be possible to indicate per capita consumption in the current year.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उच्चतर वेतनमानों के भुगतान पर अतिरिक्त खर्च

5170. **श्री आर० एन० बर्मन** :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उच्चतर वेतनमानों को अध्यापकों को अदायगी करने के लिए किन-किन राज्यों ने अतिरिक्त सहायता मांगी है और प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त सहायता के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रति वर्ष कुल कितनी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों की योजना में, संशोधित वेतनमानों को लागू करने में होने वाले अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत के लिये भारत सरकार द्वारा अदायगी करने की व्यवस्था है, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अनुदान के लिए जिन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किए हैं, उनके नाम हैं—उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात ।

कोरापुट में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम

5171. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आदिवासी और हरिजन युवकों के लिए कोरापुट में नेहरू युवा केन्द्र ने क्या कार्यक्रम आयोजित किया ;

(ख) क्या नेहरू युवा केन्द्र में नियुक्त समन्वयकर्ता जिले के अन्तरंग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाता है; और

(ग) क्या इसने कोरापुट में नेहरू सप्ताह का आयोजन करने वाले नगर के युवकों को सहयोग देने से इन्कार किया था और वाद-विवाद प्रतियोगिता के पुरस्कारों की लागत का भुगतान करने के लिए भी इस समन्वयकर्ता ने इन्कार किया था यद्यपि उसने इस लागत को वहन करने का वचन दिया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) कोरापुट स्थित नेहरू युवक केन्द्र ने जिले के युवकों सहित जनजातीय हरिजन तथा आदिवासी युवकों को जुटाने के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किये हैं। इनमें कृषि, मुर्गी पालन, उर्वरकों का अनुप्रयोग करने, फल के बाग लगाने में प्रशिक्षण देना तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलाप शामिल हैं। हाल में ही पोटांगी और उमेर कोटे गांवों में विशेष रूप से जनजातीय और हरिजन युवकों के लिए दो युवक शिविर आयोजित किये गये थे। युवक समन्वयक के केन्द्र के अधीन एक कार्यकेन्द्र की स्थापना करने के लिये भी कहा गया है जो उत्पादक हुनरों तथा स्वतः रोजगार में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उपरोक्त कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए समन्वयक ने जिले के विभिन्न ब्लाकों और गांवों का दौरा किया है।

(ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

बार बार सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के लिये द्रुत कार्यक्रम

5172. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री अनादि चरण दास :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा तथा अकाल प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बाढ़ तथा वर्षा के पानी को जमा करने का कार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आरम्भ की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ) जी नहीं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्लान योजना है। इसके लिए पांचवीं योजना अवधि में 187 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जिसमें 20 करोड़ रुपया विशेष रूप से पिछड़े सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के लिए शामिल है।

गिर शेर शरण-स्थली (सेंक्युअरी) में मालधारी परिवारों का स्थानान्तरण

5173. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिर शेर शरण-स्थली ((सेंक्युअरी) में मालधारी परिवारों के स्थानान्तरण का कार्य प्रगति पर है और इसे तेजी से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार को उक्त परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार से तथा विश्व वन्यजीव निधि (वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ़ फ़न्ड) से वित्तीय सहायता दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) गिर आश्रय-स्थल के क्षेत्र में लगभग 840 मालधारी परिवार हैं जिनके पास लगभग 1,700 पशु हैं। 92 परिवारों को वहां से उठाया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 1974-75 के अंत तक लगभग 120 परिवारों के वहां से उठाए जाने की संभावना है।

जून, 1975 के अंत तक लगभग 190 परिवारों के स्थानान्तरित होने की सम्भावना है। आशा है यह कार्य पांचवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कारखानों में उर्वरकों के जमा हो जाने को रोकने के लिये उसके मूल्यों का पुनरीक्षण

5174. **श्री अमर सिंह चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान उपभोक्ता मूल्य विरोध के फलस्वरूप कारखानों में उर्वरकों के और अधिक जमा हो जाने को रोकने के लिये उसके मूल्यों का पुनरीक्षण करने पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इसे कैसे और कब कार्यरूप दिया जायेगा; और

(ग) कारखानों में उर्वरकों के जमा हो जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) उर्वरकों के मूल्यों में 1 जून, 1974 से वृद्धि हुई थी। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1973-74 की तुलना में वर्ष 1974-75 के दौरान उर्वरकों की खपत में मामूली कमी हुई थी। इसके विभिन्न कारण थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां थीं, जो 1974-75 के दौरान देश के कई भागों में विद्यमान रहीं। दिनांक 28 फ़रवरी, 1975 की स्टाक स्थिति से पता चलता है कि अधिकांश कारखानों में उर्वरकों का स्टाक असामान्य रूप से इकट्ठा नहीं हुआ है। कुछ मामलों में परिवहन की कठिनाइयों और वर्ष 1974-75 के दौरान कुछ राज्यों में मौसम की अत्यधिक असामान्य परिस्थितियां मौजूद होने के कारण कुछ स्टाक इकट्ठा हो गया है।

गुजरात में उर्वरक कारखाने

5175. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उर्वरक कारखाने में बनाये जाने वाले उर्वरक केवल गुजरात में ही वितरित किये जाते हैं अथवा अन्य राज्यों को भी दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि अन्य राज्यों को भी दिये जा रहे हैं तो गत वर्ष कितनी मात्रा में भेजे गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) गुजरात में स्थित बड़े उर्वरक कारखाने ये हैं—गुजरात स्टेट फ़र्टिलाइजर कम्पनी, आदर्श फ़र्टिलाइजर एंड केमिक्लज़, पोषक लि०, तथा अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि० । इन कारखानों में उत्पादित किये गये उर्वरकों का वितरण उस विपणन क्षेत्र में किया जाता है जिसमें गुजरात शामिल है । वर्ष 1974–75 में इन कारखानों के जरिए उत्पादित कुल 72,997 मीटरी टन नाइट्रोजन और 19,697 मीटरी टन फ़ासफ़ेट गुजरात में वितरित किया गया था ।

(ख) वर्ष 1974–75 में उक्त कारखानों के जरिए उत्पादित 79,642 मीटरी टन नाइट्रोजन और 10,457 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ की कुल मात्रा गुजरात राज्य के बाहर बेची गयी थी ।

कर्नाटक में सहकारी समितियों और व्यापारियों द्वारा धान और चावल की खरीद

5176. **श्री पी रंगनाथ शिनाय : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सहकारी समितियों और अन्य व्यापारियों को लेवी दर की अपेक्षा अधिक ऊंचे दर पर धान और चावल को खरीदने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या शिमोगा जिले में इस प्रकार खरीदे गए धान और चावल को दक्षिण कनारा जिले ले जाने की अनुमति है बशर्ते कि उसका कुछ भाग सरकार को लैवी दर पर दिया जाए परन्तु कुछ अन्य जिलों में लैवी दर पर वस्तु को दिए बिना ही इनको ले जाया जा सकता है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कहने पर अथवा उसकी सहमति से कर्नाटक सरकार यह भेदभाव बरत रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कमी वाले क्षेत्रों की सहकारी समितियों और अन्य व्यापारियों को खुले बाजार में चावल खरीदने और उसे, जैसा कि कर्नाटक धान (अन्तर जिला संचलन विनियम) नियंत्रण आदेश, 1972 में निर्धारित किया गया है, लैवी का भुगतान करने के बाद कमी वाले जिलों को भेजने की अनुमति दी गई है ।

(ख) ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं बरता जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नाटक आयोजनों को प्रशासित करने वाले कानून

5177 **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नाटक आयोजनाओं को प्रशासित करने वाले कानून अब भी उसी रूप में लागू हैं जिस रूप में वे ब्रिटिश शासकों द्वारा लागू किये गये थे ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस विषय पर चर्चा करने का है और यदि हां, तो सम्भावित तारीख क्या है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में तत्सम्बन्धी कानून में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई पहल कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) उन राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने इस संबंध में अपने अलग-अलग कानून बना लिए हैं, नाटक अभिनय अधिनियम, 1876, अभी भी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू है। तथापि, 1956 में उक्त अधिनियम को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ ने संविधान के लिपरीत घोषित कर दिया था और इसीलिए उक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नहीं है ।

(ख) और (ग) : "नाटक अभिनय" राज्य का विषय है और इस संबंध में कोई कार्रवाई करना राज्य सरकारों का कार्य है । जहां तक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का प्रश्न है, जहां मद्रास नाटक अभिनय अधिनियम, 1954, लागू है, नाटक अभिनयों के संबंध में एक विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

निर्माण प्रौद्योगिकी में चूना पोत्स्वालाना (पोज्जोलाना) का प्रयोग

5178. **श्री राजदेवसिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्टलैण्ड सीमेंट को प्रयोग में लाने से पूर्व चूने को भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता था क्योंकि सेन्ट्रल विल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की के अनुसार चूने में बन्धक के सभी अच्छे गुण विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकतर हिमालयीय राज्यों में चूने के पत्थरों का बड़ा भंडार मौजूद है ;

(ग) क्या सीमेंट की कमी तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु सीमेंट के निर्यात के सन्दर्भ में निर्माण प्रौद्योगिकी में चूना तथा चूना पोत्स्वालाना के प्रयोग को चालू करने के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की के अनुसन्धान निष्कर्षों के आधार पर सीमेंट की कमी को पूरा करने के लिये चूने के उत्पादन को प्रोत्साहन देने को तैयार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) :

जी, हां ।

(ग) निर्माण परियोजनाओं में चूना तथा चूना पोज़ोलाना के इस्तेमाल की आवश्यकता के बारे में राज्य आवास बोर्डों तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण अभिकरणों को राज्य सरकारों के माध्यम से सूचित कर दिया गया है । राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने भी चूना तथा चूना पोज़ोलाना के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के सहयोग से चूना उत्पादकों, निर्माण अभिकरणों, वास्तुकों, अनुसंधान वैज्ञानिकों आदि के साथ विचार गोष्ठियों तथा बैठकों का आयोजन किया है ।

(घ) उस दिशा में पहले ही कदम उठाये जा रहे हैं । मानक कोटि का चूना तथा क्ले पोज़ोलाना के उत्पादन के लिए दिल्ली में एक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है । यह केन्द्र देश के अन्य स्थानों में ऐसे प्लांट स्थापित करने के लिए नए उद्यम मालिकों को प्रशिक्षण देगा तथा उन के टिकाऊपन के बारे में कच्चे माल की उपयुक्तता का परीक्षण-मूल्यांकन भी करेगा ।

अखिल भारतीय महिला दिवस

5179. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 16 फरवर 1975 को अखिल भारतीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : 16 फरवरी, 1975 को अखिल भारतीय महिला दिवस मनाने की व्यवस्था समाज में महिलाओं और उन के कार्य एवं अधिकारों के बारे में सार्वजनिक ज्ञान जाग्रत करने और देश में उन्हें विकास संबंधी कार्यों में लगाने की अनिवार्य आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए की गई थी । तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में एक प्रभावी रेलो का आयोजन किया गया था जिस में दिल्ली के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों तथा जीवन के सभी स्तरों के पुरुषों और स्त्रियों ने भाग लिया था । प्रधान मंत्री ने महिलाओं से अपील की कि वे राष्ट्र के आदर्शों का पालन करें । समारोह में लड़कियों द्वारा एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रदर्शन किया गया था तथा नेशनल कैडेट कोर की लड़की केडेटों ने गार्ड आफ आनर दिया । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों ने भी अखिल भारतीय महिला दिवस मनाया । समारोह की रिपोर्टों से पता चला है कि देश के विभिन्न भागों में इस दिन को बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया ।

विभिन्न भाषाओं में भाषायी विकास एवं अनुसन्धान की समेकित जानकारी देने वाली पत्रिका

5180. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय सीधे या किसी भाषा अनुसंधान संस्थान के माध्यम से कोई ऐसी पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें भारत में भाषायी क्षेत्र का समन्वित स्वरूप प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न भाषाओं के क्षेत्र में भाषायी विकास एवं नवीततम भाषायी अनुसंधान की जानकारी दी जाती हो,

(ख) यदि हां, तो पत्रिका का नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो मैसूर स्थित 'सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ लैंग्वेजिस' द्वारा प्रकाशित 'वर्तवाह' नामक पत्रिका बन्द किये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या 'सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ लैंग्वेजिस' का 'वर्तवाह' का प्रकाशन पुनः आरम्भ करने की अनुमति दी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) से (घ). मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली और वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त संस्था, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा कुछ समय से क्रमश : त्रैमासिक पत्रिका 'भाषा' और अर्ध-वार्षिक पत्रिका 'गवेषणा' प्रकाशित कर रहे हैं जिनमं अन्य बातों के साथ भाषायी सम्बन्धी मामलों पर भी लेख प्रकाशित होते हैं। कागज की कमी के कारण 'वर्तवाह' के प्रकाशन को बन्द कर दिया गया था। 'वर्तवाह' के प्रकाशन को पुन : आरम्भ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बेरोजगार तथा तदर्थ पैनल पर रखी गई जे० बी० टी० महिला शिक्षकों को रोजगार देने की योजना

5181 **श्री नारायण चन्द पराशर सरकार:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग की, जून, 1973 में बनाये गये जे०बी०टी० महिला शिक्षकों के पैनल मे सम्मिलित न किये गये अभी तक बेरोजगार परन्तु तदर्थ सूची पर रखी गयी अर्हता प्राप्त महिला शिक्षकों को वर्ष 1975-76 के दौरान रोजगार देने की कोई योजना है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में (अद्यतन) कुल कितने अस्थायी शिक्षकों को रोजगार दिया गया है और उनमें से पैनल का विस्तार करते से पूर्व कितने शिक्षकों को तदर्थ पैनल से लिया गया है ; और

(ग) उक्त पैनल में सम्मिलित सभी शिक्षकों के नाम क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सस्कृति विभाग में उपमत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1974–75 में पैनल में से केवल दो उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। सहायक अध्यापिकाओं (जे०बी०टी०) के पैनल में कोई बृद्धि नहीं की गई थी।

(ग) वे सात उम्मीदवार जिन्हे पैनल में शामिल किया गया था निम्नलिखित है :—श्रीमती/कुमारी प्रेमलता, निर्मल चौधरी, सुवीना श्री माली, विजय मलिक, कुलवीन्दर कौर, निर्मल ठुकराल और वीना मेहरा।

लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये दी गई सहायता

5182. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में राज्य-वार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और हरियाणा राज्यों को लघु, मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के लिए कितनी सहायता दी है ;

(ख) क्या जम्मू और काश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों को संसाधनों की बड़ी क्षमता को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 1975–76 में इन राज्यों को कुल कितनी सहायता दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी स्कीम अथवा विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती। 1972–73 से 1974–75 तक हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा के राज्यों को दी गई ऐसी सहायता की रकम इस प्रकार है :—

करोड़ रुपयों में

	1972–73	1973–74	1974–75
1. हिमाचल प्रदेश	22.00	22.35	22.35
2. जम्मू और काश्मीर .	31.70	30.21	59.21
3. पंजाब	21.14	20.64	20.52
4. हरियाणा	16.46	15.99	15.95

इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट परियोजनाओं तथा पांचवीं योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु भी चतुर्थ योजना अवधि के दौरान राज्यों को गैर-योजना केन्द्रीय सहायता भी दी गई थी। 1972–73 और 9973–74 के दौरान इन राज्यों को सिंचाई उद्देश्यों के लिए दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना और 1975–76 वर्ष के लिए वार्षिक योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

"विवरण"

सिंचाई उद्देश्यों के लिये दी गई गैर-योजना सहायता ।

करोड़ रुपये

राज्य	स्कीम आदि	1972–73	1973–74
1. हिमाचल प्रदेश	पांचवीं योजना पर अग्रिम कार्यवाही जल विद्यत स्कीमों के अन्वेषण	—	1.09
2. जम्मू और काश्मीर	पांचवीं योजना पर अग्रिम कार्यवाही		
	(क) जल विद्युत् स्कीमों के अन्वेषण		0.77
	(ख) तवी लिफ्ट नहर और रणबीर नहर परियोजना		0.53
			1.30
3. पंजाब	1. ब्यास परियोजना	6.58	—
	2. 1968–69 से पूर्व ब्यास परियोजना पर अतिरिक्त व्यय का भाग	3.39	—
	3. पांचवीं योजना पर अग्रिम कार्यवाही– सीमावर्त्ती जिलों में नलकूपों पम्प सेटों का निर्माण	—	2.50
		9.97	2.50
4. हरियाणा	1. 1968–69 से पूर्व ब्यास पर अतिरिक्त व्यय का भाग	2.29	2.29
	2. वास्सी परियोजना	3.70	—
	3. विशेष सिंचाई परियोजनाएं	3.50	—
	4. पांचवीं योजना पर अग्रिम कार्यवाही		
	क. इंदिरा गांधी नहर का निर्माण ख. वी० एन० चक्रवर्त्ती नहर का निर्माण ग. हांसी ब्रांच की लाईनिंग घ. पश्चिमी यमुना विस्तार नहर चरण-एक		7.48
		9.49	9.77

साहित्य अकादमी के संविधान में संशोधन

5183. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी के संविधान में सरकार ने क्या क्या संशोधन करने का सुझाव दिया था ·

(ख) सरकार द्वारा उक्त संशोधनों का सुझाव देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या साहित्य अकादमी को महा-परिषद् ने प्रस्तावित संशोधन स्वीकार कर लिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अकादमी ने कौन-कौन से संशोधन स्वीकार किये तथा कौन-कौन से संशोधन अस्वीकार किये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) से (घ) : न्यायमूर्ति श्री जी ०डी ० खोसला की अध्यक्षता में फरवरी, 1970 में सरकार द्वारा तीन राष्ट्रीय अकादमियों तथा भारतीय सांस्कृतिक संपर्क परिषद् के लिए एक पुनरीक्षण समिति स्थापित की गई थी। उक्त समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय संस्था के लिए एक उपयुक्त ढांचे की सिफारिश करना तथा स्वायत्तता और लोक उत्तरदायित्वता की आवश्यकताओं के अनुकूल संस्था के अंतर्नियम (नियमों तथा विनियमों) में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना था। जुलाई, 1972 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ साहित्य अकादमी के विधान के बारे में भी कुछ सिफारिश की थी। इन सिफारिशों तथा उनपर अकादमी की टिप्पणी पर उचित विचार करने के पश्चात्, सरकार ने अकादमी के संविधान पर अपने विचार प्रतिपादित किये हैं। इन पर साहित्य अकादमी की महा परिषद् द्वारा, 2(-2-1975 को हुई अपनी बैठक में, विचार किया गया था। अकादमी का विद्यमान विधान, पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों, सरकार के विचार तथा महा परिषद द्वारा किए गए निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी ० 9359/75]

गेहूं की प्रमाणित बीज के रूप में सप्लाई किये जाने के बारे में जांच

5184. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री गेहूं की प्रमाणित बीज के रूप में सप्लाई किये जाने के बारे में 26 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच पूरी कर ली है और इस मामले में आगे कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में जाली फर्मो के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसका व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही जांच अभी पूरी नहीं हुई हैं। अतः इस समय कोई जानकारी देना संभव नहीं है।

कार्यभारित कर्मचारियों की वरीयता सूचियां

5185. **श्री मती रोजा विधाधर देशपांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 जनवरी, 1975 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी एककों के कार्यभारित कर्मचारियों की वरीयता सूचियां तैयार कर ली गई हैं और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को परिचालित कर दी गयीं हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो किन एककों के सम्बन्ध में अभी तक यह तैयार नहीं की गयी हैं और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में 'एक लाख गृह' कार्यक्रम

5186. **श्री बयालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल सरकार वित्तीय कठिनाइयों के कारण 'एक लाख गृह' कार्यक्रम को पूरा क्रियान्वित करने में असमर्थ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार उस राज्य को किस प्रकार की सहायता देने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : क तथा (ख). केरल सरकार ने सूचित किया है कि निधियों की कमी के कारण एक लाख आवास कार्यक्रम पूर्ण करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है । भारतीय जीवन बीमा निगम ने केरल सरकार को इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1974–75 के दौरान 1.50 करोड़ रुपये का एक विशेष ऋण स्वीकृत किया है ।

ये मकान ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के लिए हैं । ग्रामीण आवास राज्य क्षेत्र में है । ग्रामीण आवास सहित राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है । राज्य सरकारें, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं ।

बाह्य दिल्ली में ग्रामीण जोन में क्षेत्र के विकास के लिये योजना

5188. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाह्य दिल्ली में पंखा रोड के साथ बरसाती नाले और पालम कालोनी के बीच ग्रामीण जोन में क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है और योजना की क्रियान्विति कब तक की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली के ग्रामीण जोन में नागरिक सुविधाएं

5189. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने ग्रामीण जोन में सड़क पर रोशनी, पक्की सड़क और नाली आदि जैसी मूल नागरिक सुविधाओं को व्यवस्था करने के लिए बड़ी धनराशि का उपबन्ध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सागरपुर निवासी कल्याण संघ द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती सम्बन्धी विभाग को किए गए अनुरोध का ध्यान में रखते हुए बाह्य दिल्ली में पंखा रोड के साथ-साथ सागरपुर गांव और अन्य बस्तियों में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) ऐसी मूल सुविधा की वहां कब तक व्यवस्था कर दी जागी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयम्बतूर में मडपम शिवर में स्थापित ऊपरी टैंक

5190. **श्री भोला माझी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कोयम्बतूर सेन्ट्रल और कोयम्बतूर सेन्ट्रल इलेक्ट्रिकल डिवीजनों के अन्तर्गत मंडपम शिविर में स्थापित ऊपरी टैंक बहुत अधिक समय से रिस रहा है जिससे टैंक के नीचे बिजली के कनेक्शनों तथा पम्प को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रिसाव प्रथम बार जनवरी, 1973 में हुआ था तब इसकी मरम्मत की गई थी, नया रिसाब जनवरी, 1975 में हुआ । तथापि, टैंक के नीचे के पम्प तथा बिजली के कनैक्शनों को कोई खतरा नहीं है क्योंकि पम्प हाउस अलग से बना है ।

(ख) यह टैंक किफायती मरम्मत से बाहर है तथा एक नयी ऊपरी टैंक का निर्माण किया जाना है । निविदाऐं आमंत्रित करने के बाद यह निर्माण कार्य सौंपा जाना है ।

डिग्री कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

5194. **श्री सतपाल कपूर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा निर्देशक (छात्रवृत्ति) दिल्ली को वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान वर्ष-वार छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में दिल्ली के डिग्री कक्षाओं के विद्यार्थियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन पत्रों को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि वे आवेदन फार्मों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के बाद विलम्ब से मिले हैं;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन को खोया गया अथवा पता न लग सकने वाला माना गया तथा जिन के सम्बन्ध में कालेजों तथा शिक्षा निदेशक के बीच, विवाद था;

(घ) क्या डाक के दौरान रखे गये अथवा पता न लग सकने वाले आवेदन पत्रों के मामले में नये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं; और

(ङ) यदि नये आवेदनपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाता तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ङ) :–दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर, विवरण संलग्न है ।

विवरण

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की अपनी दो महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां तथा राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां हैं जिनके अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन, उत्तर मैट्रिक स्तर पर अध्ययन के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है । शिक्षा

निदेशक, दिल्ली द्वारा प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या तथा अस्वीकृत मामलों की संख्या के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

योजना का नाम	शिक्षा निदेशक, दिल्ली द्वारा प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या			आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख के बाद विलम्ब से प्राप्त होने के आधार पर अस्वीकृत मामलों की संख्या		
	1971–72	1972–73	1973–74	1971–72	1972–73	1973–74
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	120	125	163	शून्य	शून्य	शून्य
राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	336	377	398	53	79	96

जहां तक इन दो योजनाओं का सम्बन्ध है, खोया गया अथवा पता न लगा सकने वाला माना गया कोई मामला नहीं है । अतः, नये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठाता था ।

संकर किस्म के बैलों के विकास के लिये उनके बारे में चारे पर व्यय की गई राशि को पूरा करने के लिये राज सहायता

5195, **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा संकर किस्म के बैलों के पालने के लिये उनके चारे पर व्यय की गई राशि को पूरा करने के लिये राजसहायता देने हेतु पांचवीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में 30 करोड़ रुपये के प्रावधान से एक नई योजना शामिल की गई है !

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राजसहायता के राज्यवार आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। लघु और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा संकर किस्म के बछड़ों के पालनहेतु उनके चारे-दाने के लिए राज-सहायता देने के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में, 30 करोड़ रुपये की लागत की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शामिल की गई है । राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में संकर किस्म के बछड़ों के पालन के लिये लघु/सीमान्त कि सानों और कृषि श्रमिकों को सहायता देने के लिए भी पांचवीं योजना के

प्रारुप में 15 करोड़ रु की राशि की व्यवस्था की गई है इस प्रकार से, इस उद्देश्य के लिए पांचवीं योजना में 45 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) पांचवी योजना के दौरान इस कार्यक्रम को क्रमवद्धरूप से 75 जिलों में कार्यरूप देने का प्रस्ताव है, ताकि प्रत्येक जिले में लघु/सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के अधिक से अधिक 5000 परिवारों को सहायता दी जा सके। चारे-दाने के कुल व्यय को केन्द्र और राज्यों द्वारा 2 : 1 के अनुपात में वहन किया जायेगा।

(ग) 30 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के नियतन के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। परन्तु प्रत्येक राज्य को सहायता समान आधार पर दी जायेगी।

House Building Loans to Government Employees in Madhya Pradesh

5196. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the Central and State Government employees in Madhya Pradesh are experiencing difficulty in getting Central financial assistance by way of house building loans;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to extend requisite financial assistance to the above employees;

(d) if so, how and when; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) Central Government servants and such Government servants as are members of the All India Services on deputation with the Central Government are eligible for house building advance under the Central Government's Scheme for Grant of House Building Advance. No difficulty in getting house building advance under the scheme has been brought to the notice of the Government by any such Government servant. The State Government employees are governed by their own scheme.

(b) to (c). The questions do not arise.

Targets for Rabi crop under Emergency Agricultural Production Programme of M.P. during 1972-73

5197. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a target was fixed for Rabi Crop under the Emergency Agricultural Production Programme in 1972-73 in Madhya Pradesh;

(b) whether the target has been achieved and if not, the extent to which achieved; and

(c) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c). Under the Emergency Agricultural Production Programme undertaken to meet the situation created by drought during Kharif 1972-73, an additional foodgrains

production of 12.10 lakh tonnes was planned during the Rabi/summer season of 1972-73 in Madhya Pradesh. The target, however, could not be achieved. The actual production of wheat and pulses (mainly gram) during 1972-73, as compared to 1971-72, was as under:—

(1000 tonnes)

Crop	Production	
	1971-72	1972-73
Wheat	3,189.2	2,284.8
Gram	1,148 4	1,108.8

The shortfall in Rabi production during 1972-73 was reported to be primarily on account of the failure of winter rains in most Rabi-growing areas of the State as also because of high temperatures in October, 1972. The acreage under wheat declined as compared to the previous year. Winter rains were also not received throughout the Rabi-growing areas.

Indo-Nepal Cultural Exchange

5198. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether any talks were held between India and Nepal regarding cultural exchanges in 1974; and

(b) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

वनस्पति घी के बनाने में सरसों के तेल का प्रयोग

5199. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी के बनाने में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है और यदि हां, तो इस का अनुपात कितना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वनस्पति घी बनाने में बिनौले के तेल के स्थान पर सरसों के तेल का प्रयोग करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। वनस्पति तैयार करने में सरसों के तेल के प्रयोग करने की इजाजत नहीं है ।

(ख): फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Order for manufacture of cloth bag given by National Seeds Corporation

5200. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state:

(a) the number of cloth bags for the manufacture of which orders were placed by the National Seeds Corporation Delhi Office during 1972-73 and 1973-74 for its own use; and

(b) the names of the companies with whom orders for manufacture of cloth bags were placed and the number of bags for which orders were placed to each company as also the expenditure incurred on them, size-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) The sizes and the number of cloth bags procured by the National Seeds Corporation during 1972-73 and 1973-74 are given below:—

Year	Size of cloth bags	Quantity procured
1972-73	2 Kg.	3,68,750
	3 Kg.	6,69,961
	4 g.	10,000
	5 to 6½ Kg.	69,000
	10 to 12 Kg.	2,57,000
1972-74	2 Kg.	70,800
	3 Kg.	14,96,000
	5-6½ Kg.	8,54,000
	10-12 Kg.	5,25,800

(b) Details regarding the sizes of cloth bags, quantities, names of the firms and the value of the bags for which orders were placed by the N.S.C. during 1972-73 and 1973-74 are given below:—

Name of the Supplier	Size of cloth	Quantity	Value
1972-73			
1. M/s Kishore & Sons, Delhi.	3 Kg.	2,03,661	93,684.06
2. M/s Allied Trading Corporation, Ujjain.	2 Kg.	3,68,750	1,36,437.50
3. -do-	3 Kg.	4,66,300	2,19,161.00
4. M/s C. Krishnamurthy & Co., Vijayawada.	2 Kg.	2,57,000	3,85,500.00
	5-6½ Kg.	69,000	77,970.00
	4 Kg.	10,000	9,700.00
1973-74			
1. M/s C. Krishnamurthy & Co., Vijayawada	5-6½ Kg.	5,57,000	6,29,410.00
	10-12 Kg.	3,53,000	5,29,500.00
2. M/s Nav Bharat Textiles, Meerut.	2 Kg.	2,90,800	1,30,860.00
	3 Kg.	3,96,000	2,17,800.00
	10-12 Kg.	2,70,000	3,99,600.00
3. M/s Allied Trading Corporation, Ujjain.	2 Kg.	15,000	6,600.00
	3 Kg.	11,00,000	7,04,000.00
	5-6½ Kg.	2,97,000	3,23,730.00

Supply of Hindi Typewriters

5201. **Shri Sudhakar Pandey:** Will the Minister of Parliamentary Affairs be pleased to state the action proposed to be taken to provide Hindi typewriters to those offices which have only English typewriters at present?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramaiah): Sufficient number of Hindi typewriters is available in the Department of Parliamentary Affairs.

हिन्दी टाइपराइटरों की सप्लाई

5202. **श्री सुधाकर पांडे:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कार्यालयों को हिन्दी टाइपराइटर सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी जहां इस समय केवल अंग्रेजी टाइपराइटर ही हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : हिन्दी के द्विवार्षिक कार्यक्रम के अनुसार अनेक कार्यालय कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर खरीद चुके हैं। दूसरे दफ्तरों से कहा जा रहा है कि वे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जल्दी ही कार्रवाई करें।

हिन्दी टाइपराइटरों की सप्लाई

5203. **श्री सुधाकर पांडे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन कार्यालयों में इस समय केवल अंग्रेजी के टाइपराइटर हैं उनको हिन्दी के टाइपराइटर देने के संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में, सचिवालय के लिए पहले ही हिन्दी के इक्यावन टाइपराइटर उपलब्ध कर दिए गए हैं। इनकी मांग बढ़ने पर हिन्दी के और टाइपराइटर उपलब्ध कर दिए जाएंगे।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम में जूनियर टैक्निकल असिस्टैन्टों के वेतन-मान

5204. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम में काम कर रहे जूनियर टैक्निकल असिस्टेंटों और टैक्निकल असिस्टेंटों की अर्हतायें समान है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रत्येक श्रेणियों के लिये स्वीकृत अद्यतन वेतन-मान क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कृषि मंत्रालय से जूनियर टैक्निकल असिस्टेंटों के लिए रुपये 380–560 के वेतनमान स्वीकृत करने की कोई सिफारिश की गई थी लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया और जूनियर टैक्निकल असिस्टेंटों को उनके अधीन काम कर रहे अपर डिवीजन क्लर्कों वाले वेतन-मान दिये गये थे; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या ऐसा कोई हल निकालने का प्रस्ताव है जो जूनियर टैक्निकल असिस्टेंटों को स्वीकार्य हो; और यदि हां, तो उसकी मुख्य रुप रेखा क्या है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इन पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए, हालांकि इन दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं समान हैं, लेकिन तकनीकी सहायक के पद के लिए तीन वर्षों का अनुभव निर्धारित किया गया है, जबकि कनिष्ठ तकनीकी सहायक के बारे में कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है।

(ख) तकनीकी सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों के संशोधित वेतनमान क्रमशः 425—700 रु० और 330—560 रु० है। कुछेक पदों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों, जिनको सरकार ने मान लिया है, के आधार पर केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने इन वेतनमानों को अपना लिया है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने अब कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के लिए 380—560 रु० के वेतनमान की, पुनर्विचार और उसको अपनाने के लिए सिफारिश की है। यह सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब को कृषि योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

5205. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1974—75 में पंजाब को कृषि योजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कार्यक्रमों के लिये पंजाब को आवंटित की गई धनराशि

5206. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में आवास कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1974—75 के दौरान पंजाब को कोई धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने 1974—75 वर्ष के दौरान पंजाब में आवास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 300 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है। इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने हेतु 15 लाख रुपये की राशि शामिल है।

Scarcity of Drinking Water

5207. **Shri Martand Singh:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of Panchayats and Municipalities in Madhya Pradesh where there is still scarcity of drinking water together with the details thereof; district-wise;

(b) Government's schemes to remove scarcity of drinking water in these districts; and

(c) the number of villages in Rewa Division in Madhya Pradesh where arrangements for supply of drinking water have been made during the last three years and the expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c). Information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

एक ही संगठन के अधीन दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों की वरिष्ठता

5208. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलो में जहां दिल्ली और नई दिल्ली में कुछ उच्चतर माध्यमिक स्कूल एक ही संगठन द्वारा चलाये जाते हैं जैसे रामजस स्कूल रामजस फाउन्डेशन के अधीन चलता है, शिक्षकों को पहले एक संयुक्त संवर्ग में नियुक्त किया गया था और पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए एक संयुक्त वरिष्ठता क्रम तैयार किया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्कूलों को स्कूलवार पृथक संवर्ग बनाने के लिए हाल में कोई निदेश दिये गये हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन शिक्षकों के, जिनकी मूलतः नियुक्ति संयुक्त संवर्ग में की गई थी, पदोन्नति/स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम संयुक्त क्रम के अनुसार नियंत्रित किये जायेंगे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसा करना उन शिषकों की सेवा की शर्तों में संशोधन करना न होगा जिनकी संयुक्त संवर्ग में, विकल्प का अवसर दिये बिना, नियुक्ति की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ). दिल्ली शिक्षा संहिता, 1965 के उपबन्धों के अन्तर्गत, एक ही प्रबन्ध के अधीन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में समान पद पर स्थानान्तरण अनुमत्य था। परन्तु, इस प्रकार के मामलों में अध्यापकों का सामान काडर (संवर्ग) और वरीयता सूची बनाने की कोई व्यवस्था नही थ. । अतः प्रारम्भिक नियुक्तियां संयुक्त काडरों के लिए नहीं की जाती थीं।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के लागू होने के बाद से, प्रत्येक सहायता प्राप्त स्कूल को एक अलग स्कूल समझा जाता है और उसकी अपनी प्रबन्ध समिति, स्टाफ प्रवरण समिति, अनुशासन समिति आदि होती है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे स्कूलों में अध्यापकों की वरीयता सूचियां भी पृथक होंगी। तदनुसार, अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, कोई एक समान वरीयता सूची नहीं है और न हीं अन्तर-स्कूली स्थानान्तरण की कोई व्यवस्था है।

अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार, प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रत्येक कर्मचारी सेवा की उन शर्तों को अपनाने की छूट होगी जो उस पर अधिनियम के लागू होने से तत्काल पूर्व लागू थी ?

मकानों का अधिग्रहण

5209. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के अधिग्रहण के बारे में चल रही मुकदमेंबाजी के कारण विकास परियोजनाओं में असाधारण विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की शीघ्र क्रियान्वित में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कानून बनायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) प्रायः भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में मुकदमेबाजी के कारण विकास परियोजनाओं की क्रियान्वित में देर हो जाती है।

(ख) श्री ए० एन० मुल्ला की अध्यक्षता में स्थापित हुई भूमि अधिग्रहण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों का दृष्टि में रख कर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करते समय अधिग्रहण के कार्यों के कारण मुकदमेबाजी से होने वाले विलम्ब के प्रश्न पर विचार करते हुए इसे ध्यान में रखना होगा कि भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में व्यक्ति विशेष के भी अधिकार होते हैं। इससे पहले कि प्रभावित पार्टियों की सम्पति अधिग्रहीत की जाए, उन्हें अपने बचाव के लिए काफी समय दिया जाना चाहिए।

राज्यों में चावल के वसूली अभियान में आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

5210. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल उत्पादक राज्यों में चालू वसूली अभियानों के दौरान आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार किए गये कृषकों के राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या किसानों को लेवी नोटिस दिये जाने के अलावा, इन राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में पुलिस धान को जब्त कर रही है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जब्त किये गये धान की मात्रा को तोलने के लिए तराजू का उपयोग नहीं किया जाता है ;

(घ) क्या ऐसा न करने से पकड़े गये धान की वास्तविकत मात्रा के बारे में बढ़ाचढ़ा कर दावे पेशे किए जाते हैं ;

(ङ) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा से सरकार द्वारा धान को बरामद करने का काम रूक गया है ;

(च) क्या मुख्य रूप से छोटे और माध्यम श्रेणी के किसान ही धान को बरामद करने के ऐसे अभियानों के शिकार हुए हैं ; और

(छ) क्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से जबर्दस्ती धान बरामद करने के लिए केन्द्रीय सरकार कारणों के बारे में पूछताछ करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और चिंसाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (छ) तक: सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Land Distribution to Harijans, Adivasis of Morena, Bhind and Gwalior District of Madhya Pradesh

5211. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4602 on the 24th March, 1975 regarding levelling and distribution of land in dacoit infested areas of Morena in M. P. and state:

(a) the manner in which the land already levelled in Morena, Bhind and Gwalior Districts of M.P. and still to be allotted is to be distributed and the number of Harijans and Adivasis to whow land has already been given; and

(b) the acreage of land already given to Harijans and Adivasis and proposed to be given to them out of the remaining land left undistributed so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Land already reclaimed in the districts of Morena and Bhind in Madhya Pradesh is being allotted through public auction. Thirteen Harijans in Morena district have been allotted levelled land. No Adivasis have been allotted such lands so far.

(b) An area of 6.43 hectares (16.07) of land has been allotted to Harijans. There is no priority for Harijans or Adivasis and the land is auctioned, so as to recover the heavy investment on revine land reclamation.

Land owned by Cooperative Sugar Mills, Kailaras, District Morena

5212. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Cooperative Sugar Mill, Kailaras of Morena districts is not at present getting sugarcane as per its consumption and if so, any scheme prepared by Government to enable the mill to get sugarcane in adequate quantity;

(b) whether the Cooperative Sugar Mill also owns any land and if so, the area of the land in which sugarcane is grown at present as also the area of the land in which sugarcane is not grown;

(c) whether the Cooperative Sugar Mill propose to have more land and if so, the area of the land to be acquired indicating the time by which it would be acquired; and

(d) whether the Cooperative Sugar Mill have also made some transactions for the standing crop and if so, the acreage of land for the sugarcane of which transactions have been made?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No such difficulty has been brought to the notice of the Central Government. However, in order to ensure availability of increased quantity of sugarcane (i) the Government of Madhya Pradesh have provided funds for purchase and distribution of improved seeds for this area; (ii) the credit needs for the inputs are provided by the Co-operative banks, (iii) priority is also given by the State Government for digging wells and extension of electric lines for encouraging sugarcane cultivation in the District and (iv) a transport subsidy of Rs. 2 per quintal of cane brought from outside the District is also given by the State Government.

(b) Nil, except for eight acres in the factory compound, which is used for growing sugarcane mainly for seeds.

(c) and (d). The information is being collected from the State Government and it will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Amount given for irrigation purpose to Madhya Pradesh

5213. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3722 on 9th December, 1974 and state the time by which the Fifth Five Year Plan for Madhya Pradesh is likely to be finalised and the amount given in the form of 'block loans' and 'grants' for irrigation purpose during 1972-73 and 1973-74 respectively?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): Steep rise in prices since 1972-73, on the basis of which the draft Fifth Plan was framed, has necessitated re-assessment of the resources and readjustment of inter-se priorities within the frame-work of the draft Fifth Plans of the Centre and the States. Necessary exercises in this respect are being carried out in the Planning Commission and it would be possible to finalise the Fifth Five Year Plans including that of Madhya Pradesh after these exercises are over and a final view of the totality of resources is taken.

Central assistance to State Plans is given in the form of block loans and grants which is not related to any scheme or head of development. Such assistance provided

to Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74 was Rs. 54.95 crores and Rs. 53.32 crores respectively.

दिल्ली विकास प्राधिकरण का असंतोषजनक कार्य

5214. **मौलाना इसहाक सम्भली :**
श्री के० एम० मधुकर :
क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी कुछ महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के क्रियान्वित करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 के बजट प्रस्तावों का सारांश क्या है और अब तक क्या वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) असंतोषजनक कार्य के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) . जी, नहीं। तथापि, वाणिज्यिक परियोजनाओं पर सीमेंट के प्रयोग पर वर्तमान प्रतिबन्ध के कारण तथा सीमेंट की सामान्य रूप से कमी और संसाधन पर दबाव के कारण जब अपनी कुछ योजनाएं स्थगित की तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने मूल बजट प्रस्ताव में संशोधन करना पड़ा ।

वर्ष 1974–75 के बजट अनुमान तथा परिशोधित अनुमान के सार का एक विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० –936/75)**

दिल्ली की रिहायशी कालोनियों में अनधिकृत कारखानों का चलना

5215. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि किंग्सवे कैम्प के समीप हाल ही में विकसित नयी कालोनी गुजरांवाला में कुछ अनधिकृत कारखाने चल रहे हैं और उनसे निकलने वाली जहरीली गैस से वहां के निवासियों के सामने स्वास्थ्य की समस्या पैदा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की जायेगी ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नई विकसित गुजरांवाला कालोनी में कोई नये कारखाने नहीं हैं । तथापि इस क्षेत्र में कुछ कारखाने मौजूद हैं जो नई विकसित गुजरांवाला कालोनी से कुछ दूरी पर जी० टी० रोड के पार स्थित हैं । ये फैक्टरियां बिना लाइसेंस के हैं तथा वस्तुतः स्वास्थ्य के लिए खतरे हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कारखाने मोटरकारों की बेकार बैटरियों की प्लेटों को गलाने का धंधा करते हैं। इस प्रक्रिया से धुआं निकलता है जो निकटवर्ती निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। दिल्ली नगर निगम विधिवत् नोटिस देने के बाद जैसा कि नगर निगम अधिनियम के अधीन अपेक्षित है मुकदमें चला कर उक्त नियम के अधीन कारखाने के मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही कर रहा है।

साथ ही साथ निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से वैकल्पिक स्थानों की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है ताकि ये कारखाने अपने मौजूदा स्थानों से हटा दिये जाएं।

लेवी खाद्यानों की मात्रा और मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन

5216. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री एच० एन० मुकर्जी :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :
श्री एन० के० सांघी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रातिवेदन में लेवी खाद्यान्नों की मात्रा और उनके मूल्यों के बारे में की गई सिफारिशों का सार क्या है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग की कृषि मूल्य नीति सम्बन्धी अंतरिम रिपोर्ट में, जिसमें लेवी खाद्यान्नों की मात्रा तथा मूल्यों का भी उल्लेख किया गया है ; निम्नलिखित सिफारिशें की गई है :

(1) अभाव की स्थिति में धान्यों के अधिप्राप्ति मूल्य बाजार के चालू मूल्यों से कम होने चाहिए, जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निर्गत मूल्य का सम्बन्ध कम आय वाले उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता से होना चाहिए, अतः अधिप्राप्ति मूल्य चाहे वे न्यूनतम साहयक मूल्यों से अधिक हो, परन्तु वितरण की लागत तथा उचित आर्थिक सहायता को निकालकर निगम मूल्यों से बहुत अधिक नहीं हो सकते।

(2) यद्यपि अधिप्राप्ति मूल्य अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित होना चाहिए परन्तु उस राज्य में अतिरिक्त अदायगी के लिए अनुमति दी जाएगी जहां उत्पादन को अपेक्षित रूप से अधिक नुकसान पहुंचा है, बशर्ते कि अतिरिक्त अदायगी को सीमाओं के अन्तर्गत रखा जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य पर कम प्रभाव पड़े।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रों तथा जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होना चाहिए कि आगामी कुछ वर्षों के सिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा औसत रूप से खाद्यान्नों के उत्पादन का 12 प्रतिशत अधिप्राप्त किया जाये। इससे वर्ष 1975 में 120 लाख मीटरी टन की अधिप्राप्ति हो सकती है, जिसमें 50-50 लाख मीटरी टन चावल तथा गेहूं और 20 लाख मीटरी टन मोटे अनाज शामिल हैं।

(ख) यह रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है, अतः इसके अध्ययन के लिए एक कार्यकारी दल को गठित करने का विचार है। इस दल को आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सरकार को अपनी सफारिश देने के लिए इन सिफारिशों का गहराई से अध्ययन करने में कुछ समय लगेगा। इसके पश्चात ही सरकार इस मामले में उपयुक्त निर्णय लेगी।

आदिवासियों तथा कबाइलियों की प्राचीन संस्कृति

5217. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ता नायक:** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में आदिवासियों तथा कबाइलियों को प्राचीन संस्कृति की अच्छी-अच्छी बातों के परिक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(ख) सभ्यता जैसे शिक्षा के प्रसार तथा वाणिज्यीकरण से होने वाली क्षति से इस संस्कृति के बचाये रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां आदिवासी लोगों की उन्नति के कार्य में लगी हुई हैं और साथ ही उनकी संस्कृति के आवश्यक स्वरूपों को भी नहीं बिगाड़ रही हैं और व्यापारीकरण के बुरे प्रभावों और पिछले बाह्य प्रभावों से उन की रक्षा कर रही हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

5218. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री एन० के० सांघी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांशतः राज्य सरकारों तथा संघ राज्य दिल्ली के बीच उत्साह-हीनता के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की गति कम होती जा रही है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति को राष्ट्रीय राजधानी के विकास सम्बन्ध कार्यों को समन्वित करने तथा उसमें तेजी लाने के लिए अपेक्षित उपलब्ध प्रतिक्रिया नहीं हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो कौन कौन सी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी रूचि प्रकट नहीं की है ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना पर विचार-विमर्श तथा उसका निर्धारण करते समय सम्बन्धित राज्य सरकारों को इसकी सूचना तथा उसका ब्यौरा दहीं दिया गया था ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना भाग लेने वाली राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बनाई गई थी। उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड ने 17-9-73 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना अनुमोदित की थी। हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के मुक्य मंत्री भी उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड के सदस्य हैं। इस योजना के कार्यान्वियन का कार्य विभिन्न उपक्षेत्रों में आरम्भ हो गया है तथा केन्द्रीय सरकार ने भाग लेने वाले राज्यों को इस प्रयोजन हेतु 1974-75 के दौरान ऋण सहायता भी स्वीकृत की है।

चावल तथा मोटे अनाजों के वसूली लक्ष्य

5219. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव:

क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ़ की फ़सल के चावल की वसूली के लक्ष्य गत वर्ष के 50 लाख टन से घटा कर अब 41 लाख टन पर निश्चित किए गए हैं;

(ख) क्या मोटे अनाजों के संवंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं जबकि गत वर्ष उनका लक्ष्य 16 लाख टन था; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो लक्ष्यों को कम करने तथा लक्ष्य न रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) जी हां।

(ग) कुछेक प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में सुखे के कारण 1973-74 के खरीफ़ के चावल के उत्पादन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसलिए 1974-75 के खरीफ़ विपणन मौसम के लिए चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 41 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

खुले बाजार में मोटे अनाजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है यद्यपि कुछ राज्यों में मोटे अनाजों पर व्यापारी/उत्पादक लेवी लागू की गई है। इन परिस्थितियों में अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं हुआ है और इसलिए मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

अंडा--टाइप तथा मीट--टाइप मुर्गी के बच्चों की नई किस्मों का विकास

5220. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पशु-विज्ञान विभाग ने अंडों के रूप में और मांस के रूप में अधिक उत्पादन देने वाली मुर्गियों की किस्मों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो ये किस्में आयातित किस्मों की तुलना में कैसी रहीं; और

(ग) क्या इन किस्मों का वाणिज्यिक आधार पर विकास करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिक अंडा और मांस देने वाले चूज़े तैयार कर रहा है। परीक्षण वाले चूज़ों से आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इनके आर्थिक गुणों में स्थिरता लाने तथा आगे सुधार के लिए उनके चयन और प्रजनन का काम जारी है।

(ख) अंडा उत्पादन के लिए तैयार की जा रही मुर्गियों की दो प्रायोगिक किस्मों में से प्रत्येक से प्रति वर्ष करीब 225 अंडे प्राप्त हुए हैं। मांस के लिए तैयार की जा रही मुर्गियों में आठ सप्ताह की आयु में 1200 ग्राम से भी अधिक शरीर का वज़न प्राप्त करने की क्षमता देखी गयी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, व्यावसायिक फार्मों में रखी गयी विदेशी मुर्गियों से औसतन 214.5 से 238.1 अंडे प्राप्त हुए। आयातित मांस वाली मुर्गियों में आठ सप्ताह की आयु में शरीर का वज़न 1267 से 1384 ग्राम तक पाया गया।

(ग) जी, हां।

उपहार के रूप में प्राप्त दुग्ध चूर्ण की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग

5221. **श्री भाऊ साहिब धामनकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपहार के रूप में प्राप्त दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की बिक्री से प्राप्त धन का अधिकांशतः उपयोग देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के बजाए दुग्ध प्रोसेसिंग संयंत्रों/प्रोसेसिंग संयंत्रों के उपकरणों, प्रशीतक संयंत्रों, सड़क टैन्करों आदि का आयात करने पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के लिए तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) उपहार के रूप में प्राप्त क्रीम निकाले गये दूध से बने चूर्ण और बटर आयल की बिक्री से अर्जित धन में से पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार विकास उपायों जैसे बल्क वेंडिंग मशीनों, टेट्रा पाक प्लास्टिक पौच मैन्युफैक्चरिंग मशीन, प्री पैक मैन्युफैक्चरिंग मशीनों आदि को लागू करने में कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1970-71 से अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध करने के अभियान के अन्तर्गत दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में तरल दुग्ध के प्रति लीटर मूल्य में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना (आपरेशन फल्ड) के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहारस्वरूप प्राप्त हुई जिन्सों के हस्तांतरण/विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मुख्यतः परियोजना में शामिल की गई विभिन्न कार्यकारी मदों पर किया गया है। चार महानगरीय डेरियों और 1970 से 1975 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान फीडर/बैलेंसिंग/डेरियों के लिये देश में उपलब्ध न होने वाले डेरी उपकरणों और औज़ारों के आयात के लिए अब तक केवल 3.72 करोड़ रुपये की थोड़ी सी धनराशि का उपयोग किया गया है। रोड़ मिल्क टैंकरों के आयात के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं की गई, क्योंकि भारत में उनका निर्माण आयातित उपलब्ध स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके किया गया है। इसी अवधि के दौरान तकनीकी आदानों, उन्नत दुधारू पशुओं के विकास और ग्रामीण दूध की अधिप्राप्ति की व्यवस्था करने पर 6.04 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

(ग) तथा (घ) टेट्रा पाक सिंगल सर्विस डिस्पोजेबल कान्टेनर के परीक्षण पर व्यय की गई 5.0 लाख रुपये की थोड़ी सी धनराशि के सिवाय, प्लास्टिक पौच मैन्युफैक्चरिंग मशीनों, प्री पैक मैन्युफैक्चरिंग मशीनों, आदि का प्रयोग शुरू के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं की गई। बल्क वेन्डिंग मशीनों पर 15 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है, जिनका निर्माण देश में हो रहा है। आहार तथा चारे के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास की सरकारी डेरियों को दूध के विक्रय मूल्य में निम्नलिखित ढंग से संशोधन करना पड़ा है :—

शहर	दूध की किस्म	मूल्य रुपये/लिटर	
		1970—71	1974—75
बम्बई	(1) शुद्ध दूध	1.70	2.60
	(2) टोंड दूध	0.90	—
कलकत्ता .	(1) गाय का दूध	1.72	2.00
	(2) स्टैंडर्ड दूध . . . (टोंड दूध 3% चर्बी तथा 8.5% एस०एन०एफ०)	1.16	1.50
	(3) डबल टोंड दूध	0.84	1.00
दिल्ली	(1) स्टैंडर्ड दूध	1.16	—
	(2) गाय का दूध .	1.16	—
	(3) टोंड दूध .	0.84	1.30
	(4) डबल टोंड दूध	0.60	0.70
मद्रास .	(1) भैंस का दूध	1.26	—
	(2) गाय का दूध	1.06	—
	(3) टोंड दूध . . .	1.00	1.40
	(4) डबल टोंड दूध . .	0.70	—

यह संशोधन सरकारी डेरियों के माध्यम से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में सप्लाई किये जाने वाले दूध के सम्बन्ध में है।

सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण तथा बटर आयल

5222. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तरल दुग्ध तैयार करने वाले संयंत्रों में उपयोग करने के लिए अयोग्य, मानव उपभोग के अयोग्य तथा केवल औद्योगिक कैसिन उत्पादन के योग्य उपहार-स्वरूप प्राप्त हुए सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण तथा बटर-आयल की मात्रा सम्बन्धी वर्षवार आंकड़े क्या हैं और उपरोक्त वर्गों के सप्रेटा, दुग्ध चूर्ण तथा बटर तेल की कितनी-कितनी मात्रा का किस-किस प्रकार विक्रय किया गया;

(ख) बाढ़ से राहत सम्बन्धी कार्यों के लिए उपहारस्वरूप प्राप्त सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर-तेल में से कितना सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा बटर-तेल कैडबरी, अमूल, हार्लिक्स जैसे गैर सरकारी दुग्ध-उत्पादक तथा शिशु आहार निर्माताओं आदि को दिया गया;

(ग) भारत सरकार ने वाणिज्यिक शर्तों पर सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण तथा बटर-तेल का कितनी-कितनी मात्रा में क्रय तथा आयात किया तथा वर्ष 1968–69 तथा 1973-74 के दौरान प्रत्येक मद का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का क्रय तथा आयात किया गया; और

(घ) वर्ष 1968-69 से 1973–74 तक बाढ़रहित अभियान के अधीन वर्ष-वार कितनी मात्रा में सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण तथा बटर तेल प्राप्त हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारतीय डेरी निगम द्वारा स्किम दुग्ध-चूर्ण तथा बटर आयल की स्वीकृत और मिलाने मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त मात्राओं के ब्यौरे का वर्ष-वार विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–9361/75)

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त स्किम दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की कोई मात्रा कैडबरीस हार्लिक्स तथा शिशु आहार के निर्माताओं को अपहार के तौर पर नहीं दी गई थी । तथापि, अमुल तथा मेहसाना डेरी को नीचे दी गई मात्रा दी गई थी :

	स्किम दुग्ध चूर्ण	बटर आयल
अमूल . .	2,785	939
मेहसाना	198	63

(ग) वाणिज्यिक शर्तों पर बटर आयल का कोई क्रय नहीं किया था। सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की नीचे नी गई मात्रा का वाणिज्यिक आधार पर क्रय किया गया था :

	मीटरी टन	बटर आयल
1970–71 . .	8,418	235.39
1971–72 . .	15,107	659.05
1972–73 . .	16,877	760.50
1973–74	12,195	850.06

(घ) 'आपरेशन फ्लडा' परियोजना के अंतर्गत स्किम चूर्ण और बटर आयल की निम्नलिखित मात्राएं अब तक प्राप्त हुई हैं :—

	सप्रेटा दुग्ध चूर्ण	बटर आयल
	मीटरी टन	मीटरी टन
1970—71 . .	6,275	2,292
1971—72	9,890	2,452
1972—73	11,983	3,707
1973—74 . . .	9,047	4,081
1974—75 (दिसम्बर, '74 तक) .	9,569	3,065
	46,764	15,797

Distribution of uncultivated land to Adivasis in Rajasthan

5223. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be please to state :

(a) the number of landless Adivasis in Rajasthan and the area of uncultivated or fallow land in that State; and

(b) the measures proposed to be taken by Government for the distribution of uncultivated land available in that State among landless Adivasis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) and (b). According to the 1971 Census there were 1,19,372 Adivasi agricultural workers in Rajasthan.

In the scheme for distribution of available land members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are given priority. A special campaign was launched during the Gandhi Centenary Year and the Silver Jubilee Year during which land was allotted to members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Upto the end of 1973, 6,84,183 acres of land was allotted to 1,95,623 persons belonging to the Scheduled Tribes.

There ash been further distribution of land since. The State Government has reported that it is undertaking a "Kasht-Girdwari" for as certaining the extent of land available for distribution.

पश्चिम कोसी नहर (वेस्टर्न कोसी कैनाल) का निर्माण

5224. **श्री एम एम० पुरती :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर के निर्माण में नेपाल द्वारा पैदा की गई रुकावटों के कारण बिहार सरकार को प्रति दिन कम से कम दस हजार रुपये के हानि हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, गत और आगे इस हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :(क) और (ख) नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में पश्चिमी कोसी नहर के 31 किलोमीटर तक के लिए भूमि का वास्तविक रूप में कब्जा दिए जाने के उपरान्त नहर संरचनाओं के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। नहर के खुदाई कार्य के लिए टेन्डरों की जांच क जा रही है और उन पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् नये ठेकेदारों को कार्य अलाट किया जाएगा ।

छोटे किसान विकास एजेंसी के अधीन संयुक्त परियोजनायें

5225. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) छोटे किसान विकास ऐजेंसी के अधीन ऐसी कितनी परियोजनायें हैं जो बिहार राज्य की चौथी योजना में क्रियान्वित की गई तथा जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने की भी संभावना है; और

(ख) राज्य में इन परियोजनाओं से कितने छोटे किसानों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) चौथी योजना में पटना, पूर्णिया और चम्पारन जिलों में 3 छोटा किसान विकास ऐजेंसी परियोजनायें और रांची तथा शाहाबाद जिलों में 2 सीमान्त कृषक तथा कृषि मजदूर विकास ऐजेंसी परियोजनायें शुरू की गई थीं ये परियोजनायें 1974-75 में पांचवीं योजना के आरम्भ से संयुक्त बन गई हैं। प्रत्येक छोटा किसान विकास ऐजेंसी से लगभग 50,000 और प्रत्येक सीमान्त कृषक तथा कृषि मजदूर ऐजेंसी से लगभग 20,000 पहिचाने गए छोटे सीमान्त कृषक और कृषि मजदूर को अपने अन्तर्गत लाने की आशा की जाती है ।

पांचवीं योजना में बिहार को कुल 16 संयुक्त छोटा किसान विकास ऐजेंसी परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं जिन में 5 विद्यमान परियोजनायें भी शामिल हैं और ये नीचे दिए गए जिलों में कार्य करेंगी ?

विद्यमान परियोजनायें	नई परियोजनायें
1. नालन्दा	1. सीतामढ़ी
2. रांची	2. दरभंगा
	3. मधुबनी
	4. मुंगेर
	5. बेगूसराय
	6. भागलपुर
	7. संथाल परगना
	8. हजारी बाग

विद्यमान परियोजनाएं	नई परियोजनाएं
	9. धनबाद
	10. सिंहभूम (टी० डी० ए० द्वारा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं लाया गया)
	11. सारन
	12. गिरिध
	13. समस्तीपुर
	14. गया

(ख) प्रत्येक संयुक्त छोटा किसान विकास एजेंसी परियोजना द्वारा 5 वर्ष की परियोजना अवधि में लगभग 50,000 छोटे सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाये जाने की आशा की जाती है। इस प्रकार की सभी 16 परियोजनाओं द्वारा लगभग 8.00 लाख ऐसे किसानों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में कृषि तथा सिंचाई के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

5226. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक पश्चिम बंगाल में कृषि तथा सिंचाई के विकास के लिए 24 करोड़ का ऋण देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि से जिन योजनाओं को सहायता दी जायेगी उन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना की रूपरेखा कब तक तैयार हो जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधाओं (जिन में गहरे तथा उथले ट्यूबवैल्स और नदी जल उठाऊ योजनायें शामिल हैं) तथा चुने नियमित बाजारों के विकास के लिये एक परियोजना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (विश्व बैंक से सम्बद्ध) के साथ लगभग 34 मिलियन यू० एस० डालर के चारवर्षीय ऋण के लिए वार्ता हुई थी। आशा है कि लगभग एक महीन की अवधि में ऋण औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी।

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद

5227. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्षेत्रीय सम्मेलन में किन मामलों पर विचार किया गया तथा प्रत्येक मामले में कित प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में जल विवाद संबंधी मुख्य प्रश्न रावी-व्यास के फालतू जल में भूतपूर्व पंजाब के भाग को पुर्नगठित पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के बीच बंटवारे से संबंधित है। केन्द्रीय सरकार संबंधित सरकारों की सलाह से इस विवाद को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है।

इस के अलावा, पंजाब हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच कुछ मतभेद विद्यमान हैं जिन में से निम्न को पर उत्तरी क्षत्रीय परिषद् की बैठकों में विचार किया गया था :—

(1) फीरोजपुर, हरिके और रोपड़ के शीर्ष कार्यों को भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड को सौंपना (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से संबंधित)

(2) राजस्थान में घग्गर व्यपर्वत स्कीम की लागत के बटवारे से संबंधित (पंजाब हरियाणा और राजस्थान से संबंधित)

केन्द्रीय सरकार इन मदभेदों को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है।

कुछ अन्य मामले, जैसे पंजाब द्वारा बीकानेर पर कनियावाली माइनर का निर्माण, भाखड़ा नहर प्रणाली के संगम स्थलों पर जल सप्लाई को नियमित करना तथा राजस्थान द्वारा रावी-व्यास के जल में अपने भाग के समुपयोजन पर सम्बद्ध राज्य सरकारों के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक नये अन्न का विकास

5228. **श्री पी० वेंकटासुब्बेया :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **कृषि और सिंचाई** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में ट्रिटिकेल नामक एक अद्भुत अन्न का विकास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शानवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) ट्रिटीकेल को गेहूं और राई के बीच संकरण करके तैयार किया गया है, जिसकी कई सालों से अनेक देशों में जांच की जा रही है। भारत में सन् 1964–65 से ट्रिटीकेल पर गहन अनुसन्धान कार्य चार स्थानों अर्थात् भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नयी दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि और औद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उ०प्र०), और जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (इसके इन्दौर संकाय में) में शुरू किया गया। इन में से

प्रत्येक केन्द्र पर इस संकरण से अनेक विभेद विकसित किये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसन्धान केन्द्र, मैक्सिको से प्राप्त पौद सामग्री के साथ इन संबर्द्धों की जांच गेहूं की अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अन्तर्गत की जा रही है। इनकी उपज की परस्पर तुलना में साथ गेहूं की उपज के साथ भी इनकी उपज की तुलना की जा रही है।

फिलहाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित "ट्रिटीकेल" की किस्मों की जांच भी समन्वित परीक्षणों के अन्तर्गत की जा रही है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गयी टी एल 22, टी एल 17, और टी एल 19 नामक किस्में अभी समान किस्म परीक्षणों के अन्तर्गत हैं। टी एल 17, टी एल 22 और टी एल 19 के साथ इसकी टी एल 21, टी एल 23, टी एल 10 और टी एल 24 नामक अन्य किस्मों की भी विभिन्न स्थानों पर आरम्भिक मूल्यांकन परिक्षणों के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

अब तक ट्रिटीकेल की किस्मों के फसल सम्बन्धी परिणामों से पता चलता है कि ट्रिटिकेल की किस्में बारानी क्षेत्रों के लिए, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में ठण्डे स्थानों के लिए आशाजनक साबित हो सकती है।

मानव द्वारा तैयार किये गये इस संकर अन्न की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं जैसे :—उर्वरता में कमी होना, सुकड़े हुए दाने, पौधों में गिनरे की प्रवृत्ति और शूकिकाओं तथा स्पाइकों का टूटना।

(ग) तेजी से चल रहे एतत्सम्बन्धी परीक्षणों के आंकड़ों के आधार पर ट्रिटीकेल की बड़े पैमाने पर खेती के उपयुक्त विभेदों की पहिचान हो जाने पर उसके बहुमात्र उत्पादन के लिए एक कार्य-क्रम शुरू किया जायेगा।

बासमती चावल का उत्पादन तथा निर्यात

5229. : **श्री पी० वैंकटासुब्बया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि भारत प्रतिवर्ष 400 से 450 लाख टन चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ा चावल-उत्पादक देश है तो भी क्या यहां बासमती चावल का कुल उत्पादन केवल 0.1 प्रतिशत ही है;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी के देशों की ओर से बासमती की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1975—76 के दौरान उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी क्या क्या लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1969—70—1973-74 के दौरान भारत में चविलों का औसत उत्पादन लगभग 420 लाख मीटरी टन था। बासमती चावल के उत्पादन के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु मोटे अनुमान के अनुसार चावल

की इस किस्म का वार्षिक उत्पादन 1.5 लाख मीटरी टन था। इस आधार पर सभी प्रकार के चावलों के उत्पादन की तुलना में चावल की इस किस्म की उपज 0.36 प्रतिशत आंकी गई है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ से अनुरोध किया गया है कि वह बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त मात्रा में बासमती चावल की काश्त के लिए 'कन्ट्रैक्ट कल्टीवेशन' को प्रोत्साहित करें।

(ग) बासमती चावल के उत्पादन के लिए कोई अलग लक्ष्य-निर्धारित नहीं किए गए हैं। वर्ष 1975-76 के दौरान सम्भवतः 50,000 मीटरी टन बासमती चावल निर्यात किया जाएगा।

पांचवीं योजना में विश्वविद्यालयों की स्थापना

5230. श्री गजाधर माझी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति के मान-दण्ड क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1974-75 के दौरान हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का भी निर्णय किया है। एक केन्द्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कल्याणी विश्वविद्यालय के दो विश्वविद्यालयों में विभाजित कर दिया गया है। जम्मू तथा काश्मीर में राज्य सरकार द्वारा एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। गोआ, दमन और दीव प्रशासन का भी उस संघीय क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है। तमिल नाडु में एक विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। निम्नलिखित प्रस्तावों की आयोग द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है।

1. अमरावती के विदर्भ क्षेत्र में विश्वविद्यालय ;
2. पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में विश्वविद्यालय ;
3. पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में विश्वविद्यालय ;
4. भावनगर में आवासीय विश्वविद्यालय ;
5. फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय ;
6. कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय ;
7. धारवाड में कृषि विश्वविद्यालय ;

8 व 9 (I) गुनटूर तथा (II) वारंगल में उत्तर-स्नातक केन्द्रों का विश्वविद्यालयों में बदलना।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मत है कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने से पहले, राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विद्यमान सुविधाओं तथा उसकी भावी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। कोई भी नया विश्वविद्यालय खोलने से सम्बन्धित प्रस्ताव को तैयार करने से पूर्व सर्वेक्षण की शुरूआत से ही आयोग को उसके साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शी रूपरेखाओं से सूचित कर दिया है और नया विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव के सहित निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाआंकड़े भेजने का अनुरोध किया है।

वर्ष 1975 में भारतीय महिलाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर

5231. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975) के दौरान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की कोई ठोस योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या वर्ष 1975 के दौरान नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों तथा विवादग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रमों (होम्स) का निर्माण किया जाएगा तथा कितनी संख्या में किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में विभाग ने महिलाओं के लिये अधिक रोजगार अवसर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की वर्तमान योजनाओं को तीव्र करने की योजना बनाई है। इन योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) प्रोढ़ महिलाओं के लिये रोजगार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम।

(ख) महिलाओं के लिये सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम।

इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम :

यह योजना केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 में आरम्भ की गई थी। इस का उद्देश्य काफी संख्या में योग्य और जरूरतमन्द महिलाओं को रोजगार के नये अवसर प्रदान करना तथा सक्षम प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं जैसे प्राथमिक स्कूल की अध्यापिकाओं, बालसेविकाओं, नर्सों, स्वास्थ्य निरीक्षकों आदि को तैयार करना है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चला सकें। इस योजना के अनुसार 18—30 वर्ष की आयु-वर्ग की उन महिलाओं की जिन्होंने कुछ स्कूल की शिक्षा प्राप्त की हो,

दो वर्ष की अवधि में मिडिल स्कूल तथा मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। यह अनुदान अनुरक्षण, छात्रवृत्तियों, अध्यापकों के वेतनों, शैक्षिक उपकरणों आदि के व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है जो अधिकतम 35,000 रुपये प्रति पाठ्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम का अन्तिम उद्देश्य सफल प्रत्याशियों को रोजगार दिलाना है। वर्तमान वर्ष के दौरान इस पाठ्यक्रम को सचिवालय, प्रशिक्षण, गृह देख भाल, टेलीविजन–रेडियो मैकेनिक, फलों को डिब्बों में बन्द करना आदि सम्मिलित कर के व्यावसायिक बनाने की योजना है। इससे महिलाओं को नौकरी पाना अधिक सरल होगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 1974-75 में 27 लाख रुपये की अपेक्षा वर्ष 1975-76 में 48 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

(2) महिलाओं के लिए सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रितों और शारीरिक विक्लांगों जैसी जरूरतमन्द महिलाओं को "कार्य और मजदूरी" के अवसर प्रदान करना है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड लघु उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जहां जरूरतमन्द महिलाओं को प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात् उसी एकक में रोजगार अवसर प्रदान किये जाते हैं। यह योजना औद्योगिक विकास मंत्रालय के सक्रिय समर्थन और तकनीकी सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्तमान कार्यक्रम में दुग्ध योजना जैसी कृषि पर आधारित योजनाओं के लिए नए अवयव भी शुरू किए गए हैं तथा 1974-75 में 8.50 लाख रुपये की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

2. इस के अतिरिक्त श्रम मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक द्वारा स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट आथोरिटी (सीडा) के परामर्श से महिलाओं के लिए उपयुक्त नये व्यवसायों को जानने के लिए सम्भावित अध्ययन किया जा रहा है जिस का उद्देश्य महिलाओं के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक विविधता लाना है।

(3) क्रियाशील महिलाओं के लिए होस्टल :

लड़कियों को पहले की अपेक्षा अधिक शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होने के कारण अधिक से अधिक महिलायें रोजगार प्राप्त कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से कम से कम दो लाख जनसंख्या वाले बड़े शहरों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में आने वाली कई क्रिया शील महिलाओं को न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं वाले आवास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये पांचवीं योजना (1974—79) में "क्रियाशील महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण/विस्तार करने के लिए महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना" नामक योजना शामिल की गई है। इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों को होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिए साझेदारी के आधार पर सहायक अनुदान दिए जाते हैं। इस से वे महिलायें लाभान्वित होती हैं जिन की मासिक आय 800 रुपये से अधिक नहीं है। वर्ष 1974-75 के दौरान 45 होस्टलों के निर्माण विस्तार के लिये 52,40,425-00 रुपये की राशि के अनुदान दिए गए। वर्ष 1975-76 के लिए 60 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है इस योजना पर 1973-74 में 1.27 लाख रुपए व्यय हुए थे।

दिल्ली में शक्ति नगर गोदाम के समीप भारतीय खाद्य निगम के वफादार कर्मचारियों पर आक्रमण

5232. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के हड़ताली कर्मचारियों ने 8 मार्च, 1975 को दिल्ली में शक्ति नगर स्थित निगम के गोदाम के समीप वफादार कर्मचारियों पर आक्रमण कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी हां ।

(ख) पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । पुलिस द्वारा और आगे की जा रही जांच प्रगति पर है ।

वर्ष 1975 में खाद्यानों का आयात

5233. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में खाद्यान्न का आयात करने के लिए सरकार ने कोई करार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा के लिये और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस वर्ष खाद्यान्न-आयात के संबंध में वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन को सरकार ने सीमित शक्तियां दी हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं, फसल की सम्भावनाओं, खाद्यान्नों की आन्तरिक उपलब्धता, मूल्य-स्थिति तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयात संबंधी आवश्यकताओं की बराबर समीक्षा की जाती है । वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन को समय-समय पर प्राधिकृत किया जाता है कि वे देश के लिए अत्यधिक सुविधाजनक शर्तों पर खरीदारी करें।

1975 के दौरान अब तक, वाणिज्यिक आधार पर गेहूं और माईलों के लगभग 18.31 लाख मीटरी टन के ठेके किए जा चुके हैं ।

मिदनापुर में विश्वविद्यालय की स्थापना

5234. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवेदन में मिदनापुर विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये का पता लगाया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि उसे मिदनापुर में एक विश्वविद्यालय के बारे में कोई ज्ञापन भेजा गया था ;

(ग) क्या उक्त विश्वविद्यालय एक रोजगार -उन्मुख विश्वविद्यालय होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मिदनापुर जिले में कृषि आयोग क्षमताओं के आधार पर शिक्षित युवकों के स्वत : रोजगार के नय विचार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से मिदनापुर एक राज्य-रोजगार-उन्मुख विश्वविद्यालय की स्थापना करने में सहायत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कायवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन): (क)से(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री ने अगस्त, 1973 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि भेजी थी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुर्नगठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति को मिदनापुर में विश्वविद्याल स्थापित करने के बारे में दिया गया था । कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुनर्गठन सम्बन्धी समिति ने, जिस ने अन्य बातों के साथ-साथ उक्त ज्ञापन पर विचार किया था, आयोग को अपनी रिपोट पेश कर दी है । आयोग ने रिपोट की एक-एक प्रति कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के पास उन के विचार जानने के लिए भेज दी है । राज्य सरकार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विचार प्राप्त होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा ।

पूर्वी क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में अभ्यावेदन

5235. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से संसद सदस्यों ने भारतीच खाद्य निगम के पूर्वी क्षेत्र कर्मचारी संगठन मुख्यालय कलकत्ता, के पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों के बारे में लिखित रूप से अभ्यावेदन दिये गये थे और मन्त्री से व्यक्तिगत रूप से भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसे स्थानान्तरण भारतीय खाद्य निमम द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध हैं ;

(घ) क्या खाद्य मन्त्री इतने सारे संसद-सदस्यों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों पर पुनःविचार करेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिचाई मंत्रावय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) कई संसद सदस्यों ने अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार खाद्य कर्मचारी एसोसिएशन और प्रादेशिक निदेशक खाद्य कर्मचारी एसोसिएशन, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के कुछ पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं। उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि प्रबन्ध द्वारा निर्धारित की गई स्थानान्तरण सम्बन्धी सुस्पष्ट नीति के अनुसार, ही निगम में स्थानान्तरण किए गए हैं ताकि प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और यूनियनों के पदाधिकरा ऐसे स्थानान्तणों से मुक्त नहीं हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम का निदेशक मंडल

5236. **श्री शक्ति कुमार सरकार** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम के निदेशक मण्डल का गठन कब हुआ था और इसके निदेशकों के नाम क्या हैं तथा देश में राज्यवार इस की कितनी शाखाएं हैं ;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य में भी निदेशक मण्डल की कभी कोई बैठक हुई थी, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उक्त बैठकें किन किन तारीखों का हुई ;

(ग) क्या इस निगम में देश की बीज सम्बन्धी आवश्यकता का सर्वेक्षण करने वाला कोई विभाग है, यदि हां, तो वर्ष 1974–75 में गेहूं तथा रबी की अन्य फसलों के साथ बोये जाने वाले बीजों की आवश्यकता सम्बन्धी लगाये गये अनुमान सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल को कितनी मात्रा में बीजों की सप्लाई की गई ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां बीजों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई तथा कुल कितने भू-क्षेत्र में बीज बोने की अनुमति दी गई है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन 27 जुलाई, 1974 को किया गया था, और निम्नलिखित सात व्यक्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिये निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था :—

1. कुमारी अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग ।
2. डा० जी०एस० कालकट, कृषि आयुक्त और पदेन संयुक्त सचिव, कृषि विभाग।
3. श्री पी० एस० हबीब मोहम्मद, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राज्य फार्म निगम।
4. श्री एन०एस० मैनी, प्रबन्धक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम।

5. श्री वाई० मल्ला रेड्डी, बेल्लारी

6. श्री दलजीत सिंह, कौशल गंज, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश।

7. श्री मोहम्मद उमरुद्दीन, धुबरी, असम।

जी०बी० पन्त कृषि विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डा० डी०पी० सिंह को 24–12–74 को निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राज्य सभा के सदस्य, श्री बी०एन० गाडगिल ने जो कि पिछले निदेशक मण्डल में निदेशक थे, पुनर्गठित मण्डल में निदेशक के रूप मैं कार्य जारी रखा। यह इसलिये किया गया कि वे समिति के अध्यक्ष के रूप में कर्मचारियों की शिकायतों की छानबीन कर सकें और राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में दिये गये भ्रष्टाचारों के आरोपों के सम्बन्ध में जांच के कार्य को पूरा कर सकें। सरकार को समिति की रिपोर्ट 1–3–75 को प्राप्त हुई थी और श्री गाडगिल 1–3–75 से निदेशक के पद पर नहीं रहे। राष्ट्रीय बीज निगम के अन्तर्गत 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 71 उप-एककों और 3 फार्म हैं। इन फार्मों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-एककों के स्थानों को प्रदर्शित करने वाली सूची अनुबन्ध-1 मैं दे दी गई है।

(ख) नहीं।

(ग) देश भर के लिए बीजों की जरूरतों का अनुमान लगाने के लिये निगम में कोई विशेष विभाग नहीं है। राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय और देश भर में फैले हुए विक्रेता राज्य के कृषि विभागों और किसानों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके सम्भावित जरूरतों का अनुमान लगाते हैं। बीजों की सम्भावित मांग के सम्बन्ध में, बीज उत्पादन की व्यवस्था करने से पहले क्षेत्रीय प्रबन्धकों के अर्ध वार्षिक सम्मेलन में विचार किया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुभव किया था कि उनके 1974–75 के गेहूं उत्पादन कार्यक्रमों के लिये लगभग 30000 मीटरी टन गेहूं के बीजों की आवश्यकता होगी। रबी 1974–75 के दौरान, राष्ट्रीय बीज निगम ने, पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम को 18000 क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीजों की सप्लाई की थी। इसके अतिरिक्त, 2500 क्विंटल राष्ट्रीय बीज निगम के विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किये गये थे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय बीज निगम ने 20,500 क्विंटल गेहूं के बीजों का वितरण किया है।

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम ने पश्चिम बंगाल में कोई बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।

लोक सभा में 7–4–75 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5236 के उत्तर में उल्लिखित अनुबन्ध।

राज्य	क्षेत्रीय कार्यालय	उप-एककों
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1	9
2. बिहार .	1	6
3. मध्य प्रदेश . . .	1	6

1	2	3
4. उत्तर प्रदेश	1	11
5. राजस्थान	1	4
6. गुजरात .	—	1
7. पंजाब . .	—	3
8. हिमाचल प्रदेश	—	1
9. जम्मू और कश्मीर .	—	2
10. महाराष्ट्र .	1	12
11. तमिलनाडु .	—	2
12. कर्नाटक . . .	1	9
13. हरियाणा	—	4
14. उड़ीसा . . .	—	1
15. पश्चिम बंगाल . .	1	—
16. चण्डीगढ़ (संघीय राज्य क्षेत्र) .	1	—
17. दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	1	—
	10	71

फार्म

1. हेमपुर (उत्तर प्रदेश)	1
2. नन्दी कोटपुर (आन्ध्र प्रदेश) .	1
3. सेंज (हिमाचल प्रदेश) . . .	1

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजना

5237. **श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनायें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली नई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :(क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनी पांचवीं योजना में प्रस्तावित बड़ी और मध्यम सतत् और नई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	लाभ (हजार हैक्टेयर में)
सतत (चालू) स्कीमें		(लाख रु० में)	
बडी स्कीमें			
1.	मयूराक्षी . .	2046.00	247.15
2.	दामोदर घाटी निगम प्रणाली.	2456.00	364.10
3.	कंगसावती .	6000.00	401.62
मध्यम स्कीमें			
1.	हिंगलो . .	150.00	12.29
2.	साहाजौरे . .	77.00	5.00
नई स्कीमें			
वृहत			
1.	तोस्ता बराज . .	6972.00	237.15
2.	मयूराक्षी नहर को पक्का करना .	900.00	वर्तमान नहर में सुधार
3.	अपर कंगसावती . . .	800.00	32.00
4.	द्वारकेश्वर . . .	1500.00	60.00
5.	गजोल लिफ्ट सिंचाई . . .	500.00	20.00
मध्यम			
1.	तारोगोना . .	36.83	0.90
2.	परगा	40 82	0.90
3.	वाराक्षूम . .	73.49	2.70
4.	मोत रे ंजोरे . .	52.10	1.07
5.	साल्डा	43.18	0.92

क्रम सं०	योजना का नाम	अनुमानित लागत	लाभ (हजार हैक्टेयर में)
6.	वेको	41.54	1.57
7.	पतलो	75.29	2.13
8.	टोटका	88.08	2.46
9.	वोन्धु सिंचाई का विस्तार	25.63	0.61
10.	रामचन्द्रपुर	33.06	1.62
11.	साली जलाशय	30.88	1.30
12.	गोलमारजोरे	81.23	1.01
13.	नारायण पुर सोना	75.83	उपलब्ध नहीं
14.	लिप निया जोरे	67.85	उपलब्ध नहीं
15.	हनुमतो	45.25	2.75
16.	सालो व्यवपवर्तन	52.46	2.21

पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन परियोजना

5238. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल में एक मत्स्य पत्तन परियोजना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) नवम्बर, 1973 में 241.5 लाख रुपये की लागत से रायचौक में एक मात्स्यकी बन्दरगाह के लिए स्वीकृति दी गई थी । इस परियोजना के अन्तर्गत एक 320 फुट लम्बे घाट, 180 फुट लम्बे गलियारे स्लिपवे अन्दरूनी सड़कों, जहाज बांधने के रस्सों, छटाई और भार तोलने में 'शेडों' आदि की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है । इस बन्दरगाह को प्रतिवर्ष लगभग 7500 मीटरी टन मछली पकड़ने वाले 15 ट्रालरों के लिए सुविधायें प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है ।

परियोजना के लिये 50 एकड़ भूमि को प्राप्त करके कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्तों को सौंप दिया गया है । विस्तृत रिवर माडल स्टडीज तथा मुदा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य पूरे हो गये हैं । घाट के निर्माण कार्य के लिए ठेका दे दिया गया है और ठेकेदार ने खम्भों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ।

विदेशों की ओर से कृषि प्रौद्योगिकी तथा फार्मिंग के क्षत्र में सहायता का अनुरोध

5239. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत से कृषि प्रौद्योगिकी तथा फार्मिंग के क्षेत्र में उन की सहायता करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) जी हां। अफगानिस्तान, मिस्र, बंगलादेश, वीयतनाम, ईरान, लीबिया, मौरीशस, नेपाल, ओमान, येमन, कतार श्री लंका, संयुक्त अरब, इमीरेट तथा जंजीरवार आदि कुछ मित्र देशों से कृषि प्रौद्योगिकी तथा फार्मिंग के क्षेत्र में आपसी सहयोग तथा सहायता के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

भारत सरकार ने कृषि विकास, पशु पालन, डेरी, मात्स्यकी, वानिकी, भूमि सुधार, भूमिगत जल के अन्वेषण तथा अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं तथा तकनीकी सहायता देने के लिए विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति करके इन देशों की सहायता करने के लिए कार्यवाही की है ।

राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधायें

5240. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने में वर्तमान सिंचाई सुविधाएं सफल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा किस प्रकार; और

(ग) निकट भविष्य में इस राज्य में सिंचाई सुविधाओं को देने के आगे और क्या प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये फसल कटाई के प्रयोगों से पता चलता है कि सिंचाई सुविधाओं से राजस्थान में खाद्यान्नों की फसलों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है ।

(ख) राजस्थान में प्रमुख फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने से उत्पादन में हुई वृद्धि के विषय में जानकारी नीचे दी गई है :—

(प्रति हैक्टार किलोग्राम में)

फसल	सिंचित क्षेत्रों में उपज (औसत)	सिंचित क्षेत्रों में उपज (औसत)	असिंचित क्षेत्रों की तुलना में सींचित क्षेत्रों में उपज में वृद्धि
गेहूं . .	1109	718	491
जौ . . .	1190	722	468
मक्का . . .	1070	770	300
चना . . .	798	593	205

(वर्ष 1967–68 से 1969–70 तक के तीन वर्षों की औसत जिनके विषय में नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं) ।

(ग) राजस्थान में सिंचाई की सुविधाएं वष 1974–75 में 28.92 लाख हैक्टार के प्रत्याशित स्तर की तुलना में 1975–76 में बढ़कर 29.42 लाख हैक्टार हो जायगी ।

विश्वविद्यालय शिक्षा में साम्यता

5241. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय-शिक्षा के प्रकार (क्वालिटी) स्तर, तथा पाठ्यक्रम में साम्यता लाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) उन प्रयासों में अब तक कितनी सफ़लता मिली है; और

(ग) निकट भविष्य में सफ़लता की क्या सम्भावनाएं हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) सभी विश्वविद्यालयों के अधिनियम प्रत्येक विश्वविद्यालय को उन्हें अपनी शैक्षिक नीतियां बनाने के लिए पूरे अधिकार देते हैं । प्रत्येक विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्राधिकार का आदर करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में विश्वविद्यालीय शिक्षा को समन्वित करने और उनके स्तरों को

ऊपर उठाने के लिए कदम उठाता रहा है। सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्तरों में सुधार करने के लिए आयोग द्वारा आरम्भ किये गये कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) आयोग ने स्वायत्त कालेजों के मानदण्ड, मार्गदर्शी रूप रेखाओं और सहायता की पद्धति के विषय में विश्वविद्यालयों को हाल में ही एक नोट भेजा है। स्वायत्त कालेज, अध्ययन के अपने पाठ्यक्रमों को तैयार करने, परीक्षाएं आयोजित कर, मूल्यांकन के अपने तरीके, दाखिले के सिद्धान्त, अध्यापकों आदि के चयन की अपनी प्रक्रियाओं को तय करने में स्वतन्त्र होगा। इससे वांछनीय शैक्षणिक विचारों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और पाठ्यक्रमों तथा शिक्षा की पद्धति को व्यापक बनाने की एक प्रक्रिया आरम्भ होगी ताकि इन्हें कुशल कार्यकर्ताओं की स्थानीय/प्रादेशिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में और अधिक सार्थक और सुसंगत बनाया जा सके।

(2) आयोग ने, देश में परीक्षा सुधार के लिए कार्यान्वित करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को एक "कार्रवाई योजना" भेजी है। आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से, प्रश्न-बैंक-विकास, आन्तरिक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने और कर्मशालाएं तथा सेमिनार आयोजित करने वाले कार्यक्रमों के लिये सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। परीक्षा सुधार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये आयोग ने 12 विश्वविद्यालयों को भी चुना है।

(3) आयोग, उत्तर-स्नातक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समन्वित कार्यक्रम आरम्भ कर रहा है।

(4) पाठ्यक्रमों और अनुसन्धान के सहयोगी और अन्तर-विषयक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें अनेक विभाग शामिल होंगे।

(5) अध्ययन पाठ्यक्रमों को पुनः तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं सहित स्थानीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके और कार्य अनुभव को भी कालेज शिक्षा के एक भाग के रूप में आरम्भ किया जा सके।

(6) औपचारिक शिक्षा में अप्रतिबन्धित वृद्धि को रोकने तथा छात्रों के पर्याप्त अनुपात को पत्राचार पाठ्यक्रमों, संध्या-कक्षाओं और अंशकालीन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

(7) विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान कार्य के लिए प्रत्यक्ष सहायता की व्यवस्था करने तथा सतत अनुसन्धान करने के लिए आवश्यक रूपरेखाएं तैयार करने के लिए भी शुरुआत कर दी गयी है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शिक्षा को पुनर्गठित करने और 10+2+3 की पद्धति अपनाने से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति में निहित केन्द्रीय सरकार के निर्णय को पुनः दोहराया है। आशा है कि इससे मानकों में पर्याप्त एकरूपता आयेगी।

कृषि सेवा केन्द्र

5242. श्री एस० एन० सिंह देव :
श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के 1852 केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों का राज्यवार मुख्य ब्यौरा क्या है और प्रत्येक केन्द्र में कितने कितने व्यक्ति हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों के केन्द्रों संबंधी राज्य-वार तथा जिलेवार मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) पांचवीं योजनावधि के दौरान राज्यों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के बारे में राज्य-वार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) फ़रवरी 1975 के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में 1852 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(ख) तथा (ग) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना देहाती क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समेकित सेवायें और सप्लाई प्रदान करने के लिए की जाती हैं। ये इस प्रकार हैं :—

सेवायें

1. कृषि यन्त्र भाड़ा सेवा;
   (क) भूमि तैयार करने, बुवाई, फ़सल काटने और उसके बाद उसे सम्भालना।
   (ख) भूमि विकास;
   (ग) नलकूप बेधन और कूओं को गहरा करना।
2. पम्प सैटों को लगाना तथा उनकी और अन्य खेती के उपकरणों का रख-रखाव और सर्विस का काम।
3. उपकरण तथा औज़ार भाड़े पर देना।
4. वनस्पति-रक्षण सेवायें।
5. भण्डारण तथा परि-संस्करण सुविधायें।
6. मृदा विश्लेषण, उर्वरक सम्बन्धी परामर्श तथा प्रबन्ध आदि में सुधार सम्बन्धी सलाह।

सप्लाई

1. उर्वरक, कीटनाशक दवायें, बीज आदि ।
2. खेतों में रोजमर्रा के उपयोग का इंजीनियरी सामान ।
3. कृषि यंत्रों के फ़ालतू पुर्जे, सर्विस के औज़ार और अन्य आवश्यक वस्तुएं ।
4. इंधन का तेल और चिकनाई ।

चूंकि अभी इन केन्द्रों का पूरी तरह विकास नहीं हुआ, अतः इस समय इनमें से अधिकांश केवल कृषि के उपयोग के लिए भाड़े पर केवल कृषि यन्त्र ही प्रदान कर रहे हैं । कुछ केन्द्र उर्वरक, कीटनाशी दवाओं आदि का वितरण भी कर रहे हैं और कुछ ने सर्विस और मरम्मत के लिए वर्कशाप भी स्थापित किये हैं । इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

पंजाब	81
पश्चिम बंगाल	216
तमिलनाडु	125
कर्नाटक	94
असम	14
महाराष्ट्र	137
उत्तर प्रदेश	311
राजस्थान	222
हरियाणा	56
बिहार	174
मध्य प्रदेश	240
गुजरात	42
जम्मू और कश्मीर	4
उड़ीसा	13
केरल	3
आन्ध्र प्रदेश	120
कुल	1852

जब प्रत्येक केन्द्र का पूर्ण विकास हो जायेगा तो वह लगभग पांच बेरोज़गार इंजीनियरी ग्रेज्युएटों, कृषि ग्रेज्युएटों, डिप्लोमा होल्डरों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों को अपना रोज़गार प्रदान करेगा । ऐसा प्रत्येक केन्द्र संबद्ध कार्यों में पांच अन्य व्यक्तियों को भी रोज़गार प्रदान करेगा । चूंकि अभी तक स्थापित कृषि सेवा केन्द्र पूर्णतः विकसित स्थिति में नहीं हैं अतः प्रत्येक केन्द्र केवल तीन से दस व्यक्तियों को ही रोज़गार प्रदान कर रहा है ।

यद्यपि यह योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही है, तथापि उत्तर पूर्वी राज्यों से उत्साह वर्द्धक प्रतिक्रिया न होने के कारण अब तक केवल असम में भी 14 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये गये

हैं। तथापि इन राज्यों को पुनः सलाह दी जा रही है कि वे सम्भावित उद्यमियों को कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए उत्प्रेरित करें।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 2,500 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तथापि कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

Class IV employees in F.C.I. godowns in Bihar

5243. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether foodgrain godowns of the Food Corporation of India have been constructed in various districts of Bihar;

(b) if so, the number thereof and the number of Class IV employees (Poldars, loaders and other labourers) working therein;

(c) whether Government have made them departmental labourers and they are given Rs. 125 per month as salary;

(d) if so, whether the arbitrator has given any decision regarding their wages; and

(e) if so, the facts thereof and whether Government have implemented the award?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (e) There are 15 godowns owned by the F.C.I. and 37 hired godowns in Bihar. At 8 of the F.C.I. owned depots and 1 hired depot, departmentalisation of labour has been introduced. The number of departmentalised workers at these depots is 1,255.

Ad hoc wages which were fixed by bipartite agreement on 11th August, 1971 in respect of the above labour category-wise are as follows :—

	Rs.
Sardars	175
Munshi	155
Mondal	145
Handling labour	135
Ancilliary Mazdoors	125

Since no agreement could be reached on the terms of the service to be rendered by the departmentalized labour at the above places the matter was referred to Arbitration by Mr. Justice K. K. Mitra. The arbitrator has given his award but the Food Corporation of India has obtained a stay order from the Calcutta High Court against the implementation of the Award. The matter is, therefore, sub-judice.

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में बनाया गया "ट्रैक्टर माऊंटेड अमोनिया एप्लीकेटर"

5244. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया 'ट्रैक्टर माऊंटेड अमोनिया एप्लीकेटर' बनाया है;

(ख) क्या इस नये यंत्र से भूमि को उर्वरा बनाने की लागत में कमी होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) विश्वविद्यालय में किये गये आरंभिक क्षेत्र अध्ययनों से पता चला है कि उर्वरक-प्रयोग की लागत कम की जा सकती है।

(ग) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी द्वारा बतायी गयी उर्वरक प्रयोग की मुख्या विशेषतायें नीचे दी जा रही हैं :—

उर्वरक डालने वाला यंत्र अमोनिया गैस को 15 से 20 सें०मी० की गहराई में डालता है और निर्जल अमोनिया को शीघ्र ही औजार द्वारा मिट्टी से ढंक दिया जाता है। कितनी मात्रा में गैस का प्रयोग करना है, इसका नियंत्रण एक बिल्कुल ठीक-ठीक मापने वाली विधि से किया जाता है। घुमाव और रोकों पर गैस को खोलने और बंद करने का काम एक संयोजक रस्सी को खींच कर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस नयी मशीन द्वारा प्रति घंटा करीब एक हैक्टर भूमि में उर्वरक डाला जा सकता है। इस मशीन पर 64 किलो० निर्जल अमोनिया के चार सिलिन्डरों को एक साथ रखा जा सकता है। प्रत्येक सिलिन्डर में एक एकड़ क्षेत्र में डालने के लिए पर्याप्त उर्वरक होता है। यह एक साधारण मशीन है। इसमें फ्रेम, कांटे, ब्लेड, मापक यंत्र और बन्द करने वाले उपकरण लगे हैं।

इस नये यंत्र का खेत में विस्तृत रूप में परीक्षण किया गया है। यह यंत्र खेत में पानी होने पर या धान की गीली जुताई वाले खेत में, बुआई के पहले हैरो से अच्छी तरह जोते गये खेत में और गन्ना, मक्का और सूरजमुखी जैसी कतार में उगायी जाने वाली खड़ी फसलों में अमोनिया गैस देने के लिए बहुत उपयुक्त है। पंतनगर फार्म पर किये गये परीक्षणों से पता चला कि यूरिया, अमोनिया, सल्फेट और दूसरे शुष्क उर्वरक देने से जितनी उपज मिलती है, उतनी उपज प्राप्त करने के लिए निर्जल अमोनिया का प्रयोग करने पर करीब 20 से 25 प्रतिशत तक कम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है।

सपरेटा दुग्ध-चूर्ण की आवश्यकता और उसका आयात

5245. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुग्ध संयंत्रों, उत्पाद संयंत्रों और कल्याण कार्यक्रमों के लिए 1975 में अलग-अलग, अनुमानतः कितने सपरेटा दुग्ध-चूर्ण की आवश्यकता है;

(ख) 1974–75 के दौरान अनुमानतः कितना आयात किया जाएगा और 1975–76 के लिए अनुमानित मूल्य सहित क्या कार्यक्रम है;

(ग) 1974–75 में भारत में सपरेटा दुग्ध-चूर्ण का अनुमानित उत्पादन क्या है ;

(घ) सपरेटा दुग्ध चूर्ण के लिए कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है तथा कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है तथा स्वदेशी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) क्या आयात के लिए कार्यक्रम बनाने से पूर्व स्वदेशी उत्पादन और बेकार पड़ी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है तथा विदेशी मुद्रा की बचत करने हेतु आयात आर्डर में काट-छांट की जाती है ?

कृषि और संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल):(क) 1975–76 के लिए दुग्ध संयंत्रों तथा उत्पाद संयंत्रों के लिए सपरेटा दुग्ध चूर्ण की मांग का अन्तिम रूप से अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) 1974–75 के दौरान बीमा, भाड़ा सहित 19.70 करोड़ रुपये की लागत से 27,703 मीटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण आयात किया गया था जिसमें वाणिज्यिक तथा उपहार स्वरूप प्राप्त हुई सप्लाई भी शामिल है। वर्ष 1975–76 के लिए वाणिज्यिक आयात सम्बन्धी कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 1975 के इन्डैन्ट के 27,000 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण सप्लाई करने का संकेत दिया है, किन्तु सारे माल को जहाज से भेजने की पक्की तारीखें निश्चित नहीं की गई हैं।

(ग) वर्ष 1974–75 के दौरान सपरेटा दुग्ध चूर्ण का उत्पादन अनुमानतः 8,000 मीटरी टन है।

(घ) सपरेटा दुग्ध चूर्ण (शुद्ध तथा सपरेटा) के लिए अधिष्ठापित क्षमता 35,789 मीटरी टन और इस क्षमता की उपयोगिता की प्रतिशतता लगभग 46 प्रतिशत है। देशीय क्षमता की पूर्ण उपयोगिता दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करती है। देश भर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। हाल ही के वर्षों में शुरू किये गये मुख्य उपायों में से एक उपाय सघन पशु विकास परियोजनाओं की स्थापना करना है। अन्य महत्वपूर्ण पशु विकास परियोजनाएं, जिनका सीधा संबंध दुग्ध उत्पादन से है, नीचे दी गई हैं :—

1. अखिल भारतीय आदर्श ग्राम योजना।

2. संकर प्रजनन योजना।

3. चारा दाना विकास कार्यक्रम।

4. गोशाला विकास योजना।

5. पशु फार्मों को सुदृढ़ करना तथा उनका विस्तार करना।

6. बछड़ा पालन योजना।

7. पशु प्रदर्शनियों तथा दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताओं की व्यवस्था।

8. रोग नियंत्रण कार्यक्रम :—

(क) पशु चिकित्सालयों तथा डिस्पैन्सरियों की संख्या में वृद्धि करना;

(ख) रिन्डरपेस्ट उन्मूलन योजना।

(ग) टीका तथा खेरा के उत्पादन के लिए जैविक उत्पाद संबंधी प्रयोगशालाओं का विकास।

(घ) वाणिज्यिक कोटा के अंतर्गत सपरेटा दुग्ध चूर्ण का आयात करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय 'केन्द्रीय पूल' को सपरेटा दुग्ध चूर्ण की सप्लाई के लिए देश के विनिर्माताओं की पेशकश को ध्यान में रखा जाता है।

दुग्ध चूर्ण का आयात

5246. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1972–73 की तुलना में 1974 में दुग्ध-चूर्ण शुद्ध तथा सपरेटा, के आयात के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उसका वर्ष-वार सी० आई० एफ० मूल्य क्या है तथा मुख्य सप्लाईकर्ता देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) विभिन्न सहायता योजनाओं तथा 'आपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत इन वर्षों के दौरान कितना दुग्ध चूर्ण प्राप्त हुआ तथा उसका अनुमानित मूल्य क्या है; और

(घ) दुग्ध चूर्ण की श्रेणीवार बिक्री/निर्गतन/वितरण और प्राप्ति के आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) आयात व्यापारनियंत्रण नीति के अनुसार भारतीय डेरी कारपोरेशन बड.द. के माध्यम से केवल सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के ही आयात की अनुमति दी गई है। आयात संबंधी कार्य वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है न कि कैलेंडर वर्ष के आधार पर। 1974–75 की अवधि में (उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाली सप्लाई सहित) 27, 307 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण आयात किया गया था जबकि 1972–73 में (उपहार

स्वरूप प्राप्त होने वाली सप्लाई सहित) 31, 282 मीटरी टन तथा 1973–74 में 21,242 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण आयात किया गया था ।

(ख) दुग्ध चूर्ण का सी० आई० एफ० मूल्य तथा मुख्य सप्लाईकर्ता देशों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	सी० आई० एफ० मूल्य (करोड़ रुपये)	सप्लाई कर्ता देश
1972–73	11.90	न्यूजीलैण्ड, कनाडा
1973–74	10.35	न्यूजीलैण्ड, बेलजियम
1974–75	19.70	आयरलैण्ड, बेलजियम, हंगरी तथा ई०ई० सी०

(ग) विभिन्न सहायता परियोजनाओं तथा आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत प्राप्त हुई मात्रा के विषय में जानकारी नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	उपहार सप्लाई	आपरेशन फ्लड
	(मीटरी टन)	(मीटरी टन)
1972–73	3,422	11,983
1973–74	—	9,047
1974–75	2,750	9,953 (फरवरी 1975 तक)

(घ) विभिन्न नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अलाटमेंट/निर्मुक्ति आदेशों की तुलना में भारतीय डेरी कारपोरेशन, बड़ौदा द्वारा की गई सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की वर्गवार सप्लाई तथा उसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	खपत करने वाला क्षेत्र	सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की सप्लाई	बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम
		(मीटरी टन)	(करोड़ रुपये)
1972–73	दुग्ध योजनाएं/रक्षा सेवाएं	10,387	
	शिशु आहार तथा माल्टा युक्त आहार तैयार करने वाले कारखाने	6,950	6.050

1	2	3	4
	शिशु आहार तथा माल्टायुक्त आहार तैयार करने वाले छोटे कारखाने	73	3.77
	अन्य (आपातकालीन कोटे सहित)	798	
	आपरेशन फ्लड परियोजना के अंतर्गत सप्लाई	8,684	
1973-74	दुग्ध योजनाएं/रक्षा सेवाएं	11,783	
	शिशु आहार तथा माल्टायुक्त आहार तैयार करने वाले बड़े कारखाने	1,024	
	शिशु आहार तथा माल्टायुक्त आहार तैयार करने वाले छोटे कारखाने	4	10.47
	अन्य (आपातकालीन कोटे सहित)	160	
	आपरेशन फ्लड परियोजना के अंतर्गत सप्लाई	11,997	5.38
1974-75	दुग्ध योजनाएं/रक्षा सेवाएं	11,401	
	शिशु आहार तथा माल्टायुक्त आहार तैयार करने वाले बड़े कारखाने	4,562	18.06
	शिशु आहार तथा माल्टायुक्त आहार तैयार करने वाले छोटे कारखाने	4	
	अन्य (आपातकालीन कोटे सहित)	137	
	आपरेशन फ्लड परियोजना के अंतगत सप्लाई	10,355	6.73

(इनमें मार्च 1975 के अनुमानित आंकड़े भी शामिल हैं)

केरल में आवास योजना के लिये नियतन

5247. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आवास योजना के लिये 1974-75 और 1975-76 के लिये कुल कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई ;

(ख) क्या ग्रामीण आवास तथा नगरीय आवास के लिये पृथक-पृथक धनराशि नियत की गई ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों के लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) योजना आयोग ने केरल सरकार की 1974-75 तथा 1975-76 की वार्षिक योजनाओं के लिये आवास के अधीन निम्नलिखित परिव्यय अनुमोदित किए हैं :—

1974-75——200 लाख रुपये जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के कार्यान्वियन के लिये 25 लाख रुपये शामिल हैं ।

1975-76——305 लाख रुपये जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के कार्यान्वियन के लिये 25 लाख रुपये शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के कार्यान्वियन हेतु भूमि खरीदने के लिये जारी किये गये कतिपय बांडों के प्रतिदान के सम्बन्ध में वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये केरल सरकार को देनेहेतु 1974-75 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 150 लाख रुपये की राशि की गैर-योजनागत रूप में व्यवस्था की गई थी । उपर्युक्त योजना के सम्बन्ध में, बकाया वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये 1975-76 वर्ष के लिये भी केन्द्रीय क्षेत्र में 3.50 लाख रुपये की राशि की गैर-योजनागत रूप में व्यवस्था की गई है ।

(ख) योजना आयोग ने सूचित किया है कि नगरीय तथा ग्रामीण आवास के लिए कोई अलग नियतन नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में अभाव की स्थिति से प्रभावित गांव

5248. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल राज्य के उन ग्रामों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है जहां सरकार ने चालू वर्ष में जिलावार अभाव/अर्ध अभाव की स्थिति की घोषणा की है ;

(ख) अभाव की स्थिति किस सीमा तक है ; और

(ग) उन क्षेत्रों के लिये सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने केरल के किसी भी ग्राम को अभाव/कुछ अंशों में अभाव-ग्रस्त घोषित नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोई नहीं ।

पांचवीं योजना के दौरान नारियल का उत्पादन

5249. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में नारियल के उत्पादन के क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन परियोजनाओं पर चर्चा की गई है उनकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्रियान्विति दृढ़ता लाने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 77000 लाख नारियलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) और (ग). विशिष्ट योजनायें तैयार की गई हैं और पांचवीं योजना के दौरान नारियल के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी क्रियान्विति की जा रही है । अन्य बातों के साथ-साथ इन योजनाओं का निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से नारियल के उत्पादन को बढ़ाना है :—(1) संकर पौधरोपण सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना (2) पैकेज पद्धतियों को अपनाना (3) केरल में नारियल के रोगग्रस्त बागानों का उपचार करना । इस के अतिरिक्त चौथी योजना में शुरू किये गये कुछ बागानों से पांचवीं योजना की अवधि में लाभ प्राप्त होने लग जाएगा ।

भूतल जल के उपयोग तथा कृषि के विकास के लिये निधि

5250. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( ) राज्यों (सभी राज्यों) में 1973-74 और 1974-75 में भूतल जल के उपयोग के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध रही ;

(ख) वर्ष 1973-74 और 1974-75 में खाद्यान्नों का प्रति हैक्टर औसत उत्पादन क्या था; और

(ग) इन दो वर्षों में कृषि के सभी प्रकार के विकास कार्यों पर कितना वास्तविक तथा शुद्ध पूंजी निवेश हुआ तथा कितना शुद्ध उत्पादन हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग). उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दे दिए गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—9362/75]

Orphanages run by Government

5251. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government provide housing facility to orphans; and

(b) if so, the total number of orphanages being run by Government in India and the nature of amenities given to their inmates?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b). Government does not run orphanages. It gives assistance to the States/Union Territories for disbursement to voluntary organisations for the expansion of their services for the welfare of destitute children. This includes assistance for housing, maintenance, vocational training etc. During the year 1974-75, Government gave assistance of Rs. 75.84 lakhs to States/Union Territories for disbursement to 149 voluntary organisations for welfare services for 9665 children.

दयाल सिंह कालेज, लोदी एस्टट, नई दिल्ली

5252. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लोदी एस्टेट रोड, नई दिल्ली के समीप दयाल सिंह कालेज, जनता के लिए परेशानी तथा उस क्षेत्र की शान्ति के लिए भी खतरे का कारण बन गया है ;

(ख) क्या विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ किये जाने और उनका मजाक उड़ाये जाने से उनके सम्बन्धियों में भारी असंतोष है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कालेज को विश्वविद्यालय क्षेत्र में ले जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो यात्रियों तथा वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को परेशानी से बचाने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की एक बस में कुछ महिला यात्रियों के साथ सम्भवतः दयाल सिंह कालेज के छात्रों द्वारा छेड़खानी करने के एक मामले की रिपोर्ट 9-12-1974 को पुलिस को की गई थी तथा उसकी जांच की गई । तथापि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि शिकायतकर्ता शरारतियों में से किसी को भी पहचानने में असमर्थ रहे । कालेज को उसके वर्तमान भवन से अन्यत्र हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कदम उठाए गए हैं ।

कगाल तालुका, महाराष्ट्र में चीनी कारखाना

5253. **श्री राजाराम दादा साहेब निम्बालकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कगाल तालुका में साहू छत्रपति शकर कारखाना नामक चीनी कारखाने की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को मंजूरी देने तथा इसे पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

वारना नदी पर बांध

5254. **श्री राजाराम दादा साहेब निम्बालकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है जहां वारना नदी पर बांध बनाया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य स्थानों की तुलना में इस स्थान की क्या विशेषताएं हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने वारना बांध का निर्माण चन्दोली स्थल पर करने का निर्णय ले लिया है ।

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि 80570 हैक्टेयर का क्षेत्र सिंचित करने के लिए ही खुजगांव की अपेक्षा चन्दोली स्थल का चुनाव करने से निम्नलिखित लाभ हैं:--

(1) खुजगांव में 39 गांवों की अपेक्षा चन्दोली में 15 गांवों पर ही प्रभाव पड़ता है ।

(2) खुजगांव में 8866 हैक्टेयर के मुकाबले चन्दोली में 3070 हैक्टेयर भूमि ही जलमग्न होती है ।

(ग) राज्य सरकार ने परियोजना पर प्रारम्भिक निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ कर दिए हैं और संभावना है कि यदि धनराशि उपलब्ध होती रही तो परियोजना 10 वर्ष में पूर्ण हो जाएगी ।

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण ऋणग्रस्तता

5255. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की वास्तविक स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे और ग्रामीण लोगों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1961–62 में एक ग्रामीण ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से 30 जून, 1962 की ग्रामीण परिवारों की सभी स्रोतों से कुल संचित ऋणग्रस्तता का पता चलता है। इस बारे में राज्यवार सूचना अनुबन्ध-1 में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1971–72 में ऋण तथा निवेश से सम्बन्धित तीसरा दसवार्षिक सर्वेक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा राज्य सरकारों के सहयोग से किया गया है और सर्वेक्षण में एकत्र सूचना की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ख) सहकारी ढांचे तथा वाणिज्य बैंकों, दोनों, के माध्यम से यथासंभव अधिकतम ग्रामीण जनता की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि ऋण को संस्थात्मक [illegible] के लिए भारी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

अखिल भारत ग्रामीण ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण--1961–62 के सर्वेक्षण के अनुसार सभी स्रोतों से ग्रामीण परिवारों की संचित ऋणग्रस्तता की राज्यवार स्थिति।

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	परिवारों का अनुपात सूचित प्रतिशत	कुल धनराशि
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	69.7	328.84
2. असम . . .	39.5	28.22
3. बिहार	62.8	265.47

1	2	3
4. गुजरात . .	66.9	153.34
5. जम्मू तथा काश्मीर . .	60.8	12.65
6. केरल . .	67.0	62.41
7. मध्य प्रदेश . .	58.2	201.09
8. मद्रास .	72.3	341.51
9. महाराष्ट्र .	54.5	183.14
10. मैसूर . .	79.1	231.75
11. उड़ीसा .	28.6	35.43
12. पंजाब .	73.2	220.21
13. राजस्थान .	76.8	250.83
14. उत्तर प्रदेश .	60.5	335.97
15. पश्चिम बंगाल	65.7	105.79
अखिल भारत	62.8	2788.93

दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी

5256. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों में इतिहास में बी० ए० (आनर्स) के लिए हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित कालेजों में इतिहास के पाठ्यक्रम में बी० ए० (आनर्स) की शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं है :—

1. ए० आर० एस० डी० कालेज
2. देशबन्धु कालेज
3. दयाल सिंह कालेज
4. हंसराज कालेज
5. हिन्दू कालेज
6. इन्द्रप्रस्थ कालेज
7. जानकी देवी महाविद्यालय
8. किरोड़ीमल कालेज
9. मिरांडा हाउस
10. रामजस कालेज
11. श्यामलाल कालेज
12. सेंट स्टीफेन कालेज
13. एस० जी० टी० बी० खालसा कालेज
14. श्री वेंकटेश्वर कालेज ।

Utilisation of Funds under Slums Improvement Scheme by States

5258. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Slums Improvement Scheme has been introduced in the country since 1956; and

(b) if so, the funds advanced as well as the amount utilized by each State under this scheme, separately for the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) Yes, Sir, the slum clearance/improvement scheme was started in 1956.

(b) The Slum Clearance/Improvement Scheme was transferred to the State Sector with effect from 1st April, 1969. Financial assistance thereafter, has been provided to the respective states in the shape of block loans and block grants. States are free to utilise funds so released according to their own priorities and requirements.

Acquisition of Land/Houses requisitioned by Central Government in Rajasthan

5259. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the area of land acquisitioned and the number of houses requisitioned by the Central Government in Rajasthan under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 indicating the locations, names of owners and nature thereof;

(b) the purposes for which they have been requisitioned and the amount of money given to the owners in each case by way of rent or compensation; and

(c) the period for which Government propose to keep all of them under their occupation?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Assistance for Development of Sports

5260. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the amount earmarked last year for the development of sports and the amount spent out of it in each field; and

(b) the names of the sports institutions given financial assistance for the purpose, the amount given to each of them and the criteria followed in giving assistance?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b) A statement is attached [Placed ii Library. *See* No. LT-9363/75].

Irrigation Schemes of Rajasthan

5261. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the irrigation schemes of Rajasthan Government pending approval of Central Government indicating the dates since when pending and the details thereof; and

(b) whether Central Government would give financial assistance for their implementation; and if so, when and the amount thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) A statement giving the details of new irrigation schemes of Rajasthan pending clearance and the position with regard to their technical examination in the Central Water Commission is attached.

(b) Irrigation is a State subject and irrigation schemes are executed by the State Governments within their developmental plans. Central assistance to State Plans is given in the form of block loans and grants not related to any individual scheme, group of schemes or head of development.

Statement

New Irrigation schemes of Rajasthan pending clearance

Sr. No.	Name of Project (Distt.)	Estimated cost in Rs. lakhs	Benefits in 000 ha.	Date of receipt in CWC	Position of Examination
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kamla Amla	450.00	5.71	19-10-74	This will be presented at the next meeting of the Technical Advisory Committee.
2.	Daia	60.25	1.04	28-11-74	Under examination.
3.	Som Kagdar	341.08	4.62	1-1-75	—do—
4.	Wagli (Chittorgarh)	95.27	2.43	13-12-71	Further comments sent to State on 22-6-74. Replies awaited.
5.	Jhadol	49.32	1.02	28-11-74	Under examination.
6.	Wagan Diversion	323.70	4.10	21-1-75	—do—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के कर्मचारियों के कल्याण तथा सेवा स्थितियों को सुधारने के लिए कार्यवाही

5262. **श्री समर मुखर्जी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के प्रबन्धकों ने गत कुछ वर्षों के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा सेवा स्थितियों को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से प्राप्त सूचना के अनुसार वे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के हितों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और सात से दस साल तक की सेवा वाले पर्याप्त प्रतिशत में व्यक्तियों को उच्च ग्रेड अथवा अग्रिम वेतन वृद्धियां दे दी गई हैं । नियमित पदों पर भर्ती के लिए, दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों और छात्रावास भोजनालय के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है । कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न अन्य सुविधायें भी दी जा रही हैं। इन कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान भी लागू कर दिये गये हैं ।

इण्डियन एन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एम्पलाइज एसोसिएशन, मद्रास द्वारा ज्ञापन दिया जाना

5263. **श्री समर मुखर्जी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एम्पलाईज एसोसिएशन, मद्रास के महासचिव से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्मचारी संघ, मद्रास के महासचिव द्वारा परिदर्शक (विजीटर) को भेजे गये प्रत्यावेदन की एक प्रति सरकार को प्राप्त हो चुकी है जो कि संघ द्वारा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ-साथ अध्यक्ष, अभिशासी बोर्ड को भी भेजी गई थी।

(ख) उपरोक्त प्रत्यावेदन में उल्लिखित विषयों की जांच करना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की जिम्मेदारी है, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है।

पालामऊ (बिहार) के लिए बड़ा सिंचाई कार्यक्रम

5264. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े जिले पालामऊ (बिहार) के विकास के लिए कोई बड़ा सिंचाई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) बिहार की पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अपनी पांचवीं योजना के प्रारूप में राज्य सरकार ने पालामऊ जिले में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्माण की जा रही एक मध्यम स्कीम के अतिरिक्त 5 वृहत् तथा 7 मध्यम नई सिंचाई स्कीमों को सम्मिलित किया है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (हजार हैक्टेयर में)
1		3	4
चालू परियोजनायें —			
मध्यम			
1.	मुतानदुवा	88 97	0.96
	नई स्कीमें		
	वृहद्		
1.	उत्तर कोइल	5858.00	135.00
2.	औरंगा	4167.00	67.00
3.	अमानत	1600.00	22.00
4.	ताहले	625.00	15.00
5.	कन्हार	5000.00	150.00
	मध्यम		
1.	उड़ीसा दनरा	144.77	3.64
2.	वतान	391.77	16.19

3. चिरका	47.60	1.00
4. मैला जलाशय	253.27	8.26
5. वाम बांकी	36.62	1.20
6. अनरज	130.00	1.40
7. पंडारवा जलाशय . . .	30.00	1.30

बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विकास संस्थान, रांची द्वारा विदेशों से आमंत्रित प्रोफेसर

5265. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, रांची (बिहार) ने विदेशों से कितने प्रोफेसरों को यहां आमन्त्रित किया था;

(ख) बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, रांची ने उन प्रोफेसरों को कुल कितना वेतन दिया था तथा उन्हें किन विषयों पर अध्ययन कार्य के लिए बुलाया गया था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 2 से 34 दिनों तक की अल्पकालिक अवधि के लिए तीन विदेशी प्रोफेसरों ने बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची का दौरा किया था। उन्होंने (i) मौसम परिवर्तन के लिए राकेट्री (ii) ठोस यान्त्रिकी और (iii) यान्त्रिक संचालन के सम्बन्ध में व्याख्यान दिये थे। इन प्रोफेसरों को कोई वेतन नहीं दिया गया था।

पंजाब में आलू की पैदावार में कमी

5266. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आलू की प्रति हैक्टेयर औसत पैदावार में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वर्ष 1972–73 और 1973–74 में पैदावार घटकर 12.8 क्विंटल प्रति हैक्टेयर रह गई थी; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) तक गत पांच वर्षों में पंजाब में आलू की औसत उपज इस प्रकार रही है :—

वर्ष	प्रति हेक्टेयर उपज (किलो ग्राम)
1969–70	11,991
1970–71	12,781
1971–72	13,430
1972–73	12,845
1973–74	13,828

1972–73 के दौरान आलू की पैदावार में गिरावट के ये कारण थे :—

(i) गेहूं की बुवाई करने के लिए खेत खाली करने हेतु बड़े क्षेत्रों में आलू की शीघ्र खुदाई और इस प्रकार दो बार खेती करने का लाभ उठाना ।

(ii) ब्लाइट रोग के कारण क्षति ।

(iii) फसल के बढ़ने की अवधि में कुछ जिलों में अपर्याप्त वर्षा ।

1974–75 के दौरान आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए उपाय किए गए हैं :—

(1) ब्लाइट प्रतिरोधी किस्मों या वसंतकालीन फसल का प्रयोग करना;

(2) शहरों में शाक-वाटिकाओं में आलू की खेती को लोकप्रिय बनाना ;

(3) आलू की उपज बढ़ाने के लिए इसकी मुख्य फसल के रूप में बुवाई करने पर जोर देना और इस फसल को शीघ्र निकालने से रोकना ;

(4) उन्नत किस्मों के रोगमुक्त बीजों का उत्पादन बढ़ाना ;

(5) विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

जल संस्थानों के कुशल उपयोग पर धनराशि की कमी का प्रभाव

5267. **श्री अनादि चरण दास** :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की कमी और अन्तर्राज्यीय विवाद जल संसाधनों को कुशलता से उपयोग में लाने के रास्ते में बाधा बने हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण बहुत ही सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का निर्माण राज्यों द्वारा अपनी समग्र योजना के अन्तर्गत किया जाता है । आर्थिक कठिनाइयों और राज्य सरकारों द्वारा बहुत सी नई परियोजनाओं को हाथ में लेने की प्रवृति के कारण उपलब्ध संसाधन छोटे-छोटे भागों में बंट जाते हैं और परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी हो जाती है ।

अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के इस्तेमाल के सम्बन्ध में मतभेदों के कारण कुछ परियोजनाओं को जिनमें अन्तर्राज्यीय नदियों के जल का समुपयोजन शामिल था स्वीकृति नहीं दी जा सकी बहरहाल, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जल विवादों के कारण पूरे देश में जल संसाधनों के उपयोग पर कोई कुप्रभाव पड़ा है क्योंकि उपलब्ध धनराशि का पूर्ण उपयोग विवाद रहित परियोजनाओं में सिंचाई शक्यता के विकास पर कर लिया गया है ।

झंडेवालान, नई दिल्ली स्थित केशव कुंज भवन का नक्शा

5268. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झंडेवालान, नई दिल्ली स्थित 'केशव कुंज' भवन (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय) का नक्शा दिल्ली नगर निगम ने कब पारित किया था ;

(ख) क्या प्रयोग में लाई गई यह भूमि मास्टर प्लान में "मन्दिर" के लिए निर्धारित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो नक्शों को मंजूरी दिये जाने के क्या कारण थे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 'केशव कुंज' नाम का भवन एक पुराना भवन है जिसका कर-निर्धारण दिल्ली नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम किया गया है । दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उन्होंने इस भवन के लिए कोई भवन प्लान स्वीकृत नहीं किये । तथापि, संस्कृति मंदिर झण्डेवाला टेम्पल के मौजूदा भवन में परिवर्धन तथा परिवर्तन के कुछ नक्शे निगम द्वारा 1968–69 के दौरान अलग अलग चरणों में स्वीकृत किये गये थे ।

(ख) वृहत्त योजना के अनुसार, भूमि उपयोग "धार्मिक भवन" के लिए है ।

(ग) संस्कृति मंदिर के परिवर्धन तथा परिवर्तनों के लिए प्लान, बृहत्त योजना के अधीन निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार स्वीकृत किये गये थे ।

गुजरात में संगीत शिक्षकों की सेवा शर्तें

5269. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में संगीत एक विषय के रूप में सिखाया जाता है ;

(ख) यदि हां. तो क्या यह ऐच्छिक विषय है अथवा अनिवार्य :

(ग) गुजरात में विभिन्न स्कूलों में संगीत शिक्षकों के वेतनमान, आय भत्ते तथा काम और सेवा शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या उक्त वेतनमान तथा भत्ते पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त वेतनमानों में सुधार करने का है और यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निरक्षरता

5270. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के बावजूद भी निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार साक्षरों और निरक्षरों की संख्या निम्नलिखित है :—

(आंकडे लाखों में)

आयु वर्ग	1961		1971	
	साक्षर	निरक्षर	साक्षर	निरक्षर
1	2	3	4	5
5—14	336.6	803.2	523.3	973.6
15—24	263.3	468.8	430.1	475.9
25—34	192.3	481.9	260.0	506.1
35 तथा उससे ऊपर	262.7	917.7	366.2	1126.7

15–24 वर्ष की आयु वर्ग में जहां सरकार की शैक्षिक नीतियों के पूरे प्रभाव को महसूस किया जाता है, अनपढ़ों की संख्या में लगभग 7 लाख की मामूली वृद्धि हुई है। जनसंख्या के अधिक आयु वाले वर्गों की इस संख्या में वृद्धि अधिक हुई है। 25–34 वर्ष की आयु वर्ग में 24 लाख और 35 तथा उससे अधिक वर्ष के आयु वर्ग में 209 लाख।

(ख) मुख्य कारण है (i) जनसंख्या में वृद्धि (ii) सुरक्षित रखने योग्य साक्षरता उपलब्धि से पूर्व स्कूल छोड़ने वालों की संख्या (iii) सामाजिक आर्थिक कारण जो पूर्ण कालिक शिक्षा प्राप्त करने में बच्चों को रोकते हैं; और (iv) अपर्याप्त संसाधन।

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख दीर्घ-कालीन उपाय किये गये हैं :—

(i) 6–11 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि ;

(ii) स्कूल में बच्चों को आकर्षित करने और उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई करने के लिए उन्हें रोक कर रखने का सुनिश्चित करने के लिए लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और लेखन-सामग्री, मध्यान्ह भोजन तथा मुफ्त वर्दियों जैसी प्रेरणाएं प्रदान करना ;

(iii) काम करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति में बहुल-मद प्रविष्टि की व्यवस्था सहित अंश-कालीन कक्षाएं तथा उन बच्चों के लिए जो पूर्ण कालिक अथवा अंश-कालीन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते, उनके लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना ;

(iv) स्कूल से बाह्य युवकों के लिए अनौपचारिक और कार्यात्मक साक्षरता के कार्यक्रम आयोजित करना।

Agitation by Students of Vishweshwaraiya Regional Engineering College, Nagpur

5271. **Shri Ram Hedaoo:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether students of Vishweshwaraiya Regional Engineering College, Nagpur have been agitating for quite sometime in support of their 13 point demands and in the absence of proper attention being paid and sufficient financial grant being given by the Central and State Government and the Nagpur University, the working of the said college is not improving; and

(b) the steps proposed to be taken by the Central Government regarding education in the College and meeting demands of the students?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b) The General Secretary of the College Gymkhana submitted a memorandum on 18th February, 175, to the Principal, Visvesvaraya Regional College of Engineering, Nagpur, containing 13 demands pertaining to amenities and academic concessions. The

Board of Governors of the College, which is autonomous, met on 14th March, 1975 and considered all the demands in detail. The recommendations of the Board when received will be examined by the Central/State Government and the Nagpur University.

Tutorial Classes by Institutions

5272. **Shri Ram Hedaoo:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether there is a flood of the institutions arranging tutorial classes in higher education, technical education and various subjects in big cities of India, especially in Maharashtra; and

(b) whether because of this tendency, Government or University Grants Commission propose to take some measures to check deterioration in the qualitative standard of education?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) It is reported that several private institutions are offering such educational courses in various subjects.

(b) The University Grants Commission and the Government have in accordance with established policies, taken several measures for the maintenance and improvement of educational standards, including inservice training of teachers, improvement of curricula, examination reforms and improvement of service conditions.

These institutions/courses are not recognised or affiliated to any University. Under the University Grants Commission Act, 1956, the right of conferring or granting degrees shall be exercised only by a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act or by an institution deemed to be a university under Section 3 of the U.G.C. Act, or an institution especially empowered by an Act of Parliament to grant degrees. Whenever any specific instance of any violation of these provisions is brought to the notice of the Government or the Commission, the matter, after due verification, will be taken up for legal action as may be necessary.

Production and Export of Sugar

5274. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantum of sugar likely to be produced during the current season and the quantity out of it proposed to be exported; and

(b) the current international price of sugar?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Production of sugar during the current season is likely to be 45 to 46 lakh tonnes. Nearly six lakh tonnes of sugar from the 1974-75 production has already been sold out for exports during 1975. The effort will continue to be to maximise exports.

(b) The range of prices of raw sugar in 1975 given in the table below shows the trend of international prices of Sugar.

(London Daily Price—£ per Ton)

Month	Maximum	Minimum	Average
January 1975	470.00	350.00	392.05
February 1975	370.00	275.00	341.25
March 1975	280.00	237.00	261.00

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दूसरी श्रेणी के सहायक इंजीनियरों की संशोधित वरीयता सूची

5275. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दूसरी श्रेणी के सहायक इंजीनियरों के बारे में 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 833 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलैक्ट्रिकल दूसरी श्रेणी के सहायक इंजीनियरों की एक संशोधित वरीयता सूची सभा पटल पर रखी जाये ;

(ख) यह बताया जाये कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुझाये गये सिद्धान्त 5 नवम्बर, 1971 को दिये गये दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है; और

(ग) यदि यह सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है तो वह निर्धारित तिथि बतायी जाये जब कि वह सूची तैयार हो जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सहायक इंजीनियरों की वरीयता सूची का अभी संशोधन नहीं किया गया है अतः उस की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) श्री एम० रामैया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दिये गये अपने निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने लिखा है कि कोटे का निर्धारण अन्तिम रूप से तथा प्रभावकारी ढंग से नहीं किया गया। इस ने सहायक इंजीनियर के ग्रेड में वरीयता के निर्धारण के लिए किसी सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर वरिष्ठता के किसी सिद्धान्त का सुझाव देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सीधी भर्ती के कुछ सहायक इंजीनियरों ने, जिन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का विपरीत प्रभाव पड़ता था, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश द्वारा सरकार को निदेश दिया है कि वह केवल तदर्थ पदोन्नतियां/पुष्टियां करे जो कि इस अपील पर न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप अन्तिम रूप से समायोजन किये जाने की शर्त पर होंगी। इस बात को देखते हुए यह उपयुक्त समझा गया है कि सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची का संशोधन करने से पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई अपील में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए।

खाद्यान्न के आयात के लिए यू० के० के साथ समझौता

5276. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए "ब्रिटिश एड टू इण्डिया एग्रीमेंट" (भारत

को ब्रिटिश सहायता सम्बन्धी समझौता) के अधीन ब्रिटेन से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के भारत में राज्यवार (विशेषकर पश्चिम बंगाल) के लिए नियतन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत में उपरोक्त खाद्यान्न कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है; और

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन से भारत को किस प्रकार का खाद्यान्न मिलेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग). 11 मार्च, 1975 के एक करार के अधीन, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को खाद्य सहायता के रूप में 30,000 मीटरी टन गेहूं सप्लाई करना मान लिया है। आशा है कि यह सभी मात्रा जून, 1975 के अन्त तक देश में प्राप्त हो जाएगी। आन्तरिक रूप से अधिप्राप्त किए गए और विदेशों से आयात किए गए खाद्यान्नों को मिला कर केन्द्रीय पूल में रखा जाता है और केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, राज्यों को आवश्यकताओं, मंडी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रख कर राज्यों को प्रत्येक मास आवंटन किए जाते हैं।

बेकरी उद्योग के विकास के बारे में 10-3-1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2825 के भाग (क) के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 2825, PART (a), DATED 10TH MARCH, 1975 REGARDING DEVELOPMENT OF BAKERY INDUSTRY

लोक सभा में 10 मार्च, 1975 को दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 2825 के उत्तर के भाग (क) में यह बताया गया था कि बेकरी उद्योग अनुसूचित उद्योग नहीं है, उक्त उत्तर में बेकरी उद्योग का उल्लेख केवल इसी संदर्भ में किया गया है कि यह डबलरोटी के उत्पादन से सम्बन्धित है। इसे स्पष्ट करने वाला संशोधित उत्तर नीचे दिया जाता है :—

(क) बेकरी (डबलरोटी) उद्योग अनुसूचित उद्योग नहीं है और इसलिए उद्योग के लिए उत्पादन के कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)

RE. ADJOURNMENT MOTIONS (QUERY)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने कलकत्ता में श्री जय प्रकाश नारायण पर किए गये हमले तथा श्री मोरारजी देसाई के व्रत के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैंने भी श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा सेनाओं को विद्रोह का आह्वान करने पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी साथ-साथ बोलेंगे तो हमें कार्य करना कठिन हो जायेगा। मेरे पास 11 स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है जिसमें अधिकांश देश में बढती हुई हिंसा से संबंधित हैं। यह श्री जय प्रकाश पर हमले एवं श्री मोरार जी देसाई की अनशन के बारे में हैं।

यदि किसी राज्य में शान्ति भंग होती है तो वह उस राज्य का मामला है। परन्तु यदि पूरे देश में हिंसा का वातावरण पैदा हो जाये तो इस पर चर्चा सदन में की जा सकती है।

श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा सेना को विद्रोह का आह्वान करने पर भी यहां चर्चा की जा सकती है।

जहां तक श्री मोरारजी देसाई के अनशन का प्रश्न है, मैं उसके लिए सरकार को उत्तर-दायी नहीं समझता। गुजरात में चुनाव कराने के मामले पर कई बार चर्चा की जा चुकी है। इस समय हिंसा के वातावरण पर सामान्य चर्चा की जा सकती है, स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have a point of order.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Janeshwar Mishra : The attack on Shri Jai Prakash Narayan was made in Bihar, but Shri Brahmanand Reddy apologized here. That was also a State matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं तो गृह मंत्री से केवल राज्य के बारे में तथ्य एकत्र करने को कह सकता हूं। इसके लिए उन्हें राज्य से सूचना मंगानी होगी।

Shri Janeshwar Mishra : No information was sought from the State Government on the incident that took place on the 18th in Allahabad.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उस दिन सदन में घटना की निन्दा करते हुए संकल्प पारित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह न्यायालय में दायर की गई चुनाव याचिका के बारे में था। सामान्य रूप से चर्चा के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यदि आप गृह मंत्री से कोई वक्तव्य चाहते हैं तो उसकी जानकारी उन्हें देने के लिए राज्य सरकार से ही लेनी पड़ेगी। पिछली बार भी सूचना उन्होंने राज्य सरकार से ही मंगायी थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उससे पूर्व सभा द्वारा संकल्प पारित कर दिया गया था। आप कृपया भेदभाव न बरतें।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा को मना नहीं करता। इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है ?

Shri Madhu Limaye : What are the rules for an adjournment motion ? The rules are that the matter should be urgent, specific and concrete.

Incidents of violence cannot be taken under adjournment motion. My adjournment motion is under Article 256 of the Constitution

In this case the laws like Criminal Procedure Code, Indian Penal Code, etc. enacted by the Parliament have been violated by the State Government and hence it is the responsibility of the Parliament and the Central Government to discuss this matter.

The whole incident in Calcutta happened in the presence of a State Minister. It is not merely a question of attack on Shri Jayaprakash Narayan, Shri Samar Guha, a Member of this House, several members of Nav Nirman Samiti like Shri Sawraj Bandhu Battacharya, Shri Viman Mitra and nearly thirty other persons received injuries. It was a show for intimidating and threatening the opponents. The police was very much present there. When the incident at Allahabad concerning the Prime Minister was discussed in the House, it is not understood why the incident in which Shri Samar Guha, a member of the House, received injuries is not being allowed to be discussed here.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है कि जब इलाहाबाद में रिवाल्वर ले कर एक व्यक्ति के न्यायालय में घुस जाने की चर्चा इस सभा में हो सकती है, तो इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती । यह सारा काण्ड पुलिस की हाजरी में हुआ । यही नहीं वहां उपस्थित मंत्री ने पुलिस के माइक का इस्तेमाल किया । यह एक अति अशोभनीय काण्ड है । सभा को श्री जय प्रकाश नारायण पर हुए कातलाना हमले की भर्त्सना करनी चाहिए । मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव दिया है, उसे सभा के समक्ष रखा जाये ।

श्री समर गुह : कलकत्ता में जो कुछ हुआ है, वह कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों में मोटे अक्षरों में प्रथम पृष्ठ पर छपा है । मुझे अपने जीवन की चिन्ता नहीं है तथा मुझे खुशी है कि मैं उन चोटों को सहन कर सका हूं । यदि मैं न होता तो श्री जय प्रकाश नारायण का जीवन खतरे में था और हो सकता है कि उन की हत्या कर दी गई होती ।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव तथा एक अन्य प्रस्ताव का नोटिस दिया है । सभा को श्री जय प्रकाश नारायण पर हुए हमले की एकमत से भर्त्सना करनी चाहिए ।

श्री **प्रियरंजन दास मुंशी** (कलकत्ता-दक्षिण) : श्री जय प्रकाश नारायण पर कोई हमला नहीं हुआ । यह बिल्कुल झूठ है । उन्हें छुआ भी नहीं गया ।

Shri Shashi Bhusan (South Delhi): Shri Jayaprakash Narayan has not said even a word about the attack on him. If he says that he was attacked, I am ready to resign.

श्री समर गुह : इस बारे में तथ्यों को बयान करने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ हुआ है उस की तस्वीरें समाचार पत्रों में छपीं हैं ।

प्रधान मंत्री को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव उचित था, जिसे सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है । यद्यपि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री हैं, तथापि श्री जय प्रकाश नारायण आज देश के सब से बड़े नेता हैं तथा यह इस सभा की एवं समूचे राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी है कि उन पर हुए हमले की निन्दा की जाये ।

मैंने अपने प्रस्ताव में कानून और व्यवस्था की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया था । मैंने तो केवल इतना कहा है कि श्री जय प्रकाश नारायण को उन के मूल अधिकारों से वंचित रखा गया, जो देश के हर नागरिक को उपलब्ध हैं ।

अतः मूल प्रश्न यह है कि क्या देश के किसी नागरिक को उसके मूल अधिकारों से वंचित रखा जा सकता है, चाहे वह जय प्रकाश नारायण हो अथवा प्रधान मंत्री अथवा कांग्रेस अध्यक्ष। चूंकि यह प्रश्न सब नागरिकों के मूल अधिकारों से सम्बन्धित है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा निवेदन यह है कि हमें इस समूचे मामले पर व्यापक रूप से विचार करना चाहिये। इस समय सभा के समक्ष दो ऐसे प्रस्ताव हैं, जिन में थोड़ा थोड़ा अन्तर है। पहला स्थगन प्रस्ताव है और दूसरा उस प्रकार का प्रस्ताव है। जिसे इस सभा ने दो अथवा तीन सप्ताह पहले सर्वसम्मति से पास किया था। जब पिस्तौल से लैस एक व्यक्ति, न्यायालय के कमरे में, जहां विरोधी दल के नेता तथा प्रधान मंत्री उपस्थित थे, दाखिल होना चाहता था, तो सभा ने उस दुर्घटना की निन्दा करने में देर नहीं लगाई। उस दुर्घटना की सर्वसम्मति से निन्दा की गई। अतः आशा की जाती है कि सभा इस घटना की भी सर्वसम्मति से निन्दा करेगी।

वस्तुस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देना उचित है। परन्तु यदि वह किसी कारण से ऐसा न कर सकें, तो उस दूसरे प्रस्ताव को अनुमति देनी ही होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल में हुई दुर्घटना की सर्वसम्मति से निन्दा करने का उल्लेख है। दूसरे प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव पहले सर्वसम्मति से स्वीकार किया जा चुका है।

मेरा निवेदन यह है कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये और यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं किया जाता, तो दूसरा प्रस्ताव तो अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : कलकत्ता की जनता शोषित वर्ग की हिमायती है। अतः यदि श्री जयप्रकाश नारायण और अन्य व्यक्तियों की निन्दा की जाती तो पश्चिम बंगाल में पूर्ण हड़ताल हो जाती। उसे कोई नहीं रोक सकता था। वस्तु स्थिति यह है कि वहां कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ है उस का कारण यह है कि आम जनता उस भाषा को पसन्द नहीं करती। जिसका इस्तेमाल श्री समर गुह, श्री जय प्रकाश नारायण तथा अन्य लोग कर रहे हैं। यह भाषा घृणित है तथा इस में सदन के नेता तथा अन्य व्यक्तियों के लिये अति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे गालीगलोच भी कहा जा सकता है। यह तो शुक्र है कि जनता का स्तर राजनीतिज्ञों से कहीं ऊंचा है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, परन्तु यह भी उन का कर्तव्य है कि वे किसी स्तर को अपनाये और उस से नीचे न जायें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कलकत्ता दुर्घटना सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अध्यक्ष महोदय ऐसी प्रक्रिया का सुझाव दे रहे हैं जिस के अन्तर्गत देश में व्याप्त हिंसा के वातावरण पर सभा चर्चा कर सके। इस बात का कोई पता नहीं कि किसी स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करते समय क्या अध्यक्ष महोदय किसी ऐसी कार्यवाही का सुझाव दे सकते हैं जिस के बारे में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त न हुआ हो।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

समाचार पत्रों में इलाहाबाद दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों के आधार पर इस सभा में प्रधान मंत्री पर सम्भावित आक्रमण की सर्वसम्मति से निन्दा की गई। यदि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर यह सभा इलाहाबाद की दुर्घटना पर चर्चा कर सकती है तो बंगाली और अंग्रेजी समाचारपत्रों में प्रकाशित श्री जयप्रकाश नारायण पर किये गये आक्रमण सम्बन्धी समाचारों के बारे में यह सभा चर्चा क्यों नहीं कर सकती—

श्री मोरारजी देसाई : गुजरात में चुनाव कराने के लिये अनशन पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : जब सभा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर इलाहाबाद की घटना पर चर्चा कर सकती है तब कलकत्ता की घटना पर यह अवसर क्यों नहीं दिया जाता। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करते समय आप का सुझाव है कि देश में हिंसा के वातावरण पर भी चर्चा की जाये। आप केवल कलकत्ता की घटना पर ही क्यों नहीं अनुमति देते।

अध्यक्ष महोदय : तब तो मैं अनुमति नहीं देता।

श्री पी० जी० मावलंकर : तब इलाहाबाद की घटना की चर्चा क्यों की गई?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं है। कुछ सदस्यों ने अन्य विकल्प रखे थे। नियमों को छोड़ कर भी मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक से अधिक व्यक्ति श्री जयप्रकाश नारायण की कार की छत पर नाचे। एक पत्थर उन्हें लगते लगते बचा। यह कार्यवाही केन्द्र की अनुमति से की जा रही है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): This is not a mere question of law and order. It was a violent attack on Lok Nayak. The Constitution has given right to everyone to go anywhere and preach his viewpoint. There should be no discrimination between one person and another. Either this House should condemn the incident or we may be allowed to move an adjournment motion (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : अनुमति मांगते हुए ही सदस्य अपनी सारी बात कह जाते हैं और इसे कार्यवाही वृत्तान्त में लिया जा रहा है। स्थगन प्रस्ताव अध्याय 9 के अंतर्गत लिये जाते हैं। आप पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं कि प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं लिये जा सकते। विरोधी सदस्य सभी तथ्य बताते जा रहे हैं। शासक दल के सदस्य स्थगन प्रस्ताव तो रख नहीं सकते अब आप ही बताइये कि उनके लिये क्या चारा है कि वह अपनी बात कह सकें। या तो आप इसी विवाद को समाप्त कराये अथवा इस पक्ष को भी अवसर दे।

Shri Janeshwar Mishra: On the one hand you have given a ruling that incident of Calcutta cannot be discussed. But when a bomb was thrown on the procession of Shri Jaya Prakash Narayan the matter was discussed here.

अध्यक्ष महोदय : वह स्थगन प्रस्ताव नहीं था।

Shri Janeshwar Mishra: The law and order situation of certain States have been discussed here. Shri Narayan has alleged that it was an attempt to kill him.

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय गुण-दोषों के आधार पर दिया है। यदि ऐसा है तब मैं नहीं समझता कि यह निवेदन किस आधार पर किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें निवेदन करने की अनुमति दी है।

Shri N. K. P. Salve: There should be discussion on the matter of admissibility on the basis of facts. These members are making their submissions and we do not get a chance to reply.

Mr. Speaker: There was a special meeting of the Rules Committee to discuss these matters. A rule was made that where it is not clear, the Speaker can hear the member for a minute or so.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा तब आपने यह कह दिया कि यह राज्य का विषय है। विशेष रूप से श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुके हैं। आप प्रस्तावों को मतदान के लिये रखें। यदि 50 सदस्य समर्थन दें तो इसे लिया जा सकता है।

Shri Janeshwar Mishra: Even the security officer told Shri Jaya Prakash Narayan in Calcutta that had he come out of the car he would have been killed.

When Shri Jaya Prakash Narayan visited Haryana his car was attacked. He has undergone lot of sufferings during the independence struggle. Is there anybody else who has undergone sufferings as he has undergone? Shri Govind Mishra went to the court to say that he had no intention to hurt the Prime Minister. That matter was discussed there.

Shri Samar Guha, who is a member of this House was hurt. Why discrimination is being done in the matter.

Mr. Speaker: You say that it is wrong and he says that it is right. Please come to the point. You are not doing service to your cause.

Shri Janeshwar Mishra: Shri Samar Guha has said that he was attacked with lathies. Was not the affair of Shri Govind Mishra the law and order question of U.P.?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा का माामला गृह मंत्रालय का मामला है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप प्रधान मंत्री और श्री गुह के साथ भिन्न व्यवहार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मामला न्यायालय में है। अतएव इस पर चर्चा नहीं की जा सकत ।

Shri Janeshwar Mishra : As reported in the Press, Shri Jaya Prakash Narayan has stated that there was a conspiracy to kill him. The Home Minister and the Prime Minister should apologise publicly. (*Interruption*) You are discriminating in respect of the similar medicines of the ruling party and the opposition.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी हैं। जो मामला किसी विशेष राज्य में घटा है उसकी चर्चा नहीं की जायेगी। मैं स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं दे सकता। देश में व्याप्त हिंसा के मामले पर चर्चा की जा सकती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। परन्तु घटना की निन्दा करने सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में आपकी क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रस्तावों में देश में व्याप्त हिंसा पूर्ण स्थिति का उल्लेख है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस सभा के माननीय सदस्य पर हमला हुआ है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री का इससे सम्बन्ध नहीं है।

Shri Jagannath Rao Johsi : Double standards being adopted in regard to similar matters.

अध्यक्ष महोदय : देश की हिंसा पूर्ण स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। मैं गृह मंत्री से इस पर वक्तव्य प्राप्त करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1975–76 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति तथा विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वर्ष 1975–76 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति भाग 1 और 2 की एक प्रति।

(2) उक्त दस्तावेज के अंग्रजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथी अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9344/75)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनाएं तथा अनिवार्य जमा (आय-कर दाता) (संशोधन) स्कीम, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 181 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो

दिनांक 1 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रख गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9345/75]

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 379 जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 380 जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल/टी० 9346/75]

3. अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) (संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 162(ङ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रथालय में रख गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9347/75]।

गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिबंध) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत गुजरात सरकार के आदेश तथा एक विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(1) सत्यनारायण मन्दिर, अहमदाबाद के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री नवीनचन्द्र नन्दलाल शाह के मामले में दिनांक 26-2-1975 का आदेश संख्या वीसीटी–1474/131654–पांच।

(2) जिला राजकोट म प वंसर, ताल्लुक वानकनेर के श्री शेरमियां हुसनमियां के मामले में दिनांक 26-2-1975 का आदेश संख्या वीसीटी–2875/3521–पांच।

(3) जिला भावनगर में कुंडला, ताल्लुक ग्राम सेवा मंडल, सावल-कुंडला के मामले में दिनांक 10-3-1975 का आदेश संख्या वीसीटी–1874/कान/3956-पांच।

(4) श्री पर्वतीनगर कोग्रापरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, नानाबरछा, ताल्लुक चोरीयासी, जिला सूरत के मामले में दिनांक 12-3-1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी-30/4/79665 ।

(5) जिला बुलसर में जुनजग्रा ग्राम, ताल्लुक बुलसर के श्री छोटाभाई बाबरभाई के मामले में दिनांक 24-2-1975 का ग्रादेश संख्या सी०एच/वीसीटी/ग्रारजी 44/74 ।

(6) ग्रतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ग्रतुल, ताल्लुक बुलसर, जिला बुलसर के मामले में दिनांक 7-3-1975 का ग्रादेश संख्या सीएच/वीसीटी/ग्रारजी-8/74 ।

(7) मसर्स बरिया सेरीमेक्स इन्डस्ट्री, वानकनेर, ताल्लुक वानकनेर, जिला राजकोट के मामले में दिनांक 20-2-1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी/लेण्ड/मामला संख्या 70 ।

(8) जिला सूरत में ग्राम काडोड ताल्लुक बारदोली के मैसर्स महमद गोसला एण्ड ब्रदर्स के मामले में दिनांक 24-2-1975 का ग्रादेश सख्या वीसीटी/एसग्रार/5/74 ।

(9) मैसर्स रंगील दास मानकलाल फर्म, सूरत के मामले में दिनांक 24-2-1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी/एसग्रार/79/74 ।

(10) सूरत के श्री जीयाउलहक ग्रब्दुल्ला बनारसी के मामले में दिनांक 24-2-1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी/एसग्रार/54/74 ।

(11) सूरत जिला पोल्टरी फार्म, सूरत के मामले में दिनांक 24-2-1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी/एसग्रार/वी/7/75 ।

(12) झालावाड़ सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 12-3-1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी-डब्ल्यू एस-3707 ।

(13) भावनगर जिले में ग्राम बरतेज ताल्लुक भावनगर के श्री तेम्बुग्रा हथीसिंह के मामले में दिनांक 7-3-1975 का ग्रादेश संख्या एलएनडी/वीसीटी/11 ।

(14) पालनपुर जिले में ग्राम ग्रम्बेथा ताल्लुक पालनपुर के श्री जमादार ग्रकबरमहमद निरमहमद तथा ग्रन्यों के मामलों में दिनांक 10-3-1975 का ग्रादेश संख्या ए/जमीन-2 वीसीटी ।

(ख) उपर्युक्त ग्रादेशों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रख जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल०टी० संख्या 9348/75]

स्थगन प्रस्तावों के बारे में—जारी

RE. ADJOURNMENT MOTIONS—*Contd.*

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने सभा द्वारा श्री जय प्रकाश नारायण पर घातक हमले की सर्वसम्मति से निन्दा करने के प्रस्ताव की लिखित सूचना दी थी। कृपया उसकी अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी तो आपने सूचना दी है। इन सूचनाओं के कुछ नियम हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उस दिन प्रस्ताव सभा पर सहसा लाद दिया गया था। आप इस मामले पर पक्षपात और भेदभाव बरत रहे हैं। विरोध स्वरूप हम सभा त्यागते हैं।

(कुछ सदस्य सभा से उठ कर चले गये)

(At this stage, some Hon. members left the House)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि उन्होंने मेरे निर्णय की भावना को नहीं समझा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

जल तथा विद्युत् विकास परामर्शदात्री सेवा (इण्डिया) लिमिटेड की वर्ष 1973-74 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जल तथा विद्युत् विकास परामर्शदात्री सेवा (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जल तथा विद्युत् विकास परामर्शदात्री सेवा (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल०टी० 9349/75]

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चंडीगढ़ का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(चार) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9350/75]

(2) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा वर्ष 1972-73 के लेखे का विवरण ।

(3) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 9350/75]

(4) खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे । ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9351/75]

तटस्थ देशों के विदेश मंत्रियों के ब्यूरो की हवाना में हुई बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MEETING OF FOREIGN MINISTERS OF BUREAU OF NON-ALIGNED COUNTRIES IN HAVANA

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जैसा कि सदन को ज्ञात है, मैंने हवाना में 17 से 19 मार्च, 1975 तक गुट निरपेक्ष देशों के ब्यूरो के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया ।

2. हवाना की यह बैठक मार्च, 1974 में अलजीयर्स में हुई ब्यूरो की पूर्व बैठक के एक वर्ष बाद हुई । इस अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर—राजनीतिक तथा

आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में––महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और इस बैठक के कारण हवाना में उपस्थित 17 देशों के मंत्रियों का स्थिति की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त हुआ । ब्यूरों के सदस्यों के अतिरिक्त, 24 दूसरे गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधि मंडल प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रहे ।

3. बैठक में तनाव की कमी, पश्चिम एशिया, उपनिवेशों की समाप्ति, इंडो-चाइना, और हिन्द महासागर जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में गुट निरपेक्ष देशों द्वारा पहले के सम्मेलनों में स्वीकृत आधारभूत स्थितियों की पुनः पुष्टि हुई तथा उन्हें फिर दुहराया गया । साइप्रस के सम्बन्ध में बैठक की समाप्ति पर जो अन्तिम घोषणा की गई उसमें उस गुट निरपेक्ष देश की सरकार तथा जनता के प्रति पूर्ण समर्थन तथा सहानुभूति व्यक्त की गई । भारत ने अल्जीरिया, गुयाना, युगोस्लाविया और माली के साथ––पांच गुट निरपेक्ष देशों का एक समुदाय जो संयुक्त राष्ट्र में वार्ता के लिये योगदान दे रहा है––इस विषय पर एक सर्वमान्य सूत्र प्रस्तुत किया ।

4. बैठक में अरब मित्रों के निरन्तर संघर्ष के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया जो वे इसराईल द्वारा आक्रामक ढंग से अवैध अधिकृत क्षेत्रों को वापस कराने तथा फिलिस्तीनी जनता के मूलभूत अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिये कर रहे हैं। बैठक के बाद वाले सप्ताह में इसराईल को वापस हटाने के जो प्रयास विफल हुए उससे पश्चिम एशिया की स्थिति एक बार फिर गम्भीर हो उठी है और यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि इस क्षेत्र में शांति के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिये कोई उचित तथा स्थायी समाधान ढूंढ़ा जाये ।

5. जब हवाना में यह बैठक हो रही थी उस समय लातिनी अमरीका और कैरेबियाई देशों की घटनाओं की ओर विशेष ध्यान जाना आवश्यक था। जबकि कैरेबियाई देश अभी हाल में स्वतन्त्र हुए हैं लातिनी अमरीका के देश सौ वर्ष या इससे भी पहले स्वतन्त्र हुए थे । लेकिन उन देशों में आर्थिक स्वतन्त्रता की प्रक्रिया को शुरु हुए ज्यादा समय नहीं हुआ । हाल के वर्षों में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में और अधिक लातिनी अमरीकी देशों के शामिल होने से––जिनमें क्यूबा सबसे पहले शामिल हुआ, यह स्पष्ट है कि लातिनी अमरीका में गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति रुचि बढ़ रही है । यह एक महत्वपूर्ण समसामयिक प्रक्रिया है जिस पर हवाना की बैठक में प्रशंसात्मक रूप से ध्यान दिया गया ।

6. 1970 में लुसाका में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बाद से, गुटनिरपेक्ष देश हिन्द महासागर के क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं । श्रीलंका की प्रधान मंत्री की पहल के लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने 1971 में भी हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखने की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की । उसी समय से, गुटनिरपेक्ष देश, संयुक्त राष्ट्र में और अपनी बैठकों में, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के उद्देश्यों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये अनुरोध करते रहे हैं । हवाना की बैठक में इस क्षेत्र में वायु सेना एवं जल सेना की उपस्थिति को मजबूत करने और विदेशी अड्डे कायम करने पर पुनः गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है । तटीय देशों और पश्चम,

[श्री यशवन्त राव चव्हाण]

प्रदेशों के बहुमत की इच्छा के विरूद्ध दियागो गार्शिया में अड्डे के फैलाव के नाकारात्मक विकास की निन्दा की गई है ।

7. हिन्द महासागर में इस प्रकार स्थिति के बदतर होने को ध्यान में रखते हुए, हवाना में इकट्ठे हुए मंत्रियों ने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने की संयुक्त राष्ट्र घोषणा का दृढ़ता से पालन करने का अनुरोध किया है । इस वर्ष लीमा में होने वाले गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इस समूचे प्रश्न पर अधिक विस्तार और गहराई से विचार किया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र में गुटनिरपेक्ष देश हिन्द महासागर को महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से मुक्त रखने के अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये मिल कर काम करना जारी रखेंगे ।

8. हवाना के पूर्ण अधिवेशन में अपनी वक्तव्य में मैंने अपने पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों के सामान्यकरण और उनको मजबूत बनाने के लिये किये गये विशेष प्रयत्नों और पहलकदमियों पर जोर दिया । अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के मंत्रियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान मैंने यह महसूस किया कि भारत द्वारा किये जा रहे इन प्रयत्नों की बहुत प्रशंसा की गई । इस सन्दर्भ में मैंने अपने वक्तव्य में इस बात पर अवश्य जोर दिया कि हमारे पड़ौसी देशों को, जो सैनिक गठबन्धन से सम्बद्ध है, हथियार देना एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे कि हमारे क्षेत्र में सामान्यीकरण के सिलसिले में और तनाव को कम करने में विलम्ब हो सकता है ।

9. इस बैठक के सम्मुख बहुत ही आवश्यक मुद्दों में से एक मुद्दा था—वर्तमान आर्थिक संकट के कारण बुरी तरह प्रभावित देशों के सम्मुख उपन्न हुई विकट समस्याएं । पूर्ण अधिवेशन में बहुत से मंत्रियों ने अपने वक्तव्यों में इसका जिकर किया । अपने साथियों से बातचीत करते हुए भी मैंने इस पर बहुत जोर दिया । बैठक की समाप्ति के अवसर पर प्रधान मंत्री डा० कोसिजिन ने अपने भाषण में गुटनिरपेक्ष देशों से एकता बनाए रखने के लिये जोर दिया जिससे कि आर्थिक संकट का मुकाबला किया जा सके जिससे कि गुटनिरपेक्ष देशों का बहुमत प्रभावित हैं । इस प्रकार उचित ढंग से बैठक की समाप्ति की गई । मैंने भी उसी प्वाइंन्ट को अपने वक्तव्य के दौरान कुछ भिन्न भाषा में कहा था ।

10. मैंने अपने वक्तव्य में, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न असन्तुलनों के कारण वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बिगड़ने पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया था । संयुक्त राष्ट्र और सम्बद्ध फोरम द्वारा निदान कार्यवाही के लिए पहले से स्वीकृत निर्णयों पर तेजी से कार्यान्वियन के लिये अनुरोध करने के अलावा, विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा, मैंने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच आपसी सहयोग और एक दूसरे की मदद करने की तुरन्त आवश्यकता पर भी जोर दिया ।

11. हवाना में जारी की गई घोषणा का एक अर्थसम्बन्धी भाग भी है । जिसमें वर्तमान स्थिति का सारगर्भित विश्लेषण किया गया है । मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा

है कि गुटनिरपेक्ष देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे :—

1. अल्जीर्स के 'ओपेक' शिखर घोषणा में अतिरिक्त सहायता के जिन उपायों की पेशकश की गई है उन पर ध्यान दिया गया है और उनकी शीघ्र क्रियान्विति की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

2. किसी तीसरे देश में विकास के लिए किसी भिन्न देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और संसाधनों का प्रयोग करने के सिलसिले में त्रिपक्षीय सहयोग पर बल दिया गया है ।

3. जैसा कि डक्कर सम्मेलन के संकल्प में प्रस्तावित है, बफर स्टोक के वित्त प्रबन्ध से सम्बद्ध लीमा सम्मेलन के लिये यथासमय संस्तावित ठोस अनुवर्ती उपाय किये जायें ।

4. लमा सम्मेलन से सिफारिश की जाये कि वह 'गुट निरपेक्ष एकता कोष' का प्रस्ताव स्वीकार करके उसे अस्तित्व में लाए ।

12. मेरा यह अनुमान है कि सर्वाधिक प्रभावित गम्भीर रूप से देशों के समक्ष जो समस्या है, उसके प्रति 'ओपेक' देश असंवेदनशील नहीं हैं । उनमें से कई ने अपनी तरफ से समर्थन का वचन दिया है । अल्जीयर्स में 'ओपेक' की शिखर घोषणा भी उनकी सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है । लेकिन, अदायगी सन्तुलन की समस्या जो इतने सारे विकासशील देशों के सामने खड़ी है, यह इतनी जबरदस्त है कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और वह भी शीघ्र । इसलिये 'ओपेक' देश जो कुछ कर रहे हैं उसका तो हम सराहना करते ही हैं, साथ ही स्थिति की गम्भीरता पर और इस बात पर भी बल देते हैं कि कई देशों पर, जिनमें भारत भी शामिल है, जो भारी बोझ पड़ गया है, उससे उन्हें मुक्त करने के लिये प्राथमिकताओं के आधार पर ठोस उपाय बरतने की आवश्यकता है ।

13. संस्थापक सदस्य के नाते भारत पिछले सम्मेलनों की भांति इसमें भी गुट-निरपेक्षता के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सेवा करता रहा । एक मुख्य समिति की अध्यक्षता का भार भारत को सौंपा गया (विदेश सचिव को आर्थिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया) । हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने में हमें अन्य देशों से सूझबूझ और पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है ।

14. विशेष रूप से आर्थिक समिति में हमारे विचारों को अन्य देशों से सकारात्मक रुख मिला जैसा कि आर्थिक घोषणा में प्रतिलक्षित हुआ है, विशेषरूप से जिनका सम्बन्ध सर्वाधिक गम्भीर रूप में प्रभावित देशों से था ।

15. इस बैठक का आयोजन हवाना में होना क्यूबा के लिए एक विशेष महत्व की घटना थी जो कि न सिर्फ लातीनी अमरीका के साथ बल्कि समान्यतः सभी गुट निरपेक्ष और विकासशील

[श्री यशवन्त राव चव्हाण]

देशों के साथ अपने सम्पर्क को सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रहा है। इस सम्मेलन के लिए जो सुन्दर प्रबन्ध किया गया उससे हम बहुत प्रभावित हुए और हमारा जो स्वागत सत्कार किया गया उसके लिए बहुत आभारी है।

16. हवाना यात्रा से प्राप्त अवसर का लाभ उठा कर मैंने प्रधान मंत्री कास्त्रो और वहां के अन्य नेताओं से भेंट की और उनसे महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श से भारत-क्यूबा सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने में सहयोग मिला जो कि पहले से ही बहुत घनिष्ठ और सौहार्द-पूर्ण है। हम इस बात पर सहमत हुए कि आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में बृहत्तर सहयोग के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

17. मैंने गुयाना की भी यात्रा की जो कि करेबियाई देशों में एक और गुट निरपेक्ष देश है और जिसके साथ हमारे अत्यन्त घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, जो कि मेल-जोल और सहयोग सम्बन्धों के लम्बे इतिहास पर आधारित हैं। वहां विदेश मंत्री श्री रामफल और दूसरे नेताओं के साथ मेरी बातचीत बहुत बहुमूल्य रही। हमारा यह विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से भारत और गुयाना के बीच बहुत से क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा।

18. इस बात को ध्यान में रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रगति और विकास के मार्ग में 1961 से लेकर एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। शिखर सम्मेलनों के बीच बीच में विदेश मंत्रियों के स्तर पर गुटनिरपेक्ष देशों की बैठकें हुई हैं तथा दूसरे स्तरों पर भी समन्वयकारी बैठकें हुई हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की एकता और अखंडता के विकास में इन सभी बैठकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस विकासशील प्रक्रिया में हवाना की बैठक एक महत्वपूर्ण अवस्थान थी। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, इस वर्ष शरद् ऋतु में लीमा में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। फिर अगले वर्ष कोलम्बो में पांचवीं शिखर सम्मेलन होगा। हवाना में जो निर्णय लिए गये हैं वे गुटनिरपेक्ष देशों के इन आगामी सम्मेलनों के लिए निश्चय ही एक बहुमूल्य आधार प्रस्तुत करेंगे तथा सभी गुटनिरपेक्ष देशों की प्रभुसत्ता एवं स्वाधीनता और अधिक सुदृढ़ करने में इससे सहयोग मिलेगा तथा शांति, समानता, न्याय और समूची मानव जाति की प्रगति पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में भी।

हवाना की बैठक में स्वीकृत अन्तिम घोषणा की प्रतियां सदस्यों की सूचना के लिए सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

अनुदानों की मांगें, 1975–76

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 10 पर चर्चा करेगी।

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1	कृषि विभाग .	30,32,000	. .
2	कृषि . .	9,47,10,000	1,85,25,99,000
3	मीन उद्योग . . .	1,35,08,000	22,96,000
4	पशुपालन और डेरी विकास	5,13,03,000	53,27,000
5	वन .	1,38,95,000	22,99,000
6	खाद्य विभाग . . .	51,64,52,000	1,55,92,000
7	ग्रामीण विकास विभाग . .	9,72,29,000	1,00,05,000
8	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग .	1,73,000	. .
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	6,56,00,000	. .
10	सिंचाई विभाग .	2,11,86,000	74,27,000

कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1	श्री भोगेन्द्र झा	केन्द्र प्रशासित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवम् देश के अन्य राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी बनाई गई नई विधियों को पूर्णरूपेण कार्यान्वित करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
1	2	श्री भोगेन्द्र झा	देश भर में उधार देने सम्बन्धी अधिनियमों को शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और अवैध सूदखोरी को रोकने में असफलता ।	
1	4	,,	प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल सीमान्त कृषकों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को ही लेकर बनायी गई बहु प्रयोजनीय सहकारी समितियां बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।
2	2	34 ,,	बड़े पैमाने पर सहकारी खेती का विकास करने में विफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
3	44	,,	उत्तर बिहार के टेंकों और तालाबों में भारी पैमाने पर मीन उद्योग का विकास करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।
4	46	,,	देश के सभी जिलों में सहकारी डेरी समितियों का विकास करने की आवश्यकता ।	,,
6	50	,,	अमीर किसानों और जमीदारों से बिपणन योग्य समूचे फालतू अनाज को खरीदकर अनाज के थोक ब्यापार को अपने हाथों में लेने और अलाभप्रद जोतों को छोड़ने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	51	,,	देश भर में नियंत्रित मूल्यों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
,,	52	,,	किसानों से अनाज की खरीद के मूल्य और उपभोक्ताओं को उसके बिक्री मूल्य के बीच वर्ष	,,

1	2	3	4	5
			भर में अधिकतम 15 प्रतिशत का अन्तर रखने में असफलता ।	
6	53	श्री भोगेन्द्र झा	गैर-सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	54	,,	गन्ना, खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषकों को लाभप्रदमूल्य दिलाने में असफलता ।	,,
,,	59	,,	बिहार के मधुवनी जिले में सहकारी समिति द्वारा संचालित रय्यम चीनी फैक्टरी को गैर-सरकारी प्रबन्ध द्वारा बन्द रखे जाने के दौरान हुए नुक्सानों को पूरा करने के लिए चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।
10	67	,,	राजस्थान, गंडक और पश्चिमी कोसी नहर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में असफलता ।	
,,	70	,,	बाराह क्षेत्र के नजदीक कोठार में कोसी नदी पर बहुप्रयोजनीय उच्च बांध शीघ्र बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।
,,	71	,,	बिहार में पश्चिमी कोसी नहर की प्रस्तावित सीध को उत्तर की ओर कमला नदी के पार जय नगर के निकट इसके बन्ध के उत्तर की ओर ले जाने की आवश्यकता ।	,,
,,	72	,,	सीसा पानी के नजदीक कमला नदी पर और तलहटियों के नजदीक	,,

1	2	3	4	5
			बागमती पर बहुप्रयोजनीय बान्ध बनाने की आवश्यकता।	
10	73	श्री भोगेन्द्र झा	बिहार में मधुबनी और दरभंगा जिलों में घोंस-बागमती नदियों पर बाढ़-नियंत्रण-सह-सिंचाई तटबन्ध और स्लारस द्वार बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें।
„	74	„	विशेष रूप से उत्तरी बिहार, उत्तरी पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोष रहित बाढ़-नियंत्रण-सह-सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता।	„
1	5	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली चिड़ियाघर कर्मचारी संघ के उन सक्रिय कर्मचारियों के विरुद्ध जो जून 1974 से निलम्बित हैं, निलम्बन आदेश समाप्त करने की आवश्यकता।	„
„	6	„	दिल्ली चिड़ियाघर कर्मचारी संघ को जिसकी मान्यता मई, 1974 में समाप्त कर दी गई थी पुनः मान्यता देने की आवश्यकता।	„
„	7	„	दिल्ली चिड़िया घर के उन दैनिक मजदूरों को, जिनकी सेवायें जून, 1974 में समाप्त कर दी गयीं थीं, पुनः नौकरी पर लगाये जाने की असफलता।	„
„	8	„	दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करके दिल्ली चिड़ियाघर ज्ञापन संख्या 2–76/65–डीजेडपी दिनांक 27–5–74 में निहित आदेशों का पालन करने में असफलता।	„

1	2	3	4	5
1	9	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली चिड़ियाघर के उन कर्मचारियों की जिनकी सेवाओं में मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण व्यवधान डाला गया था, व्यवधान समाप्त करने की आवश्यकता जैसाकि रेल कर्मचारियों के मामले में किया गया था ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें
,,	10	,,	कृषि मंत्रालय में काम करने वाले और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से सम्बद्ध कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता ।	,,
,,	11	,,	सरकार के आदेशों के अनुसार तृतीय, चतुर्थ और द्वितीय श्रेणी के 80 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी बनाने में असफलता ।	,,
,,	12	,,	नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियां देने में असफलता ।	,,
,,	13	,,	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कृषि मंत्रालय के टेलीफोन आपरेटरों को विशेष वेतन देने में असफलता ।	,,
,,	14	,,	खाद्य विभाग, कृषि विभाग और ग्राम विकास विभाग में बढ़े हुए कार्य के अनुरूप उच्च श्रेणी लिपिकों तथा सहायकों के पर्याप्त संख्या में पद बढ़ाने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	15	श्री रामावतार शास्त्री	कृषि भवन के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में जल शीतक उपलब्ध कराने में विफलता ।	राशि म से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	16	,,	दिल्ली चिड़ियाघर के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जो कि नैमित्तिक कर्मकारों को उनकी बारी के बिना नियमित करने के लिए उन के रुपये ऐंठते हैं, कार्यवाही करने में विफलता ।	,,
,,	17	,,	दिल्ली चिड़ियाघर में मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेशों के अनुसार संयुक्त सलाहकार तंत्र के अधीन कार्यालय परिषद् गठित करने में विफलता ।	,,
,,	18	,,	दिल्ली चिड़ियाघर के नैमित्तिक कर्मकारों को स्थायी।/नियमित बनाने के लिए उनकी वरिष्ठता सूची तुरन्त तैयार करने की आवश्यकता जैसा कि दिल्ली चिड़ियाघर कार्मिक संघ द्वारा मांग की गई है ।	,,
,,	19	,,	कार्मिक विभाग के आदेशों के अनुरूप दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों के लिए जलपान गृह की व्यवस्था करने में विफलता ।	,,
,,	20	,,	कर्मचारियों तथा सामान्य जनता के लिए दिल्ली चिड़ियाघर में पर्याप्त मात्रा में जल शीतक उपलब्ध करने में असफलता ।	,,
,,	21	,,	कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए दिल्ली चिड़ियाघर	,,

1	2	3	4	5
1	21	श्री रामावतार शास्त्री	कार्मिक संघ तथा दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक के बीच नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करने में विफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	22	,,	दिल्ली चिड़ियाघर के नैमित्तिक कर्मकारों की जिन्होंने दिल्ली चिड़ियाघर में दैनिक मजूरी के आधार पर दो से पंद्रह वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली है, सेवायें नियमित करने की आवश्यकता।	,,
,,	23	,,	दिल्ली चिड़ियाघर के नैमित्तिक मै कर्मकारों को, नियमित पदों पर जब भी उपलब्ध हों, केवल वरिष्ठता के आधार पर न कि इच्छानुसार पक्षपात पूर्ण ढंग से चयन करके जैसा कि इस समय किया जा रहा है, नियमित करने की आवश्यकता।	,,
,,	24	,,	वर्तमान कर्मचारियों की तुलना कार्य अधिक होने पर भी कृषि विभाग में सहायकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों के अतिरिक्त पद बनाने में विफलता।	,,
,,	25	,,	कृषि विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक वर्ग में पदोन्नति-रोध दूर करने के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप स्लेक्शन ग्रेड बनाने तथा इस मामले को कार्मिक विभाग के साथ उठाने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
,,	26	श्री रामावतार शास्त्री	कृषि विभाग में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी लिपिकों से कम से कम 25 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रू० घटा दिये जायें
,,	27	,,	कृषि विभाग में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी लिपिक वर्ग में पदोन्नति-रोध दूर करने के लिए निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों में परिवर्तित करने की आवश्यकता ।	,,
,,	28	,,	कृषि विभाग में डैस्क-आफीसर स्कीम का कार्यान्वियन रोकने की आवश्यकता ।	,,
,,	29	,,	कृषि विभाग के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए उनका मामला कार्मिक विभाग के साथ उठाने में विफलता ।	,,
,,	77	,,	बुनियादी भूमि सुधार लागू करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	78	,,	ज़मीदारों एवं बड़े भूपत्तियों से भूमि हद बंदी से अधिक भूमि लेकर खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों के बीच बांटने में असफलता ।	,,
,,	79	,,	भूमि हदबंदी कानूनों की क्रियान्विति करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	80	श्री रामावतार शास्त्री:	'जमीन जोतने वालों की' नारे को क्रियान्वित करने में असफलता ।	राशि घटाकर। रुपया कर दी जाएं।
,,	81	,,	भूमि हदबंदी की सीमा को कम करने और देश के 40 प्रतिशत खेत मजदूरों के बीच जमीन का बटवारा करने की आवश्यकता ।	,,
6	82	,,	चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
,,	83	,,	लेवी और गैर लेवी चीनी की बिक्री की प्रथा को समाप्त कर चीनी केवल राशन की दुकानों से ही बेचने की आवश्यकता ।	,,
,,	84	,,	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न संगठनों एवं आम जनता का सहयोग लेने में विफलता ।	,,
,,	85	,,	राशन की दुकानों से खाद्यान्न के अतिरिक्त दाल, करुआ तेल, और डालडा, जैसी आवश्यक वस्तुएं मुहैय्या करने में विफलता ।	,,
,,	86	,,	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठोस एवं नियमित बनाने के लिए गल्ले एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का राजकीय ब्यापार चालू करने की आवश्यकता ।	,,
,,	87	,,	अनाज के मूल्यों में कमी करने में असफलता ।	,,

848 L.S.—13.

1	2	3	4	5
1	88	श्री रामावतार शास्त्री :	देश के विभिन्न भागों में नदियों के भीषण कटाव को रोकने में असफलता ।	राशी घटाकर । रुपया कर दा जाएं ।
2	89	,,	निजी दुकानदारों द्वारा खाद बिक्री की प्रथा को समाप्त करके सहकारी समितियों द्वारा खाद बेचने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	की राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।
,,	90	,,	खाद के बंटवारे के लिए देश के सभी राज्यों में कार्ड प्रणाली चालू करने की आवश्यकता ।	,,
,,	91	,,	कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जमीन का समुचित बटवारा करने में असफलता ।	,,
,,	92	,,	कृषि की पैदावार में वृद्धि करने के लिए सिचाई सुविधाओं खाद और बीज की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	93	,,	कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को समय पर पानी और बीज देने में असफलता ।	,,
,,	94	,,	खाद के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता ।	,,
,,	95	,,	खाद की बिक्री में होने वाली चोर बाजारी को रोकने में असफलता ।	,,
	96	,,	खाद की चोर बाजारी में सरकारी अधिकारियों की मिली भगत ।	,,

1	2	3	4	5
3	97	श्री रामावतार शास्त्री	राज्यों में मछली पालन के सम्यक विकास में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
,,	98	,,	किसानों को मछली पालन के कार्य में विशेष शिक्षा और आर्थिक मदद देने की आवश्यकता।	,,
6	99	,,	गेहूं की कीमत 125 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	100	,,	भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का अन्त करने में असफलता।	,,
,,	101	,,	दिल्ली में राशन की दुकानों से पर्याप्त मात्रा में राशन देने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
,,	102	,,	दिल्ली में राशन की दुकानों में खाद्यान्नों और चीनी की चोरी और कालाबाजारी को रोकने में असफलता।	
,,	103	,,	दिल्ली में राशन की दुकानों में बिक्री की देखभाल करने के लिए सर्वदलीय समितियों के निर्माण की आवश्यकता।	,,
,,	104	,,	दिल्ली में राशन के दुकानदारों को दिये जाने वाले कमीशन में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
,,	105	,,	सभी राज्यों में राशन के दुकानदारों को दिये जाने वाले कमी-	,,

1	2	3	4	5
			शनों में एकरूपता लाने में असफलता ।	
6	106	श्री रामावतार शास्त्री :	खाद्यान्नों पर लेवी की वसूली में होने वाली धांधली को रोकने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
,,	107	,,	गरीबों से गैर-कानूनी तौर से खाद्यान्नों पर लेवी वसूल करना तथा धनी किसानों को इससे मुक्त करना ।	,,
,,	108	,,	वनस्पति घी उद्योग का राष्ट्रीय-करण करने में असफलता ।	,,
,,	109	,,	देश के विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों पर किसानों के बकाया के करोड़ों रुपये का भुगतान कराने में असफलता ।	,,
,,	110	,,	गन्ने की कीमत साढ़े सत्रह रुपये प्रति क्विटल तय करने में असफलता ।	,,
,,	111	,,	साउथ बिहार शूगर मिल्स बिहटा पर किसानों के 58 लाख रुपये के बकाया का भुगतान कराने में असफलता ।	,,
7	112	,,	देहातों के गरीबों को कर्ज मुहैय्या करने के लिए बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के निर्माण तथा उन्हें धनी लोगों के चंगुलों में जाने से बचाने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	113	,,	किसानों को ऋण देने वाली सह-कारी समितियों से आसान किस्तों पर ऋण दिलवाने की व्यवस्था करवाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।

1	2	3	4	5
10	114	श्री रामावतार शास्त्री :	देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए कारगर बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को कार्यान्वित करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
,,	115	,,	देश की बड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब ।	,,
,,	116	,,	बिहार की कोसी, गंडक, फतुहा मोकामेह, बढ़िया ताल, पुन-पुन नदी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
1	190	,,	देहातों में लघु सिंचाई योजनाओं के विकास पर सम्यक ध्यान देने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।
,,	191	,,	सिंचाई के लिए ग्रामों में राजकीय नलकूप बड़े पैमाने पर गाडने की आवश्यकता ।	,,
4	192	,,	अच्छी नस्लों के बैल गाय आदि पैदा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	193	,,	किसानों को बैल, गाय, भैंस आदि खरीदने के लिए आसान किस्तों पर ऋण दिलवाने की आवश्यकता ।	,,
,,	194	,,	सम्पूर्ण देश में डेरी के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ताकि दूध की कमी को दूर किया जा सके ।	,,
	195	,,	दूध के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
4	196	श्री रामावतार शास्त्री :	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई में वृद्धि करने की आवश्यकता ताकि सभी आवेदकों को दूध मिल सके ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	197	,,	सरकारी दुग्ध योजनाओं द्वारा अच्छा दूध सप्लाई करने में विफलता ।	,,
5	198	,,	जंगलों से आदिवासियों द्वारा जलाने की लकड़ी लाने के परम्परागत अधिकारों को कायम रखने की आवश्यकता ।	,,
,,	199	,,	आदिवासियों की जमीन को सूदखोरी करने वालों के अधीन जाने से रोकने में असफलता ।	,,
,,	200	,,	जंगलों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
,,	201	,,	जंगल अधिकारियों द्वारा आदिवासियों एवं अन्य गरीब जनता पर किये जाने वाले जुल्मों को रोकने में असफलता ।	,,
	202	,,	बिहार की सोन नदी से निकलने वाली नहरों के विकास एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान देने में विफलता ।	,,
,,	203	,,	वाणसागर योजना सम्बन्धी झगड़े करने में बिहार के साथ अन्याय ।	,,
,,	204	,,	पटना जिले के मनेर, दानापुर, मोकामा, बख्तियारपुर आदि	,,

1	2	3	4	5
10		श्री रामवतार शास्त्री :	आंचलों में पड़ने वाले ग्रामों को गंगा नदी के कटाव से रक्षा करने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	205		मनेर, (पटना) के दियारा क्षेत्र कटाव पीड़ित हजारों किसानों को बसाने में विफलता ।	,,
,,	206	,,	सिंचाई को सुलभ बनाने के लिए गंगा नदी के पानी को प्रयोग करने में विफलता ।	,,
,,	239	,,	मानेर थाना में भू-कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु विशेष सहायता देने के बारे में लोक सभा की याचिका समिति द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 200रुपये घटा दिये जायें
2	30	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	खांडसारी पर लेवी लगाने में भारी अनौचित्य जिसके परिणाम-स्वरूप अधिकांश खांडसारी एकक बन्द हो गये हैं तथा जो देश के सब से बड़े कुटीर उद्योग को जो कि पहले ही हाल में लगाये गये विभिन्न करों के नीचे दबा जा रहा है पूर्णतः समाप्त कर देगी।	राशि को घटा कर 1 रु० कर दिया जाये
1	225	श्री एम0 कतामुतु	केन्द्र शासित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि सीमाबन्दी कानूनों को लागू करने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
,,	226	,,	भूमि सीमाबन्दी विधियों को क्रियान्विति सुनिश्चित करने में विफलता ।	,,

1	2	3	4	5
2	227	श्री एम० कतामुतु :	भूमिगत जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
,,	228	,,	मुजाइरों तथा बटाइदारों की बड़े पैमाने पर बेदखली को रोकने में विफलता ।	,,
6	229	,,	खाद्यान्न के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने मैं विफलता ।	,,
,,	230	,,	चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।	,,
,,	231	,,	तमिलनाडु के सूखा ग्रस्त क्षेत्र के लिए पर्याप्त तथा अपेक्षित मात्रा में चावल आवंटित करने में विफलता ।	,,
10	232	,,	विश्व बैंक के समझौते की प्रतिकूल-शर्तें जिनका वर्तमान कूओं को गहरा करने तथा नये कूएं खोदने पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।	राशि को घटा कर 1 रु० कर दिया जाये ।
,,	233	,,	लम्बी अवधि से चले आ रहे अन्तर्राज्यीय जल विवादों को हल करने अप्रत्याशित विलम्ब जिससे समस्त कृषि उत्पादन तथा पि ने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करने पर भारी कुप्रभाव पड़ रहा है ।	
,,	234	,,	तमिल नाडु तथा कर्नाटक सरकारों के बीच काबेरी जल विवाद को निपटाने में अप्रत्याशित विलम्ब के कारण तमिलनाडु के किसानों तथा कृषि श्रमिकों में भारी असन्तोष ।	राशि में से 200 रुपये घटा दिये ज.यं

1	2	4	3	5
10	235	,,	परामबिकुलम अलियार परियोजना से पलादम तिरुपुर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की सप्लाई करने में विलम्ब।	राशी में से 200 रु० घटा दिए जाएं
,,	236	,,	कावेरी सिंचाई योजना का आधुनिकीकरण करने में विलम्ब।	,,
,,	237	,,	कोयम्बटूर जिले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिरुवानी योजना का विस्तार करने में विलम्ब।	,,
,,	238		पदियार–पुनापुरा सिंचाई योजना तैयार करने तथा उसे मंजूर करने में विलम्ब।	,,

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): During the last three years our agricultural production has gone down because of in adequate rains and certain other difficulties. Our irrigation was adversely affected and it resulted in less production.

So far as rice production is concerned we are near the target this year. But the target fixed for wheat procurement is difficult to be achieved, although a very bright picture was painted. In spite of that a provision was made for the import of foodgrains to meet the shortfall in production. The agricultural prices commission did not keep this factor in view while fixing the price of wheat. The commission also did not take into account the rise in prices of fertilisers and electricity rates etc. The procurement price of wheat fixed at Rs. 105 is not remunerative.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

This price should be increased and the farmers must be given increased price.

The Government has formed single zones for purposes of wheat. This hits hard the interests of the cultivators as in surplus states they could not sell theire produce at a higher price because they cannot send their produce outside the zone. The government can reduce handling charges by F.C.I. and make other economies and pay a higher price to fomers for their produce.

The Government has incurred a good deal of expenditure on minor irrigation. Last year a sum of Rs. 100 crores was given to irrigate additional areas. But it has to be seen how far farmers are benefited by these irrigation schemes. The work of consolidation of holdings should be completed as early as possible so that it might contribute in the increase of production.

The eastern countries have 200-300 co-operatives of societies which manage 200 to 400 acres of farm land. In our country there are nowhere co-operative farming. The seed farms of the Government did not produce effective and high yielding varieties. The country has an installed

[Shri Darbara Singh]
capacity for production of 2·5 millions tonnes of fertilizers but actually we are able to produce only 1·2 million tonnes of fertilizers. This shows that there is something basically wrong in the entire machinery of production.

So far as production of power is concerned it has gone down in recent years, because we were not able to resolve the river water disputes. Every State Government treats the rivers as their own property and want price for it. Consequently the expenditure on proposed schemes would be much more. These river water disputes should be resolved at the national level at the earliest.

Directives have been issued to the State Governments for imposing land ceilings. Some definite date should be fixed by which these land reforms may be actually enforced in different states and a land ceiling is also put into effect.

Schemes should be formulated to start small scale industries in the rural areas.

Today huge expenditure is being incurred to provide facilities and luxuries to a very small section of affluent people. This expenditure should be diverted to schemes of increasing agricultural production and to the welfare of rural populations. The rural people should be provided with more water, power and fertilizers.

The procurement price of wheat is Rs. 105 whereas it is being sold at Rs. 150—160 in deficit areas. There is something wrong in the distribution system. Your price commission for derogatory interests. These people have no knowledge as to the cost of production of cereals and they have fixed its prices. They visit 200 acre farms and fix the cost on that basis and have not accounted for small farmers holding 2 acre farms. The procurement price of wheat should be raised from Rs. 105 to Rs. 125 per quintal. The cultivator must be given a remunerative price for his produce. Steps should also be taken to bring about improvements in the public distribution system should be removed. The Agricultural Prices Commission are not serving the interest of least cultivators and they fixed the prices of agricultural commodities on the basis of reports of agricultural universities. Small cultivators are unable to get loans on credit from banks on other financial institutions, because their policy is to help only big farmers.

It is being appreciated that Punjab produces surplus foodgrains. Can a State which provides for foodgrains be ever become progressive ? Which Industry you have given to that State ? The demand of Punjab State for their Dam has not been fulfilled so far. They are no being provided with adequate facilities to further increase their production.

If the forestry of Rajasthan is improved and water is made available there, it can feed the entire country. Due attention should be given to minor irrigation projects. The demand for thermal plants should be speeded up.

The Government has engaged 48000 persons for the protection of stores of F.C.I. How much money is paid as demurrage charges for imported wheat ? The cereal that is being sent to one state from another in the name of seed is being sold for human consumption.

The wheat being spoiled in storages may be saved. The cultivators get more return from barley than from wheat.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व): देश की खाद्य सम्बन्धी गंभीर स्थिति में मंत्रालय द्वारा इसे सुखद वताना ठीक नहीं है । मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 1974 की अंतिम तिमाही के बाद स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और मूल्यों में गिरावट आई है । परन्तु मैं समझता हूं कि मूल्यों में भिन्न स्थानों में बहुत अन्तर है । वैसे सरकार 50 लाख टन अनाज का आयात कर रही है । ऐसी स्थिति में सुधार की बात कैसे उचित है ।

भूमि सुधारों की बात बहुत की जाती है । परन्तु वास्तविक वस्तुस्थिति यह है कि इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है । सरकार ऊर्जा सम्बन्धी समस्या का समाधान भी

नहीं कर पायी है । हरित क्रान्ति की बात भी भ्रांति सिद्ध हो रही है । खेतीहर मजदूरों की हालत भी खराब होती जा रही है । आर्थिक सर्वेक्षण में दिए अनुमान और कृषि मंत्रालय के अनुमानों में परस्पर विरोध है । मंत्रालय कहता है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु हमें फिर भी 50 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ा । मैं समझता हूं कि सरकार बड़े-बड़े व्यापारियों और जमींदारों को लाभ पहुंचाना चाहती है ।

1973 में सरकार ने खाद्यान्नों के व्यापार की नीति अपनायी थी । हमने उसका स्वागत किया था । परन्तु अब उस नीति को त्याग दिया गया है । अब खाद्यान्नों की वसूली कम हो रही है । इस प्रकार सरकार की नीति दोष पूर्ण कही जा सकती है । फिर इस वर्ष राज्यों को वसूली सम्बन्धी नीति अपनाने पर छूट दे दी गई है । राज्यों की नीति के फलस्वरूप बड़े-बड़े जमींदारों को लाभ हो रहा है और छोटे किसानों को तंग किया जा रहा है । मेरे क्षेत्र उड़ीसा में जैसे 30 एकड़ भूमि तक भूमि रखने वाले जमींदारों को लेवी से छूट दे दी गई है ।

हमारे दल ने मांग की है कि फालतू स्टाक को कानूनी तौर पर अपने कब्जे में कर लिया जाये । यदि हमारे सुझाव को मान लिया जाये तो एक करोड़ टन अनाज मिल सकता है । इस से हमारे देश की खाद्य स्थिति में सुधार हो जायेगा । परन्तु मुझे मालूम है कि बड़े-बड़े लोगों के हित में यह इस नीति पर अमल नहीं करेंगे ।

गत आठ वर्षों में उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया गया है । परन्तु सिंचाई की सुविधाओं, अच्छे बीजों आदि के अभाव में विशष सफलता नहीं मिली है । उर्वरकों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है । ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ाना बहुत कठिन है ।

हमें वास्तविक भू-सुधार करने होंगे, किसानों की हालत बेहतर करनी होगी, आधुनिक तकनीकी तरीके अपनाने होंगे, केवल तब उत्पादन में वृद्धि होगी ।

1971-72 में भूमि सुधार करने का वचन दिया गया था । अब मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है । अर्थात् यह काम पूरा हो चुका है । परन्तु वास्तविकता क्या है ? 30 मार्च, 1975 को यू० एन० आई० की एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि सुधारों के कार्य को बहुत धक्का लगा है । देश में 2.16 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है परन्तु इसमें से केवल 62,000 एकड़ भूमि राज्यों ने ली है और केवल 20,000 एकड़ वास्तव में बांटी गई है ।

इस से स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं । जमीन अभी भी जमींदारों के पास है परन्तु इस रिपोर्ट में सर्वथा विपरीत बात कही गई है । यह तो देश को गुमराह करने की बात है ।

किसानों को उनके उत्पाद के लिये अच्छे मूल्य नहीं दिये जाते । कपास के मूल्य में 40 प्रतिशत की कमी हो गई है । सरकार रूई का आयात कर रही है परन्तु देश में किसानों

[श्री दशरथ देव]

को कपास के लिये अच्छे मूल्य नहीं दिये जा रहे । पटसन के मामले में भी ऐसी ही बात है । चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है परन्तु गन्ने के मूल्य नहीं बढ़ाये गये हैं। तम्बाकू के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है । छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है ।

सरकार ने अनेक निगम स्थापित किये हैं परन्तु इनका कार्य बहुत खराब रहा है । इनसे उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हो रहा है । कपास निगम का काम हमारे समक्ष है । हमारे देश में 900 करोड़ रुपये का कपास उत्पादन होता है परन्तु निगम को 10 करोड़ रूपये के ऋण की सुविधा प्राप्त है । ऐसी स्थिति में निगम कैसे प्रभावशाली कार्य कर सकता है ?

जूट उद्योग का कर्मचारियों के हित में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये । जूट उत्पादकों को भी इस से लाभ होगा ।

जनजातियों के लोगों के लिये विशेष विधान बनाया जाना चाहिये । इन अभागे लोगों का अभी तक शोषण हो रहा है । इस सम्बन्ध में राजनीतिक निर्णय करके इन लोगों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये । देश के प्रत्येक समुदाय को अपने विकास के हित में कुछ स्वायतता दी जानी चाहिये । केन्द्रीय सरकार को यह नीति अपनानी चाहिये ।

यहां मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जो 1974 में मेरे राज्य में हुआ। 1941 से चले आ रहे आदिवासी क्षेत्रों को सरकार की सहमति से समाप्त कर दिया गया है । परिणाम-स्वरूप वहां से अब तक 18000 आदिवासी परिवारों को हटाया जा चुका है । अतः आदि-वासियों को उनकी भूमि से विस्थापित किये जाने से उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिये। आदिवासियों की भूमि गैर-आदिवासियों को हस्तान्तरित करने पर प्रतिबन्ध लगाने से आदिवासियों को उचित संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक कुछ क्षेत्र विशेषतया आदिवासियों के लिये सुरक्षित न रखे जायें ।

झुमियां (चलती फिरती) खेती के बारे में सरकार ने वन्यकरण और मृदा संरक्षण के नाम पर झुमिया खेती पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । इसके कारण झूमी आदिवासी बहुत काफ़ी संख्या में बरोजगार हो गये हैं । इन्हें झूमिया खेती से रोके जाने के बाद इन्हें आजीविका के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

त्रिपुरा के समूचे आदिवासी क्षेत्र में जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 से अभीधिक है। गम्भीर खाद्य संकट फैला हुआ है । समूचे भारत के लगभग समस्त आदिवासियों की एक सी ही स्थिति है । सरकार को यह मामला त्रिपुरा सरकार के साथ उठाना चाहिये और इन अकालग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त खाद्य सामग्री पहुंचानी चाहिये। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में जहां गम्भीर खाद्य संकट विद्यमान है । सभी प्रकार के राहत कार्य किये जाने चाहिये।

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) : Mr. Deputy Speaker, it is Sad that land ceiling could not be efonrced so ford. A efinite deadline should be fixed by which ceiling laws should be imples mented in all the States and surplus land be distributed among landless people. The Harijan-

and the poor sections of the community.

Consolidation of holding is another necessity for bringing about an increase in the agricultural production. A definite date should be fixed to start consolidation work on war footing so as to complete it within a maximum period of one or two years. Some way must be devised to complete the job as early as possible, even by putting additional staff on the job.

Then, soil conservation is another factor which must be given due attention. Steps should be taken to expedite the work of soil conservation and efforts should be made to complete the work within a year or two.

A scheme for levelling of land has been drawn up but its progress is very slow. There are large tracts of land in the country where land can be made fertile by levelling it with the help of tractors. Therefore, the scheme of levelling should be enforced expeditiously.

On account of river water disputes between the different States, water is not being utilised judiciously and it was going waste. It is therefore, essential that river water is brought under the exclusive control of the Centre. A necessary legislation should be brought forward in this very session of Lok Sabha to bring entire river water in the country under the jurisdiction of the Central Government. It would automatically resolve all the water disputes which has proved an obstruction to agricultural production. An agreement has been arrived at between the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in regard to water disputes in Bundelkhand Region and as a result, some schemes have been drawn up but it is unfortunate that due to non-formation of a Control Board, the work on these schemes has been suspended.

The Bundelkhand Irrigation Board should be set up soon, preferably during this session itself so that that area may also develop and food production may be increased there.

Seeds are very necessary for agriculture. There is no doubt that the Government have opened several seeds farms which have been of considerable help in bringing about the green revolution. In this connection it is necessary that the seeds meant for a particular area are produced in that very area because land and climatic conditions differ from area to area.

As regards fertilizers, there is great need to step up production. This must be taken on war footing because farmers are not able to get sufficient quantity. Insecticides should also be made available to the farmers and training should be given about their use.

After success in green revolution it is now time to pay attention to white revolution. To increase milk production, good quality grass is needed. Some research centres have been set up in this regard. In this research centre at Jhansi they have developed a method where by production of grass can be considerably stepped up. But that method has not reached the farmers so far. Government should see that the farmers get the benefit of the work done in such centres.

The levy price of wheat has been fixed at Rs. 105 per quintal. Since it is not remunerative it will not encourage the farmers to grow more. Therefore it is necessary that either this price is increased or the bonus scheme which is going to be introduced should be such whereby the farmers can get a price of Rs. 125 per quintal.

As regards the dry farming scheme, it has greatly benefited the drought-affected areas. Therefore its operation area should be increased, specially of the scheme in Lalitpur subdivision of Jhansi, District of Uttar Pradesh.

A scheme has been introduced for the drought-affected areas. While the districts of Jalaun, Hamirpur and Banda have been included in the scheme, the adjoining district of Jhansi has been left out. This is not proper. That district should also be included in the scheme.

*श्री एम० कतामुतु (नागापट्टिनम) : खेद है कि मीन उद्योग, पशुपालन और डेरी विकास, वन, ग्राम्य विकास और कृषि अनुसंधान कार्यक्रमों के मांगों के अन्तर्गत करोड़ों

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री एम० कत.मत्तु]

रुपये की राशि लौटा दी गई है । सरकार ने इस के कारण भी नहीं बताये हैं । परिव्यय में इस कमी का मुख्य कारण बनाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रम में त्रुटियां ही नहीं हैं अपितु इन योजनाओं तथा कायक्रमों को क्रियान्वित करने वाले संगठनात्मक ढांचे में त्रुटि होना है ।

खेद है कि स्वतंत्रता के 28 वर्ष बाद भी हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र का दो तिहाई भाग वर्षा पर निर्भर है , क्योंकि सरकार ने सिंचाई पररियोजनाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है ।

100 से अधिक अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अनिर्णित पड़े हुए हैं, जिनके कारण सैकड़ों सिंचाई परियोजनायें खटाई में पड़ी हैं । उदाहरणार्थ , तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद हल नहीं हो पाया है ।

इस बारे में बहुत समय पहले से चर्चा चल रही है । यदि तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल नहीं मिला तो समूचा तमिलनाडु सूखा क्षेत्र बन जायेगा । कावेरी जल विवाद को हल करने के लिये शीघ्र प्रयास किय जाने चाहिये ।

वित्त मंत्री ने यह कह कर कि तमिलनाडु को सूखा राहत सहायता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त है, भिड़ के छत्ते को छेड़ दिया है । इसके प्रत्युत्तर के रूप में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि ने कहा है कि जब तक श्री सी० सुब्रह्मण्यम केन्द्रीय वित्त मंत्री रहेंगे, तमिलनाडु सूखाराहत के रूप में केन्द्र से एक पैसा भी स्वीकार नहीं करेगा । मुझे तो यह भय है कि इस अप्रत्याशित तनाव में तमिलनाडु के सूखा प्रभावित लोगों को ही हानि होगी और सूखे की स्थिति का आशातीत तरीके से मुकाबला नहीं होगा ।

विश्व बैंक और सरकार के बीच हुए समझौते में कुछ त्रुटियां होने से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कोई नया कुंआ नहीं खोदा जा सकेगा । इस से कृषि उत्पादन में काफी रुकावटें आयेंगी। अतः इस समझौते के उपबंधों के बारे में मतवैभिन्य को हल करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये ।

हमारे देश के एक भाग में सूखा पड़ता है और दूसरे भाग में बाढ़ का प्रकोप होता है । यदि आवर्ती दोहरी समस्याओं का कारगर ढंग से मुकाबला किया जाना है तो गंगा को कावेरी से मिलाने की योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये । तभी सूखा और बाढ़ों का प्रकोप सदा के लिये शान्त हो सकता है ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बढ़िया और अधिक उपज देने वाले अच्छी किस्म के बीज और कृषि अनुसंधान कार्य महती आवश्यकता है । लेकिन कृषि श्रमिकों, व खेतिहर मजदूर, किसानों बटाईदारों तथा छोटे किसानों, जो हमारी कृषि के मेरुदंड हैं, की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इससे कृषि उत्पादन में कमी हुई है । किसी भी कृषि विकास योजना का आधार खेतिहर मजदूर, किसान, बटाईदार और छोटे किसान ही हैं । यदि हमारे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना है तो उन्हीं लोगों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये । कृषि उपकरणों सम्बन्धी अधिक सुविधायें भी इन्हीं को दी जानी चाहिये ।

यद्यपि भूमि की अधिकतम सीमा ही निर्धारण सम्बन्धी क़ानून सभी राज्यों ने बनाए हैं लेकिन वे सभी कानून किताबों तक की सीमित हैं। जब तक खेतिहर मजदूरों, पट्टेदारों, बटाईदारों और छोटे किसानों को सरकार किसी योजना का आधार नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश में कृषि का भविष्य अंधकारमय ही रहेगा।

कृषकों को, चाहे धान गेहूं, चीनी, कपास या अन्य उत्पादन ही क्यों न करते हों, उनके उत्पादन का लाभप्रद मूल्य नहीं आ रहा है। पता नहीं सरकार वैज्ञानिक आधार पर कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने में क्यों असमर्थ है। उदाहरणार्थ, गेहूं के मूल्य की तुलना में धान का मूल्य बहुत कम है। अतः धान उत्पादकों का रुष्ट होना स्वाभाविक ही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई ठोस वसूली नीति नहीं अपनाई है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तो बनाए थे लेकिन वसूली नीति क्रियान्वित करते समय उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्नों के मूल्य में भारी अन्तर जो विद्यमान है वह सरकार की निकृष्ट वसूली नीति के कारण ही है। सरकार की मध्यवर्ती वितरण नीति भी मूल्यों में ऐसे उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है। इस मामले पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

कावेरी डेलटा आधुनिकीकरण योजना को जो केन्द्रीय सरकार के पास कई वर्षों से अनिर्णित पड़ी है, स्वीकृति दी जानी चाहिए और उसके क्रियान्वयन की दिशा में कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : सिंचाई विभाग को कृषि विभाग के साथ मिलना एक अच्छा कदम है। यह कदम तो पहले ही उठाया जाना चाहिए था। इन दोनों विभागों के संयुक्त रूप में कार्य करने से भविष्य में अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

कृषि विभाग के 1974–75 के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकारों और केन्द्रीय शासित प्रशासनों को फालतू भूमि का अनुमान लगाया है। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण संबंधी कानूनों को लागू करने के फलस्वरूप लगभग 16.2 लाख हैक्टेयर भूमि फालतू उपलब्ध होने का अनुमान है। लगभग सभी राज्यों में क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। लेकिन हमारा कानून प्रभावित पक्षों को आपत्ति उठाने, अपील करने तथा विभिन्न निर्णयों को बदलने की अपील करने का पर्याप्त अवसर देता है। इस लिए क्रियान्वयन की प्रक्रिया मन्द पड़ जाती है और आशातीत प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती है।

हमारा राज्य जहां खाद्यान्नों का उत्पादन करता है वहां अन्य भाग वाणिज्यिक फसल ही उगाते हैं। केरल सरकार वाणिज्यिक फसलों का समर्थन करती है और उन्हें ही प्रोत्साहन देती है क्योंकि वह अधिकाधिक धन चाहती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार भी वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन देती है। यद्यपि उन के पास और अधिक

[श्री के० सूर्यनारायण]

खाद्यान्न उगाने के लिए काफी जल तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार खाद्यान्नों की फसल उगाने वाले राज्यों को मूर्ख बनाया जा रहा है । सरकार को सभी राज्यों के लिए जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान हैं खाद्यान्नों का उत्पादन करने की योजना बनानी चाहिए।

धनाभाव के कारण लगभग सभी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई और कृषि, दोनों ही विभाग जिम्मेदार हैं। 1969–70 में देश में चावल का कुल उत्पादन 4 करोड़ 90 लाख टन तथा गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ 56 लाख टन हुआ। 1973–74 में उत्पादन में वृद्धि हुई फिर भी खाद्यान्न का मूल्य बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण समन्वय तथा संगठन का अभाव है। कर्मचारियों को अपने वेतन से मतलब रहता है। वे उपभोक्ताओं के बारे में कई बातें कहते हैं। क्या किसान लोग उपभोक्ता नहीं हैं? किसानों को उनके उत्पादन के लिए समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आपकी रुचि केवल मध्यम वर्ग, औद्योगिक कर्मकारों तथा मिल मालिकों में है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इतनी बड़ी ग्रामीण जनसंख्या की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनके पास साल में केवल छः महीने कार्य रहता है और शेष समय वे बेरोजगार रहते हैं। उनको कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये की लागत से चीनी का कारखाना स्थापित किया है किन्तु सरकार कहती है कि वहां चीनी का कारखाना स्थापित करने पर 7.7 करोड़ रुपये लगेंगे।

गत वर्ष आन्ध्र प्रदेश में 145 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ और इस वर्ष 185 लाख लाख टन होने की आशा है। प्रत्येक का कहना है कि हमें कीमतों को कम करना चाहिए। हमें खाद्यान्नों पर लगे नियंत्रण को समाप्त करना चाहिए।

सुपर बाजारों का लाभ केवल शहरी जनता को मिल रहा है। इनमें बहुत घाटा हो रहा है। ग्रामीण लोगों को इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। किसान अपना उत्पादन भारतीय खाद्य निगम को सौंप देता है। भूमिहीन श्रमिकों को भूमि नहीं दी गई है। भूमि सुधार की केवल बातें ही की जाती हैं। उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह भूमि श्रमिकों को भी वही सुविधाएं दे जो औद्योगिक श्रमिकों को उपलब्ध हैं। यदि इन लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया तो ये आन्दोलन आरम्भ कर देंगे ।

खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने की हमारी योजना केवल कागजों पर ही रह गई है। हमारे मित्र यहां समाजवाद की बातें करते हैं, किन्तु ये केवल नारे मात्र हैं। किसानों को भूमि देने के प्रस्ताव का स्वागत है किन्तु यदि इसके साथ-साथ उन्हें अन्य सुविधाएं न दी गईं तो फिर वे कृषि कार्य कैसे करेंगे। पहली बात तो यह है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए समुचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह कृषि श्रमिकों का पूरा ध्यान रखे। औद्योगिक श्रमिक कानून से सुरक्षित है किन्तु कृषि श्रमिक के लिए कोई कानून नहीं है।

जो लोग भूमि सुधार और समाजवाद की बातें करते हैं, वे कारों में घूमते हैं। क्या वे ऐसा अपनी आय से करते हैं? मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम तथा नीतियां तैयार की जायें जिससे निर्धनों का हित हो।

किसान सभी सरकारी विभागों को पसंद करते हैं किन्तु वे भारतीय खाद्य निगम को दोष देते हैं क्योंकि यह संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इस पर आरोप बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे अधिकारियों की निष्टा पर कोई संदेह नहीं है किन्तु योजना ही स्वयं दोषपूर्ण है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग में एक ही सर्वोच्च अधिकारी है। चाहे वह आई०सी०एस० अधिकारी हो अथवा अर्थशास्त्री, वह खाद्यान्नों की उत्पादन लागत के बारे में क्या जानता है? हर वस्तु के निर्माण के लिए योजना है किन्तु खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं है। यही कारण है कि गांवों में मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए सभी खाद्यान्नों के लेवी मूल्यों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब सभा में यही आम नारा लगाया जा रहा है।

बाढ़ों के कारण हमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि होती है। विश्व बैंक गोदावरी बांध के लिए सहायता देने के लिए तैयार है। यदि यह बांध पूरा हो जाये तो इससे 10 लाख एकड़ भूमि कृषि के काम आ जायेगी।

सरकार को राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थापित करने के मामले पर विस्तार से ध्यान देना चाहिए। भूमि सुधार कार्यक्रम गभीरता से लिया जाना चाहिए। हमने संविधान में संशोधन जमींदारी प्रथा, राजाओं का निजी थैलियों को समाप्त करने तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए किया है। अत:समुचित भूमि सुधारों को लागू करने के लिए सविधान में संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को दिए गए आश्वासन पूरे हो सकें।

70 प्रतिशत जनसख्या गांवों में रहती है। जब तक इन लोगों को भला नहीं होता तब तक कुछ भी उपलब्धि नहीं हो सकती।

चीनी कारखानों तथा सहकारी चीनी कारखानों के बारे में भी मैं शब्द कहना चाहूंगा। वे अप्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े चीनी कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उनकी स्थापना के लिए धन कहां से आ रहा है और होने वाला लाभ किस तरह वितरित किया जाता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। चीनी की मुक्त बिक्री से प्राप्त होने वाले धन का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak): There is no difference of opinion among the Members of both sides of this House about the fact that condition of agriculture in our country is far from satisfactory. The responsibility for it lies squarely on the Government and the administration. Their entire agricultural planning is defective. All their plans are confined to the papers and cannot be given a practical shape. It is because our agricultural policies are determined by people who have nothing to do with agriculture. Even the so-called experts that are there are mere the oriticians.

Our policy matters seems to be very much influenced by some fallacies. They think that the surplus population of the country can be fed and employed only in agriculture which is very wrong. Already 70 % people of the country are depending on agriculture and to put any more burden on land will be a great mistake.

They also think that the Farmer can lead a comfortable life with a small and uneconomic holding. In this regard they put forward the example of Japan where there are holding of 3 to 5 acres. But they forget that the conditions in that country are entirely different. There are the ancillary industries attached with agriculture which enable the farmers to lead a comfortable life. It is therefore, very necessary that the whole question of an economic holding is critically examined in the light of the conditions prevailing in this country.

[Shri Mukhtiar Singh Malik]

There is great need to increase agricultural production and our farmers can very well do it provided all the necessary inputs are made available to them at proper time and price. To encourage the farmers to grow more food it is also necessary that food zones are abolished and there is free movement of foodgrains throughout the country. Shri Kidwai has tried it and the results have been quite good.

Last time I had raised the matter of profiteering by certain firms of Maharashtra. They obtained wheat in the name of seed from Haryana at cheap rate and then sold it in their state at the rate of Rs. 400 per quintal. When the matter was raised the Minister had assured that it will be enquired into. But nothing has happened so far. The Minister should look in to it.

As regards smuggling of foodgrains from one part of the country to the other, it is due to disparity in prices and it goes on with the connivance of the police. Some measures should be taken to stop this evil.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): It is a good sign that the prices of some commodities have gone down but it should be seen that due to this fall in prices the farmers may not suffer. The farmers should get more than their cost for producing the foodgrains. If the price recommended by the Agricultural Prices Commission are not satifactory then the Government should set up some other organisation to fix the prices of agricultural produce.

There is mal-administration in the ICAR. This institute is more for propaganda purpose then for research work. The scientist are not being treated properly. Provincialism and regionalism prevailed and the research work is suffering. Some things have been highlighted in many journals in this country and outside. Something should be done to improve the conditions prevailing in this organisation.

Irrigation is the most important factor in agriculture; the other inputs are secondary. In Bihar the Gandak project is being constructed for 15 years. Now the Government have estimated that it will require Rs. 200 crores for its completion. I am of the opinion that if the land acquired for the project would have been given to the farmers they would have grown plenty of foodgrains. This project should have been completed quickly. The work on the project should be expedited so that it can be useful for the people of Bihar.

Shri Ramkanwar (Tonk): There are 26 districts in Rajasthan where famine condition are prevalent at all times, out of which 24 district have been declared famine stricken. But Kota and Jhalawar have not been included.

The Rajasthan canal project is in doldrums. Some concrete steps should be taken for it completion, so that the people of Rajasthan may be benefited and may be able to produce more foodgrains.

Due to the existing laws, the big farmers are not giving their land to landless labourers which creates unemployment among the rural people. The land from dudiwaries who have been sowing for four to five years have been taken and they are in trouble now. In order to save these people from unemployment the Government should have come forward with a Bill on land ceiling.

The levy should not be charged at equal rates from big and small farmers. There should be different rates for big and small farmers. The loans from Banks and other facilities are being provided to big farmers. The Government should see priority is given to small farmers in the regard. The laws of levy should not be imposed on farmers with holdings 10 acres and less.

The procurement price of wheat i.e. Rs. 105 per quintal is very low. The farmers purchased cloth, diesel and other commodities at very high prices. This procurement price should be raised o Rs. 125 per quintal. The price of sugarcane should also be increased.

There are many rivers and rivulets in Rajasthan. All these should be harnessed for useful purposes.

It is learnt that the Government has reached an agreement with the Government of Iran for the supply of drilling machines for exploring water. I am sorry to say that human being and cattle have to take water from the same source in Jodhpur, Jaiselmer and Barmer districts of Rajasthan. These drilling machines should have been first used in the country.

The rates of power are on the high side and should be reduced.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): It is good that the Ministries of Food and Irrigation which were functioning separately have now been amalgamated. There ought be co-ordination between these two organs of the Government.

It is a matter of satisfaction. that the inflationary conditions in the country are declining. The prices of foodstuffs have started coming down. But in states which are facing famine and drought, the prices are still very high. With the arrival of rabi crop the prices are likely to fall further.

An efficient and effective distribution system is absolutely necessary to ensure supply of essential articles to the poor at reasonable prices. For that the Government should have good stocks of all essential commodities. The Government accepted the policy of stocking rice, wheat, course and other foodgrains and they are following that policy for many years. This policy needs to be continued and strengthened so that the distribution system become more effective.

The Government has placed on the Table a statement indicating targetted quantity of foodgrains that are to be procured from each State. The Agricultural Commissions have intensively studied the problem of procurement of wheat and its pricing. They have made very useful suggestions. If these suggestions are studied and decisions taken thereon which would benefit the country.

The commission on Agriculture has recommended that the structure of the Agricultural prices commission should be changed. It should consist of an economist, an agricultural scientist, a representative of the farmers and one representative each of the farmers and consumers. The commission should go in the cost of production as also question of profit to the producer and then decide the prices. The prices should be announced beforehand and not at the time of procurement. A national budget of paddy and other foodgrains should be created. The movement of foodstuffs in the country should be free. This would ultimately benefit all the sections of the consumers, especially the weaker sections and also those people who in live in famine affected and flood affected areas.

The production of staple cotton have been very good this year. We used to import cotton worth a hundred crore of rupees and this import has now been stopped. So we save a lot of foreign exchange. But we failed to meet the situation as the grower is not getting reasonable price. The Agriculture Commission had recommended that the Government should take steps to stock a certain percentage of these commodities through the corporations etc. If 25 per cent to 30 per cent of these commodities could be collected then the Government would have sufficient buffer stock which would ensure supply of these commodities to the manufacturers at resonable prices all the year round and would ensure reasonble prices to the producers who would be protected from falling prices.

There is need for stepping up production in the country. For this we must provide more irrigation facilities. We must make more allocations for this purpose in our plans. There should be better utilisation of our river waters. There is need for rethinking for better utilisation of river waters.

Large tracts of land were lying unutilised. Steps should be taken to make them cultivable. Farmers service societies should be set up. These bodies should consist of representatives of the farmers, the Government and also the Banks. This would benefit a lot to the farmers.

Silk is produced by small growers. If proper attention is paid to the production of silk we would be able to save quite a good amount of foreign exchange.

Land reforms should be carried out in the country and the Land Ceiling Bill should be brought forward as early as possible.

Shri Ranabahadur Singh (**Sidhi**) : It appears from the report of Ministry of Agriculture that the programme of Agricultural Research has been done away with. In the year 1965-66 a new variety of wheat was discovered and as a result thereof it was considered that we have become self reliant in foodgrains. It is painful that further research work in this regard has stopped.

In the matter of Agricultural Research we are not going beyond the research work on Rice and Wheat. The research work in regard to other jobs may also be undertaken.

[Shri Ranabahadur Singh]

I was surprised to find from the report of the Agriculture Department that there is no mention of Van Sagar Project on which agreement was reached among the three States. Probably this matter is pending with the Designs Department. The people are anxiously waiting for this project. Should the people give up Lake ?

The price of wheat *i.e.* Rs. 105/- per quintal is very discouraging.

The members of the Agricultural Price Commission other than the Chairman are in an advisory capacity. If the members cannot ask questions what is the necessity of our being in the Commission. I, therefore, resign from the Commission.

On the procurement price of wheat *i.e.* Rs. 105/- the U.P. Government has fixed a bonus. Every representative of the State Government have expressed it's discontentment on this price of Rs. 105/-. I feel that our State Governments would fetch wheat only at Rs.125/- per quintal. Due to fixing lower prices we are not able to build our buffer stocks.

Both are contradictory. On one hand stock is less while on the other the responsibility is increasing. I think there may not be some vested interests in it. I feel that if it is really a job for the poor and weaker sections of the society, then they too should be represented in it. I received a suggestion from the villagers of my constituency that they can make provision for their foodgrain requirements for one or two years and if they are permitted to do so, they will not ask the Government for any fair price shop or similar assistance. I submitted this suggestion to the Government but no response has been received so far. In the end I submit that the Government should take into consideration all these points seriously and an opportunity should be given to villagers for participation in it.

डा० के० एल० राव (विजयवाड़ा) : मैं इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सिंचाई भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत घनी है परन्तु यहां वर्षा बहुत ही कम होती है।

भारत गत अनेक वर्षों से गेहूं का आयात करता चला आ रहा है और इस आयात में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जा रही हैं। हमें लगभग 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष गेहूं के आयात पर खर्च करना पड़ता है जिस का कारण यही है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप अन्न का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अन्न की उपज केवल अच्छी सिंचाई व्यवस्था द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। अन्न उत्पादन सिंचाई की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरणार्थ पंजाब को ही लीजिये। पंजाब में 50 लाख हेक्टेयर तथा मध्य प्रदेश में 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है परन्तु फिर भी पंजाब मध्य प्रदेश का पैदावार का तीन चौथाई अनाज पैदा करता है जिसका कारण केवल यही है कि पंजाब में 80 प्रतिशत भूमि की सिंचाई सुविधायें हैं जब कि मध्य प्रदेश में यह सुविधायें केवल 8 प्रतिशत ही हैं। अतः मेरा सुझाव यह है कि हमें सिंचाई सम्बन्धी एक उचित नीति तैयार करनी चाहिए।

हमारी सिंचाई नीति के पांच उद्देश्य होने चाहिये। हमारा प्रथम उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम आगामी 25 वर्षों में खती के अन्तर्गत आने वाली कम से कम 50 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस क्षेत्र में हमें सफलता की आशा नहीं करनी चाहिये।

हमारे देश में अनेक सूखाग्रस्त क्षेत्र भी हैं। गंगा के मैदान, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र, गया तथा साहाबाद जिला, बिहार का पालामाऊ तथा उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर व मध्य प्रदेश का रेवा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने का पानी सुविधापूर्वक उपलब्ध नहीं है। इन क्षेत्रों से सूखा आदि

को उसी स्थिति में दूर किया जा सकता है जब कि, तिन्नय्या परियोजना उत्तर कोयला परियोजना, डुगावती परियोजना तथा कनहर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाये। उदाहरणार्थ बीजापुर जिले की स्थिति उपर कृष्णा परियोजना को शीघ्र पूरा करके सुधारी जा सकती है। इसी प्रकार रायला सीमा तथा उत्तर पानर मैदान में भी कोई पानी नहीं है। इस क्षेत्र के लिए बड़ी नदियां से पानी लिया जा सकता है। तथा इस कार्य को हम जितनी जल्दी करें उतना ही अच्छा होगा।

आसाम एक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है हम देखते हैं कि वहां हर वर्ष फसलों की हानि होती है। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के लाखीपुर तथा अन्य जिले बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। उस क्षेत्र में वैज्ञानिकों का एक दल भेजा जाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करे कि वहां किस प्रकार की मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की जा सकती है। उस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल पैदा की जा सकती है। उस क्षेत्र में 10 फुट की गहराई के नीचे पानी उपलब्ध हो सकता है अतः वहां इस प्रकार की फसलें बीजा जानी चाहिये जो बाढ़ से प्रभावित न हों। अब आसाम के बाद यदि पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान दे तो वहां जल निकास की समस्या हमारे समक्ष आती है। मिदनापुर और 24 परगना जिलों की जमीनें बहुत उपजाऊ है वहां जल निकासी योजनाओं पर कुछ धन राशि खर्च करने के बाद, अच्छी सिंचाई सुविधायें जुटा कर, उपज में वृद्धि की जा सकती है।

सिंचाई के सम्बन्ध में हमारे देश में काफी विषमता विद्यमान है। उत्तर प्रदेश सब राज्यों से अधिक अन्न उपजाने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश का नम्बर दूसरा है। परन्तु यह खेद की बात है कि इन राज्यों में सिंचाई सुविधायें केवल 8 प्रतिशत भूमि के लिए ही उपलब्ध हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहियें। इसी प्रकार पीने के पानी के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि यह कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय की अपेक्षा सिंचाई मंत्रालय द्वारा ही किया जाना चाहिये।

मुझे मालूम है कि सिंचाई के सम्बन्ध में ठोस नीति को अपनाने में कुछ कठिनाईयां आयेंगी। यदि हम प्रयत्न करें तो उन सब को दूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाई आंकड़ों के अभाव की है। हमारा देश काफी बड़ा है, परन्तु खेद है कि देश की नदियां आदि के संबंध में हमारे पास व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज अनेक जलविवाद मध्यस्थता के लिए पड़े हुए हैं। उपयुक्त जानकारी तथा आंकड़ों के अभाव में भला न्यायाधीश भी क्या निर्णय दे सकते हैं? अतः मेरा निवेदन यह है कि जब हम इंजीनियरों तथा कर्मचारियों आदि पर इतनी धनराशि खर्च करते हैं तो फिर हमें 3, 4 या 5 करोड़ रूपया आंकड़े आदि एकत्रित करने पर भी खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिये। क्योंकि आंकड़े किसी भी कार्य तथा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

इस समस्या का समाधान करने में भूमिगत जलाशय भी काफी उपयुक्त साबित हो सकते हैं। गंगा बेसन में भूमिगत जलाशयों की काफी अच्छी सम्भावनायें हैं। देश में आबादी की अधिकता के कारण जल को भूमि तल पर इकट्ठा करना अधिक उपयुक्त नहीं है तो हम उसे भूमि के नीचे इकट्ठा कर फिर उसे बाहर खींच सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया विश्व के अनेक

[डा० के० एल० राव]

देशों में अपनाई जाती है। उदाहरणार्थ लन्दन में पानी की काफी सप्लाई इसी प्रकार की जाती है । अतः सरकार को भी यह प्रयोग शीघ्र आरम्भ कर देना चाहिये।

हमारे यहां अनुसंधान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सर्वेक्षण सम्बन्धी है। हम देश में बर्फ से ढकी हिमालय तथा अन्य ऊंची चोटियों का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः मौसम विशेषज्ञों और भूगर्भ वेत्ताओं को मिलकर इनका सर्वेक्षण करना चाहियेत ाकि इन का उचित लाभ उठाया जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने जल विवादों के प्रश्न को भी उठाया है। राष्ट्रीय जल नीति के अभाव में हम जल विवादों से बच नहीं सकते। हमारे देश में 14 ऐसी मुख्य नदियां हैं जिन में से देश का 85 प्रतिशत जल बहता हैं तथा यह सभी नदियां एक से अधिक राज्यों में से होकर बहती हैं। अतः हमें शीघ्र ही एक ऐसी राष्ट्रीय जल नीति बनानी चाहिये जिसके अन्तर्गत यह घोषणा की जानी चाहिये कि जल राष्ट्रीय सम्पदा है तथा सभी पर उसका अधिकार है । अधिकांश राज्य इस से सहमत हैं। कुछ संवैधानिक संशोधनों के साथ यह नीति बनाई जा सकती है तथा उस के लिए प्रधान मंत्री, कुछ मुख्य मंत्रियों तथा कछ विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं । अगर उस में कोई कानूनी अड़चन हो तो यह मामला उच्चत्तम न्यायालय को भी भेजा जा सकता है।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह वित्त सम्बन्धी है और वह काफी गंभीर भी है तथा सरकार, जनता तथा संसद् सभी को उस पर पूर्ण गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये। आज तक स्थिति यह रही है कि अपने पास कम धन या वित्तीय संसाधन होने पर भी हमने बड़ी-बड़ी परियोजनायें आरम्भ कर ली । इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी अनेक परियोजनाएं गत 15–20 वर्षों से चली आ रही है परन्तु वह पूरी नहीं हो पायी है जब कि दूसरी ओर स्थिति यह है कि उनकी लागत अब दुगनी, तिगनी हो गई हैं । अब स्थिति यह है कि सरकार को किसी न किसी प्रकार रूपया उधार लेकर चालू की गई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिये। योजना आयोग का यह कहना है कि सिंचाई परियोजनाओं पर रुपया खर्च करना अधिक लाभकारी नहीं है, ठीक नहीं है। पांचवीं योजना के दौरान हमारे समक्ष 75 चालू योजनायें हैं। इन के लिये हमारे पास 1200 करोड़ रुपया है। अतः इन सभी परियोजनाओं पर कुछ न कुछ धन राशि खर्च करने की अपेक्षा हमें कछ एक परियोजनाओं को चुनकर उन्हें शीघ्र पूरा करने का प्रयास करना चाहिये। उदाहरणार्थ गण्डक, कोसी, शारदा सहायक, रामगंगा आदि ऐसी परियोजनायें हैं जो लम्बे समय से रुकी पड़ी हैं इन परियोजनाओं से 40 लाख हेक्टर भूमि का सिंचाई की जा सकती है । यदि सरकार दी गई 100 करोड़ रुपये की धन राशि को बढ़ाकर 280 करोड़ कर दे, तो इसे शीघ्र पूरा किया जा सकता है । जिस के फलस्वरूप $2\frac{1}{2}$ लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने लग जायेगी। हमें अपने सिंचाई परियोजनाओं को द्रुत गति से चलाना चाहिये। केवल मात्र यह कहने से कि इन पर 3000 या 4000 रूपया खर्च किया जा रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो सकता । सिंचाई

के कार्य को शीघ्रता से करने के लिये हम रूस तथा चीन की तरह जन मानस का उपयोग भी कर सकते हैं ।

हमारे यहां छोटी, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें हैं । हम इन सभी को एक साथ मिलाकर भी उनका उचित उपयोग कर सकते हैं । हमारे सुनने में आया हैं कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को विभाजित किया जा रहा है । यह ठीक नहीं है क्योंकि हमारा डिजाइन संगठन काफी कार्य कुशलता से कार्य कर रहा है । यह हमारे देश की काफी अच्छी गठित संख्था है यदि हम ने इसे सिंचाई तथा बांधों में बांट दिया तो यह अच्छा नहीं होगा । यदि हम वास्तव में देश में सिंचाई कार्य को शीघ्रता से पूरा करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए अनेक ऐसे नये कार्यक्रम आरम्भ करने पड़गे जिन के लिए लोगों का तथा विशेषकर किसानों के सहयोग का लाभ उठाया जा सके ।

Prof. S. L. Saksena: (Maharajganj) : I support the demands for grants of Agriculture and Irrigation Ministry. My first submission in this connection is that the procurement price of wheat which has been fixed at Rs. 105 is very inadequate and it will be difficult for the Government to get any wheat at this rate. Inview of the increased price of fertilisers and other inputs the farmers will not be able to sell wheat for less than 150 per quintal. So the price should be fixed at Rs. 150.

Secondly as far as Khandsari Industry is concerned, its levy has been increased from 9 per cent to 49 per cent by the Finance Minister. This exceptional high excise duty is likely to mar the industry. The other thing in this connection is that compound duty has been replaced by standard duty. This is likely to lead to curruption the inspectors will take bribe and less production will be shown in records. That is why I want that the same compound duty should be retained.

In Uttar Pradesh there is an additional difficulty. The State Government has imposed 25 per cent levy and the price has been fixed at Rs. 135 which is less than the price of Khandsari consequently Khandsari factories have been closed down and crores of people rendered unemployed. So my submission is that this levy should not be imposed. The Central Government should do away with this discriminiation.

Regarding irrigation, I am to submit that no such facilities are available at Gorakhpur. We were expecting that water will be made available from Gandak Canal. But it has not been done. Now there is Kunda Project and we hope that some water for irrigation purposes will be made available to us from this project.

There is great need to generate more and more electricity in the country. If it is not possible for us to generate hydro electricity, let us to generate thermal electricity. The Minister concerned should give due attention to it also.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I, while supporting the demands for grants want to suggest that ceiling legislation should be strictly enforced. Whatever pronouncements have been made by the Government they must be put into practice honestly. The Ceiling Acts should strictly be made applicable to big farmers and the surplus land should be distributed among the poor and landless. No efforts have been made to examine whether the settlement of the land has been made in a correct manner or not. Due attention should be given to this aspect.

Till we do not provide Land to the poor people, we cannot increase our foodgrain production. Who have surplus Land ? Only the rich people. Therefore, I suggest that the Land Ceiling Act should stricktly be introduced. It should properly be implemented.

[Shri Nathu Ahirwar]

There has not been proper land settlement. There is not proper distribution of land Some one is possessing 25 acres of land whereas other is landless. The Central Government ignores this issue on the plea that this is a State ssubject. I agree that agriculture is a state subject but there should be a national policy in this regard and the State Governments should be directed to implement the central polices effectively.

It was said that the homeless people would be provided land to construct houses. In Madhya Pradesh 7 lakhs people have been provided plots for constructing houses. I want that this policy should be followed by other states too so that the poor people may get land for housing purpose. Attention should be paid to the problems of down trodden people.

So far as irrigation is concerned, all the medium and small irrigation projects are incomplete. These all projects should be declared as national projects. All water disputes between different states should go.

There is imbalance in the matter of irrigation. It is our misfortune that several irrigation projects are hanging in fire as a result of disputes between different states. It is not in the interest of the country. It should be looked into. These all things should not be given political colour. These problems should be solved at the Central level. The Central Government should take over all the big irrigation projects and make them national projects.

Priority should be given to the small irrigation projects. There was a proposal to set up a Multi-purpose Hydel project on the Betwa river, but nothing has been done. All small tanks should be repaired so that they may be used for irrigation purpose. More money should be sent on minor irrigation projects.

The Planning Commission had earlier announced that the price of wheat will be fixed keeping in view the cost of production thereof. But you have not done so. In Agriculture Ministry appointed a commission namely Agricultural Prices Commission. This Commission is being headed by I.A.S. officers, who have no knowledge of agriculture. You have provided land, but you have not provided other facilities. You should provide them all the facilities as seeds, fertilizers etc. Until you do not do so the Indian agriculture can not improve. So it is necessary that the price of wheat should be fixed keeping in view the cost of production. I request the Government that the difference between the perchase price and distribution price should not be more than 25 rupees.

The farmers should be provided itrrigation facilites seeds, fertilizer at reasonable rates. Then he will take interest and the production of foodgrains will be increased.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I want to congratulate Shri Shinde and Shri Kedar Nath Singh for their excellent work, but at the same time, I would like to point out that the officers in their Ministry are not so efficient.

The main problem of farmers is that they do not get fertilizers, seeds and water in time If these things are provided them in time our country will not face crists due to shortage of foodgrains and we will not be compelled to import foodgrains from abroad.

There is power shortage in the country. The farmers do not get electricity easily. If at all they get they get it at high rates. The industriealists get power easily and at cheap rates. There should not be such discrimination. Steps should be taken to provide electricity to the farmers at cheap rates. The Government procures wheat from farmers at the rate of Rs. 105 per quintal and sells it at the rate of Rs. 150 per quintal. The farmers are very much agitated due to this policy.

Fertilizers is another problem. They are provided inadequate quantity of fertilizers and that too at exhorbilant rates. They have to purchase fettilizers from black market. The demand of the farmers for fertilizers should be met.

So far as irrigation is concerned, our canals are not in better condition. They are leaking. Thousands of acres of land is spoiling. These canals should be repaired.

The tank should be repaired. They are very useful for irrigation purpose. The problems of farmers should immediately be solved only then the production of foodgrains will increase. You impose levy on certain commodities.

The farmers' should be given rumnerative price for their production. Food Corporation of India is not working satisfactory. The Corporation is suffering loss to the tune of crores of rupees. The functioning of this Corporation should be steamlined.

So far as land reform is concerned, nothing tangible has been done in this direction. In Morena a good deal of land has been levelled but it is not known why it has not been given to Adivasis. Government has perhaps an oscillating attitude on the question of land ceiling. It is essential that Ceiling Legislation is brought forth at the earliest and implemented in actual practice.

No steps have been taken so far by Government to ban cow-slaughter in the country Government has not drawn any scheme to improve the breed of cows and to provide more milk and ghee to the people in general.

Government should take steps to settle the disputes between different states in regard to water dams, such as Mata Tilla Dam or Narmada Dam. Efforts should be initiated to resolve these disputes in a proper manner.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) Agriculture earn maximum foreign exchange for the country and still Government have failed to bring about adequate improvements in the field of agriculture during the last 27 years of independence. They have so far been able to provide only 27 percent irrigation. Adequate arrangements should be made to provide fertilizers, seeds and water to the peasants.

The river water in the country is going waste. A national grid of rivers should be designed with a view divert water to draught -prone areas whenever required. It will remove droughts as well as floods in the country.

It has been stated that about 19 million tons of foodgrains are destroyed in careless handling deffective storage and demage by rats. If such a large quantity of focdgrains could be saved and if people change their food habits and confine the use of Cereals to 25 percent, it will not be necessary to import foodgrains from outside.

Government of Uttar Pradesh has imposed a levey of 60 percent of the total wheat production but it is found that there is a good deal of bungling and force has been used in procurement. The Central Government should, therefore, see that only marketable surplus produce is realised from the cultivators and it is not taken forcibly..

Sugar mills have not been nationalized so far with their out moted machinery, sugar mills are unable to obtain large recovery from sugarcane. These mills should be either nationalized or they should be asked to modernise their machinery with a view to getting larger production of sugar.

Cooperative movement is a medium through which the goal of socialism can be achieved and so the Government should see that the structure of Cooperatives is so improved that it really benefit the people. Government should pay more attantion to the Community development programmes.

As regards fisheries, the Barrackpur Research Laboratory is working very will but it is not known why Government are neglecting the laboratory at Gujarat in Jaunpur district whi h is a backward area. They should pay more attention in this regard.

Government have been exporting froglegs with a view to earn foreign exhange. But that export should be restricted so that at least some frogs are left out which save paddy crops from pests.

Government have no idea of the acreage under forests and it is not known how they propose to preserve and exploit the forest wealth.

श्री एस० एन० सिंह देव (बांकुरा) : हर्ष की बात है कि सिंचाई मंत्रालय जो अब तक एक अलग विभाग था, कृषि मंत्रालय में मिला दिया गया हैं। कृषि के समचित विकास के लिए कृषि और सिंचाई के बीच घनिष्ट समन्वय स्थापित रखना नितान्त आवश्यक है ।

हमारी 80 प्रतिशत जन संख्या का व्यवसाय कृषि ही है जो सीधे कृषि कार्य पर ही निर्भर करते हैं। यदि हम अपने लोगों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं तो हम कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते क्योंकि कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।

दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 50 करोड़ रुपये के मूल्य की बोरो की फसल नष्ट होने की आशंका है क्योंकि यह फसल सूखती जा रही है। पश्चिम बंगाल के कृषकों को टेनुघाट से पानी न मिलने के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है । यदि खेतों में टेनुघाट से पानी नहीं पहूंचाया जायेगा तो सारी फसलें नष्ट हो जायेंगी और पश्चिम बंगाल के किसानों को भारी हानि होगी ।

जब दामोदर घाटी यॉजना बनाई गई थी तो इसे एक बहुउद्देश्यीय योजना बनाया गया था । इसके अन्तर्गत 7 बांध बनने थे जिन में से हम पांच बना पाये हैं । हम खेतों को अधिक पानी नहीं दे सके हैं और नहीं उद्योगों तथा कृषकों को अधिक बिजली। अब दोनों विभाग एक मंत्रालय के अधीन हैं। अतः आशा है कि इन योजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा, और उन से लाभ मिलने लगेगा, जिन में देश का करोड़ों रुपया लगा है ।

पंचेट बांध और कांसावती परियोजना में 100 गांव, जिनकी भूमि काफी ऊपजाऊ है, पानी में डूब गए हैं। इस प्रकार निराश्रित हुए लोगों का पुनर्वास किए जाने का आश्वासन पूरा नहीं किया गया है । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

मैं इस क्षेत्र के भूमिगत जल का सर्वेक्षण किए जाने का अनुरोध करता रहा हूं , पर इस दिशा में कोई कुछ नहीं किया गया है ऐसा किए जाने पर हम उपलब्ध जल संसाधनों का उचित उपयोग कर सकेंगे और पुरुलिया में सिंचाई की अधिक सुविधा हो सकेगी ।

पश्चिम बंगाल अभावग्रस्त राज्य है । जन संख्या की अधिकता के कारण हम लोगों की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते । प्रति वर्ष हमें केन्द्र से मांगना पड़ता है । पश्चिम बंगाल के गांवों में खाद्य वितरण का परिवर्तन तरीका अपनाया गया है पर उन दुकानों से बहुत ही अपर्याप्त मात्रा में खाद्यान मिलता है मंत्रालय इस मात्रा को बढ़ाये और लोगों की कठिनाइयों को दूर करे ।

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 8 अप्रैल, 1975/18 चैत्र, 1897 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

GMGIPND-848 L.S.—Lino—1-9-75—200